छत्तीसगढ़ विधान सभा

षष्ठम् विधान सभा के नवनिर्वाचित माननीय सदस्यों के लिए
प्रबोधन कार्यक्रम
की प्रतिवेदित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

षष्ठम् विधान सभा प्रबोधन कार्यक्रम **द्वितीय दिवस**

रविवार, दिनांक 21 जनवरी, 2023

(माघ 01, शक सम्वत् 1945)

[अंक 02]

Webcopy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

(षष्ठम् विधान सभा)

षष्ठम् विधान सभा के नवनिर्वाचित माननीय सदस्यों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम की प्रतिवेदित कार्यवाही

स्थान : विधान सभा सचिवालय स्थित श्यामा प्रसाद मुकर्जी प्रेक्षागृह

दिनांक : 21 जनवरी, 2024
समय : पूर्वाह्न 11:00 बजे

प्रथम सत्र

(अतिथियों का आगमन)

समय :
11.00 बजे

(स्वास्थ्य मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन श्री श्याम बिहारी जायसवाल द्वारा अतिथि वक्ता श्री अजय चन्द्राकर, माननीय सदस्य, छत्तीसगढ़ विधान सभा एवं पूर्व मंत्री, छत्तीसगढ़ का स्वागत किया गया)

(सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा श्री दिनेश शर्मा द्वारा अतिथि वक्ता श्री अजय चन्द्राकर, माननीय सदस्य, छत्तीसगढ़ विधान सभा एवं पूर्व मंत्री, छत्तीसगढ़ का स्वागत किया गया।)

श्री अजय चन्द्राकर, माननीय सदस्य, छत्तीसगढ़ विधान सभा एवं पूर्व मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन का संक्षिप्त परिचय

सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा (श्री दिनेश शर्मा) :- प्रबोधन कार्यक्रम के द्वितीय दिवस के इस प्रथम सत्र में मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज इस सत्र के प्रमुख वक्ता वरिष्ठ विधायक एवं पूर्व मंत्री माननीय श्री अजय चन्द्राकर जी हैं। मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं। मैं माननीय श्री श्यामबिहारी जायसवाल जी का भी हृदय से स्वागत करता हूं। माननीय श्री अजय चन्द्राकर जी के संसदीय ज्ञान और विद्वता से हम सभी परिचित हैं। माननीय चन्द्राकर जी, सर्वप्रथम वर्ष 1998 में अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए। तदुपरांत वर्ष 2003, 2013, 2018 एवं वर्ष 2023 में 5वीं बार षष्ठम विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए हैं। माननीय चन्द्राकर जी ने राज्य शासन में विभिन्न विभागों के मंत्री के रूप में अपने दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया है। इन्हें

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों में ही सभा के सदस्य होने का अनुभव प्राप्त है। छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा आपको उत्कृष्ट विधायक के रूप में अलंकृत किया जा चुका है। विविध विषयों पर आपका अध्ययन और ज्ञान सभी के लिए अनुकरणीय है। माननीय चन्द्राकर जी प्रखर, मुखर और ओजस्वी वक्ता के रूप में जाने जाते हैं। माननीय श्री चन्द्राकर जी के विषय में यदि मैं यह कहूं तो यह अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि वे वस्तुत: संसदीय विधाओं, विषय के गहन मर्मज्ञ एवं अपने आप में इंस्टीट्यूट की भांति हैं। आप सभी माननीय सदस्य विगत में माननीय श्री चन्द्राकर जी के विविध संसदीय विषयों पर चर्चा का विधान सभा के पुस्तकालय एवं वेब-साइट में उपलब्ध कार्यवाहियों का अध्ययन कर स्वयं को संसदीय विषयों पर समृद्ध कर सकते हैं। आज के द्वितीय दिवस का यह प्रथम सत्र का विषय प्रश्न, प्रश्नकाल, प्रश्न से उद्भूत विषय पर आधे घंटे की चर्चा निर्धारित है। इस विषय पर माननीय चन्द्राकर जी, आपका मार्गदर्शन करेंगे कि विधान सभा में विधायक द्वारा कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं? प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न ग्राह्य और अग्राह्य होने की क्या प्रक्रिया है? यह सब तमाम विषय जो प्रश्न और प्रश्नकाल से संदर्भित हैं, उन सभी विषयों पर आपका मार्गदर्शन करेंगे। आप माननीय सदस्यों को जो पहली बार चुनकर आये हैं, उनके लिए यह जानना आवश्यक है कि विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के अनुरूप कैसे प्रक्रिया संपादित करें? आप सभी माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि माननीय चन्द्राकर जी के मार्गदर्शन को बड़ी गंभीरता के साथ सुनें और समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।

प्रश्न, प्रश्नकाल, प्रश्न से उद्भूत विषय पर आधे घंटे की चर्चा" पर व्याख्यान

(वक्ता - श्री अजय चन्द्राकर, माननीय सदस्य, छत्तीसगढ़ विधान सभा एवं पूर्व मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन)

सदस्य, छत्तीसगढ़ विधान सभा एवं पूर्व मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन (श्री अजय चन्द्राकर) :- प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सम्माननीय श्री जायसवाल जी, विधान सभा के सम्माननीय सचिव, सामने बैठे हमारे सम्माननीय मंत्रिगण और सम्माननीय हमारे विधायक साथी, विधान सभा सचिवालय के सभी अधिकारीबंधु, मित्रों, मैं अपना वक्तव्य शुरू करने के पहले शब्दों में कुछ संशोधन कर देता हूं। एक तो पहले मैं मार्गदर्शन देने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। legislation एक ऐसा विषय है जो प्रतिदिन कुछ न कुछ सिखाती है। मैं जिस दिन विधान सभा आता हूं तो विद्यार्थी भाव से प्रतिदिन आता हूं और मुझे ध्यान नहीं है कि मैंने अपने 25 साल के जीवन में कभी भी किसी दिन अनुपस्थित रहा होउंगा। माने किसी भी दिन अनुपस्थित रहा होउंगा, ऐसा मुझे ख्याल नहीं है। देर से आना भी मुझे ख्याल नहीं है कि मैं कभी विधान सभा देर से आया पहुंचा होउंगा। दूसरी बात यह है कि हमारी विधान सभा एक समृद्ध विधान सभा है। दो पूर्व विधान सभा अध्यक्ष हैं। पूर्व मुख्यमंत्री विधान सभा के अध्यक्ष हैं। 4-5 पूर्व सांसद हैं। नेता प्रतिपक्ष हैं। पूर्व मंत्रिगण हैं तो एक पढ़े-लिखे लोगों का एक समूह है। प्रश्न, प्रश्नकाल,

आधे घंटे की चर्चा में मैं एक्सटेंपोर बोलने वाला हूं। मैं कागज देखकर ज्यादा बोल नहीं पाता हूं। मुझे कुछ चीजें आज पढ़नी भी पढ़ेंगी, लेकिन इसको मार्गदर्शन के बजाय आप लोग परिचर्चा मान लीजिए। मैंने सचिव साहब से आग्रह किया था कि इसमें कुछ विषय और शामिल किये जायें, माने मेरे वक्तव्य में नहीं, प्रशिक्षण में। मैं एक भी शब्द गलत बोल दूंगा और आप उसे यदि ग्रहण कर लेंगे तो प्रीविलेज का मामला बनता है। तो इसलिए विधान सभा के मामले में बहुत सोच-समझकर बोलना पड़ता है। मालूम है कि हर सत्र में 2-3 मेरे प्रीविलेज के नोटिस पिछले 5 सालों में लगते थे। भले उसमें एक भी चर्चा नहीं हुई, वह अलग बात है। मित्रों, हमने ब्रिटिश संसदीय प्रणाली, जिसे वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली भी कहते हैं, यह हमने मोटे तौर पर स्वीकार किया है। वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली की शुरूआत लगभग 13वीं शताब्दी से मानी जाती है। ब्रिटिश पार्लियामेंट की शुरूआत 17वीं शताब्दी से हुई। हम प्रश्नों के इतिहास पर चर्चा कर रहे हैं। ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। Earl Cowper के द्वारा 9 फरवरी, 1721 में सबसे पहले प्रश्न हाउस ऑफ लार्ड्स में पूछा गया। वर्ष 1835 में पहली बार मुद्रित प्रश्न छपा। वर्ष 1847 से एक शताब्दी तक लगभग 1 से लेकर 130 तक प्रश्न पूछे जाते रहे। फिर उसके बाद भारत में वर्ष 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट बना तो इंडियन काउंसिल एक्ट में उस समय जो विधान परिषद थी, बाम्बे, मद्रास, बंगाल, उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रदेश इसको कुछ प्रश्न पूछने के अधिकार दिये गये। प्रश्न पूछने के जब अधिकार दिये गये तो उस समय पूरक प्रश्न पूछने की, प्रश्नों को स्वीकार करने की, अस्वीकार करने की कितनी अधिकारिता है, उसके चरणबद्ध विकास है, लेकिन वर्ष 1892 में शुरूआत मानी गयी। वर्ष 1937 में जब विभिन्न प्रांतों के चुनाव शुरू हुए तो उस समय नियमों में कुछ परिवर्तन किये गये और वर्ष 1947 से आज तक प्रश्नकाल इसी स्वरूप में लगभग चल रहा है। प्रश्नकाल का एक छोटा सा इतिहास है। हाउस ऑफ कॉमन्स पहले 2 बजे शुरू होती थी, पर वर्ष 1902 में एक घंटा निर्धारित किया गया और यह एक घंटा कौन सा होगा, यह उस समय तय नहीं था, लेकिन वर्ष 1919 में प्रथम एक घंटा प्रश्नकाल के लिए तय किया गया। तो हाउस ऑफ कामन्स जो पहले 3 बजे शुरू होती थी, वह एक घंटा पहले 2 बजे से शुरू होने लगी। हमारी विधान सभा में भी नियम 28 में इसी बात का उल्लेख है कि प्रश्नकाल की कार्य पुस्तिका मिलेगी, तो नियम 28 देखेंगे तो पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए सुरक्षित है। मित्रों, अब प्रश्नकाल का महत्व, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रश्नकाल जो प्रश्न प्रणाली है, अमूमन मोटे तौर पर एक सामान्य जानकारी प्रस्तुत करने के लिए ही मानी जाती है, ऐसा नहीं है। विधान मंडल, माने कार्यपालिका विधान मंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। संविधान के भी अनुच्छेद 164(2) में मंत्रिमंडल भी सामूहिक रूप से विधान सभा के प्रति उत्तरदायी है। यह एक महत्वपूर्ण विषय है कि कार्यपालिका विधान मंडल के प्रति उत्तरदायी होगी, मंत्रिमंडल की संयुक्त जिम्मेदारी विधानमंडल के प्रति होगी। इसके माध्यम से हम शासन की गलतियों को जनता की परिवेदनाओं को, विकास की गतिविधियों को, सूचना प्राप्त करने को और भी व्यवस्था संबंधी जो प्रश्न हैं और मैं तो यह कहूंगा कि आपके जमीनी अनुभव को भी और सेवा

को भी हम प्रश्नों के माध्यम से परिलक्षित कर सकते हैं। अब मैं चार लाइन पढ़ता हूं। मैं बहुत धीरे-धीरे पढ़ूंगा, जो लाइन मुझे सिखाती है। राजनीतिशास्त्र के एक विद्वान थे हैरोल्ड लास्की, जिनके शब्दों में प्रश्न और प्रश्नकाल का महत्व। समझ लीजिए ये जो लेजिस्लेटिव पॉलिटिक्स करते हैं, उनके लिए यह एक कुंजी है। उनके शब्दों में है कि यह राज्य के विभागों के कार्यों को जनता के समक्ष लाते हैं। इससे उन्हें जो अनुभव होता है, वे जनता की पैनी निगाहों के अधीन कार्य कर रहे हैं, जो सतत् उनकी योग्यता और ईमानदारी का मूल्यांकन भी कर रही है। जिस प्रकार दिन का प्रकाश प्रशासन के कामकाज को लोगों के लिए बोधगम्य बनाता है, प्रश्नकाल भी बहुत कुछ ऐसा ही करता है। कुछ प्रश्न गलत मामलों को उजागर करते हैं। मंत्रियों को इस बात से सदन को आश्वस्त कराना पड़ता है कि उसके उत्तर संतोषजनक सिद्ध हुए हैं। उसे स्वयं महसूस करना होता है कि उसे विभाग द्वारा दी जाने वाली जानकारी से भी आगे कुछ अधिक जानना चाहिए। जो विभाग उनको जानकारी देता है, जब आप प्रश्न पूछते हैं तो उससे आगे भी कुछ पूछा जा सकता है, पूरक प्रश्नों में। इसके लिए माननीय मंत्री को तैयार रहना होता है। वह स्वयं भी जनता की अधिक से अधिक जानकारी हासिल करने की विशेष या सामान्य इच्छा को शांत करने के लिए प्रयत्नशील रहता है तो हैरोल्ड लास्की जी ने इसका गंभीर महत्व बताया है। मित्रों, प्रश्नकाल के बारे में मैंने बताया कि नियम 28 जब आप खोलेंगे तो पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए है। अब प्रश्नों के प्रकार के बारे में बताना चाहूंगा। प्रश्नों के प्रकार में पहला प्रश्न तारांकित प्रश्न का है। आपको पेपर मिला होगा, उसमें लाल रंग का जो पेपर है, वह तारांकित प्रश्न का है। काला रंग का जो पेपर का प्रारूप मिला होगा, वह अतारांकित का है। एक डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, वह अल्प सूचना प्रश्न का है। अल्प सूचना प्रश्न जो है हरे रंग के पेपर में मिलता है। एक बार छत्तीसगढ़ बनने के बाद आज तक एक ही अल्प सूचना प्रश्न लगा है और मैं जिस दिन विधान सभा सचिवालय से उस प्रश्न को लगाने के लिए संपर्क किया तो उसमें हरे रंग का प्रारूप नहीं था और सचिव साहब आप ही थे। मेरे अल्प सूचना प्रश्न को अस्वीकृत कर दिया गया। तो हरे रंग का जो प्रारूप मिलेगा, वह अल्प सूचना प्रश्न पूछे जाने के लिए होगा। एक गैर सदस्यों के लिए माना जाता है पर कॉल एण्ड शकधर में या हमारी नियम प्रक्रिया है, उसमें 3 ही तरह के प्रश्न हैं, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचना प्रश्न। अब तारांकित एवं अतारांकित की सामान्यतया आपको 21 दिन पहले प्रश्न की सूचना देनी है। दो तारांकित प्रश्न लगेंगे, दो अतारांकित प्रश्न लगेंगे, इस तरह एक दिन में आप 4 प्रश्न लगा सकते हैं। प्रश्न लगाने के बाद आपकी जिम्मेदारी थोड़ी देर के लिए रूक जाती है, फिर वह सचिवालय में जाता है तो सचिवालय का प्रोसेस चलता है। 12 दिन शासन को उत्तर देने के लिए समय मिलता है। शासन ऐसा उत्तर भी देती है कि जानकारी एकत्र की जा रही है। तो उस उत्तर को उसी सत्र में कभी न कभी टेबल करना होता है या कभी दूसरे दिन भी छपता है। तो उसमें बहस होती है। अब जैसी व्यवस्था होती है, उस ढंग से उसे दे दिया जाता है। अब प्रश्न अस्वीकृत अथवा स्वीकृत होने की दशा के बारे में बात करेंगे। अतारांकित प्रश्न

अमूमन अस्वीकृत नहीं होते। तारांकित प्रश्न ज्यादा अस्वीकृत होते हैं। तो मैं सबको पढ़ूं या आपको बताउं, आप यदि पूछेंगे तो बताने की कोशिश करूंगा, पर यह जो आपको किताब मिली है, उसमें नियम 28 से 51 तक के जो नियम हैं, उसमें आपको कौन-कौन से कारणों से आपके प्रश्न निरस्त होंगे, यह उसमें लिखा हुआ है और दूसरी बात अध्यक्ष के स्थायी आदेश 7 से 21 तक, मेरे ख्याल से हमारे पुराने साथी हैं, वे खोलते हैं या नहीं खोलते हैं, यह मुझे नहीं मालूम, पर मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, प्रतिदिन विधान सभा आयें तो इसे जरूर लेकर आयें। तो 7 से 21 तक के को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे प्रश्न क्यों अस्वीकृत हुए। अब उसमें जैसे मोटे-मोटे तौर पर पर मैं बता देता हूं कि 200 से ज्यादा शब्दों का नहीं होना चाहिए, अनुमान है, व्यंग्यात्मक है, अभ्यारोपण है, विशेषण है, मानहानिकारक कथन नहीं होने चाहिए, राज्य शासन का विषय न हो, अब आप रेल परियोजना के बारे में पूछ रहे हैं कि भानुप्रतापपुर से आगे रेल लाइन कब शुरू होगी? तो राज्य शासन के विषय न हो। किसी व्यक्ति का जो सार्वजनिक हैसियत है, चरित्र है, आचरण है, उस पर आप पूछ नहीं सकते हैं। इतिहास ग्रंथों के बारे में आप पूछेंगे कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? प्लासी का युद्ध कब हुआ था तो उसका कोई संबंध प्रश्न से नहीं होता है। उसके बाद नीतिगत प्रश्न है और जो काफी विस्तारित है जैसे प्रदेश की उद्योग नीति क्या है? प्रदेश की उद्योग नीति क्या है, उसके बारे में आप जानकारी हासिल कर सकते हैं और अमूमन ऐसे प्रश्न के उत्तर नहीं पूछते, जिसकी जानकारी आप जुटा सकते हैं, आप जिन समितियों के पदेन सदस्य हैं, जिसकी जानकारी आपको उन समितियों में मिल सकती है । यदि आप जिला पंचायत के सदस्य हैं, जनपद पंचायत के सदस्य हैं, मान लीजिए मंडी के सदस्य हैं या विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् के सदस्य हैं, जहां से आप जानकारी ले सकते हैं । अमूमन ऐसे विषय इसमें नहीं पूछे जाते, जिसकी जानकारी आप स्वत: ले सकते हैं। उसके अतिरिक्त समाचार पत्रों में जो संवाद छपते हैं, उसके बारे में भी नहीं पूछा जाएगा और उससे बढ़कर जो महत्वपूर्ण है, आप बजट सत्र में शामिल होंगे, संवैधानिक संस्थाएं हैं, राजभवन में कितना खर्च हुआ, विधान सभा में कितना खर्च हुआ, कितने पद हैं, कितने रिक्त हैं, कितने नहीं हैं, निर्वाचन आयोग की क्या गतिविधियां हैं, उच्च न्यायालय में क्या भत्ता दिया जाता है। अर्थात् संवैधानिक संस्थाओं के बारे में आप प्रश्न नहीं कर सकते । जब आप विभागों की मांगों की चर्चा में भाग लेंगे तो संवैधानिक संस्था जैसे विधान मंडल है तो उस पर हम चर्चा नहीं करते, निर्वाचन आयोग की व्यवस्थाओं पर हम चर्चा नहीं करते । यदि हम इनके विषयों पर बातें पूछेंगे तो वे निरस्त हो जाती हैं, वे प्रश्न निरस्त हो जाते हैं । किन-किन कारणों से प्रश्न रिजेक्ट हो सकते हैं यह नियमों में लिखा है । अब आपका प्रश्न निरस्त हो जाने पर प्रश्न शाखा में जा सकते हैं या सचिव महोदय के पास जा सकते हैं कि साहब यदि 200 शब्दों से ज्यादा है तो मैं इसको कम कर देता हूं । यदि कोई लांछनकारी शब्द है या व्यंग्यात्मक शब्द है तो उसको संशोधित करके फिर से जमा कर सकते हैं, लेकिन निर्धारित समय में, ताकि वे प्रश्न फिर से

स्वीकृत हो सकें । अब प्रश्नकाल के जो महत्वपूर्ण विषय हैं । ये आपके प्रश्न लग गए । मान लीजिए 5 तारीख को प्रश्न का दिन है और 140 प्रश्न आ गए, जैसा कि मैंने कहा 1857 में प्रतिदिन 130 प्रश्न लगते थे । ज्यादा प्रश्न आ जाने पर शलाका निकलती है । आप प्रश्न शाखा में जाएंगे, आप में से कुछ सदस्यों को प्रतिदिन बुलाया जाएगा कि शलाका निकलेगी, एक तरह से लॉटरी कह लीजिए, लॉटरी निकलेगी । उसमें जो 25 प्रश्न आएंगे, वे तारांकित प्रश्न प्रश्न सूची में बहस के लिए छपेंगे । प्रश्नकाल में कोई पीठासीन अधिकारी नहीं चाहता कि व्यवधान उत्पन्न हो । प्रश्नकाल इतना रोमांचक, उत्तेजनात्मक, ज्ञानवर्धक और सतर्क रहने वाला क्षण है, जिसमें आपको पत्रकार दीर्घा भरी हुई मिलेगी, दर्शक दीर्घा भरी मिलेगी, अधिकारी दीर्घा भी भरी मिलेगी । सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि प्रश्नकाल में बहुमत बाध्यकारी नहीं होता । यह स्पेशल चीज है कि मंत्रिगण बहुमत का इस्तेमाल करके आपको दबा नहीं सकता कि मेरे दल का बहुमत है इसलिए मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न को व्यपगत् कर दिया जाए, इस प्रश्न को बहस में न लिया जाए, ऐसा संभव ही नहीं है । अब यह आपकी तैयारी के ऊपर है आप कितना अच्छा पूछते हो । कल प्रश्नों के महत्व के बारे में धनगड़ साहब भी बोल रहे थे, यदि प्रश्न लग गया है तो आपको पूरक प्रश्न करना होगा । पूरक प्रश्न भी उस विषय के अंतर्गत हो, यदि आप विषय के अंतर्गत नहीं पूछते हैं, इधर-उधर पूछते हैं तो शायद एकाध प्रश्न के बाद यह कहकर बैठा दिया जाए कि प्रश्न की पुनरावृत्ति हो रही है । यदि लगेगा कि आप सही प्रश्न पूछ रहे हैं तो पीठासीन अधिकारी आपको अधिक प्रश्न करने की अनुमति भी दे सकता है । नियमानुसार तो 2 या 3 पूरक प्रश्न कर सकते हैं, किंतु यदि आप विषयानुकूल प्वाइंटेड प्रश्न पूछते हैं तो आपको अधिक प्रश्न करने का मौका भी मिल सकता है । इसी छत्तीसगढ़ की विधान सभा में राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल जी अध्यक्ष थे, उस समय एक प्रश्न पूरे एक घंटा चला और उसका उत्तर नहीं आ पाया, एक घंटा इसलिए चला क्योंकि वह लोक महत्व के विषय पर था । इसलिए यदि आप अच्छी तैयारी से आकर अच्छा प्रश्न करते हैं तो मैं कल की इस बात से सहमत हूं कि आपके बहुत सारे काम उससे हल हो जाएंगे । दूसरी बात यह है कि इसका महत्व इतना ज्यादा है कि प्रश्नकाल में औचित्य के प्रश्न नहीं होते, प्रश्नकाल में व्यवस्था के प्रश्न नहीं होते । आप लोगों ने सत्र के पहले दिन देखा होगा, मैंने तीन प्वाइंट ऑफ ऑर्डर लिये थे । वह प्वाइंट ऑफ ऑर्डर प्रश्नकाल में नहीं हो सकते, बहुमत बाध्यकारी नहीं हो सकता, औचित्य के प्रश्न नहीं हो सकते, पीठासीन अधिकारी नहीं चाहते कि किसी भी कारण से प्रश्नकाल बाधित हो । मित्रों, मैं व्यक्तिगत् तौर पर प्रश्नकाल को स्थगित करने के पक्ष में नहीं रहता, बहुत ही कोई शोक का विषय हो जाए तो अलग बात है । जन आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति प्रश्नकाल में होती है । जनता के प्रति आपकी जवाबदेही यदि परिलक्षित होती है तो प्रश्नकाल में होती है । सरकार का सबसे ज्यादा पैसा प्रश्नकाल की तैयारी के लिए होता है । यदि हमारा प्रश्न प्रथम पांच या दस में लग गया तो हम त्यौहार मनाते हैं कि आज तो कुछ न कुछ मजा आ जाएगा । लेकिन यदि किन्हीं कारणों से वह भी व्यपगत् हो गया तो

समझ लीजिए, यदि आप गंभीर लेजिसलेचर बनना चाहते हैं तो आपकी एक बहुत बड़ा अवसर समाप्त हो जाता है । यदि एक साल में 40 बैठकें तो पांच साल में अधिकतम् 200 दिन सभा चलेगी । उसमें में 20 दिन तो हल्ला गुल्ला में निकलेगा। यदि आपके पांच-सात तारांकित प्रश्न लगने के बाद व्यपगत् हो गए तो समझ लीजिए क्या होता है । मित्रों, एक प्रश्न होता है, अल्प सूचना प्रश्न । अभी तक एक अल्प सूचना प्रश्न लगा है जिसे मैंने लगाया था, हालांकि वह स्वीकृत नहीं हुआ, कोई बात नहीं भले ही प्रश्न स्वीकृत न हो, किंतु आपकी तत्परता, आपकी जागरूकता और आपका समर्पण का पता चलता हैकि आप कितने गंभीर हैं । पिछली सरकार के कार्यकाल में ए.जी. को हटा दिया गया था, ए.जी. को हटाने में अलग-अलग वक्तव्य आए । अलग-अलग वक्तव्य आए तो मैंने उसको उद्भुत करते हुए एक अल्प सूचना प्रश्न लगाया कि इनमें से कौन सी बातें सत्य हैं । ए.जी. ने कहा कि मैंने इस्तीफा नहीं दिया है, एक मंत्री ने कहा कि काम करने की इच्छा नहीं है, इस तरह के विषय हों तो वस्तुस्थिति क्या है, इस पर वक्तव्य की मांग न करके हमने कहा कि सरकार इन चीजों पर उत्तर दे । आपकी जो मौलिकता है, आपकी जो जवाबदेही है, आपकी जो जवाबदारी है, वह इसमें परिलक्षित होती है । ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं, क्योंकि सत्र के दौरान आपके पास मुद्दों को उठाने के अनेक अवसर रहते हैं कि अल्प सूचना के लायक बहुत गंभीर विषय कभी-कभी क्रियेट होते हैं । लेकिन उसको क्रियेट करवाया भी जा सकता है यदि आप लेजिसलेचर हैं तो आप कर सकते हैं, यह आपकी योग्यता के ऊपर है । जैसे कि कल मैंने अल्प सूचना प्रश्न के बारे में पूछा था कि छतीसगढ़ विधान सभा में अल्प सूचना प्रश्न पर चर्चा नहीं हुई है ।

अब मैं आपको आधे घंटे की चर्चा के बारे में बताता हूं । यह नियम 52 के अंतर्गत की जाती है । नियम 52 में प्रश्नकाल की गंभीरता के विषय में ही है । यदि आप माननीय मंत्री जी से कोई प्रश्न पूछ रहे हैं और माननीय मंत्री जी जवाब नहीं दे पा रहे हैं या जवाब से आप संतुष्ट नहीं हैं । आप जो विषय उठा रहे हैं उसमें और उनके उत्तर में मेल नहीं खा रहा है, आपको समाधानकारक उत्तर नहीं मिल रहा है और आसंदी को या पीठासीन अधिकारी को यह लगता है कि यह उत्तर वास्तव में समाधानकारक नहीं है तो वह आधे घंटे की चर्चा स्वीकृत कर सकते हैं । कभी-कभी ऐसी व्यवस्था भी आती है कि यदि आप असंतुष्ट हैं तो दूसरी प्रक्रिया में जाएं । दूसरी प्रक्रिया का मतलब यह होता है कि आप आधे घंटे की चर्चा मांग सकते हैं या आप लिखकर भी दे सकते हैं । यदि आप आधे घंटे की चर्चा मांगते हैं तो उसमें 2 सदस्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है । यदि रिकेश सेन जी ने लगाया तो गुरू जी से और बेमेतरा नरेश के दस्तखत नीचे में होना चाहिए । आधे घंटे की चर्चा अमूमन शुक्रवार को ली जाती है, किंतु अध्यक्ष महोदय चाहें तो सुविधानुसार किसी दिन भी निर्धारित कर सकते हैं । सामान्यत: अशासकीय दिवस के दिन इसे लिया जाता है । पिछली बार मेरी तीन आधे घंटे की चर्चा स्वीकृत हुई थी, जिनमें से एक पर ही बहस हो पाई, दो पर बहस नहीं हो पाई । आधे घंटे की चर्चा के लिए आवश्यक है कि इसी

सत्र की हो । इस सत्र की चर्चा अगले सत्र में भी लग सकती है किंतु यह आसंदी पर निर्भर करता है । मित्रों, मैंने कहा कि प्रश्नकाल लोकतंत्र की आत्मा होती है, जन आकांक्षाओं का प्रतीक होती है । आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है खास तौर पर माननीय मंत्रिगण को लगता है कि प्रश्न में सामना करना होगा । किंतु यदि आपके लिए आग्रहपूर्वक कह दूं कि आपको, आपका विभाग जो बहुत सारी जानकारी नहीं देता, वह प्रश्न के माध्यम से आपको पता लगता है कि मेरे विभाग में यह घट रहा है । सदस्य जनता के बीच में रहते हैं और हम मंत्री होते हुए जनता के उतने नजदीक नहीं रह पाते । यदि मंत्रिगण गंभीर हैं तो प्रश्नकाल मंत्रिगण के लिए भी उतना ही गंभीर है, जितना सदस्य के लिए है । मैंने कल बुत से माननीय सदस्यों से यह पूछा था कि आपके कितने प्रश्न लग गए । किसी ने लगने की बात कही, बहुत से लोगों ने कहा कि अभी नहीं लगे हैं । एक दिन में चार प्रश्न लगने है, यदि 20 बैठकें हैं तो 1 दिन अभिभाषण में निकल जाएगा, 19 बैठकों के लिए प्रश्न लगेंगे आप सब इसका जरूर लाभ उठाएं । आप सब इसका लाभ उठाएं, लाभ उठाने से मतलब यह है कि जनता के प्रति जो जवाबदेही है, उस जवाबदेही से कार्यपालिका का और मिनिस्टर्स के काउंसिल का, मैंने आर्टिकल 164(2) बताया, उसके तहत् उनकी जवाबदेही है, उसका लाभ लेकर आप जनता की सेवा अच्छे से कर सकते हैं । अब यदि आपका कोई प्रश्न हो तो मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा ।

श्री गजेन्द्र यादव (दुर्ग शहर) :- माननीय, मैं यह पूछना चाह रहा था । यदि किसी सदस्य ने प्रश्न लगाया, वह तारांकित में नहीं लग पाया और अतारांकित में लगा है और हम यदि उस प्रश्न को सदन में उठाना चाहते हैं तो क्या करना होगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अतारांकित प्रश्न, तारांकित में परिवर्तित नहीं हो सकता लाल पत्र में तारांकित प्रश्न लगता है, अतारांकित के लिए अलग पत्र होता है और अल्प सूचना प्रश्न हरे पत्र में लगता है । मैंने मुख्य रूप से तीन तरह के प्रश्न बताए। किंतु जब आपको सदन में प्रश्नोत्तर सूची मिलेगी तो उसमें परिवर्तित अतारांकित नाम से भी एक प्रश्न मिलेगा । 25 तारांकित प्रश्नों में शलाका के बार जो प्रश्न होते हैं उन्हें परिवर्तित अतारांकित के रूप में प्रिंट होकर आपको मिलेंगे । एक बात मैं कहना भूल गया, बहस के पहले आपको प्रश्नोत्तर सूची प्रिंट होकर मिलेगी तो वह प्रिविलेज का मामला बनता है इसलिए उसकी गोपनीयता महत्वपूर्ण है । दूसरी बात, यदि माननीय मंत्रिगण से आपको समाधानकारक उत्तर नहीं मिल रहा है तो आप आधे घंटे की चर्चा मांग सकते हैं, उसके अतिरिक्त विधान सभा की समितियों में एक प्रश्न एवं संदर्भ समिति होती है । यदि आप जवाब से असंतुष्ट है तो आप पीठासीन अधिकारी से, आसंदी से, अध्यक्ष महोदय से यह मांग कर सकते हैं कि इस प्रश्न को जांच के लिए प्रश्न एवं संदर्भ समिति को सौंपा जाए । यदि उत्तर गलत है और आप साबित कर देते हैं तो यदि प्रश्न एवं

संदर्भ समिति जांच करेगी तो वह और बड़ी बात हो गई । इसलिए मैंने कहा कि यदि आप सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं तो प्रश्नों में बहुत ताकत होती है।

(12:02 से 12:35 बजे तक टी ब्रेक)

द्वितीय सत्र

समय :

12.35 बजे

(अतिथियों का आगमन)

उद्घोषक (श्री संजय दुबे) :- वित्त मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन श्री ओ.पी.चौधरी एवं सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा से आग्रह है कि वह अतिथि वक्ता माननीय प्रेमप्रकाश पाण्डेय का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें । पश्चात् सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा से आग्रह है कि वित्त मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन श्री ओ.पी.चौधरी का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें ।

(वित्त मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन माननीय श्री ओ.पी. चौधरी द्वारा मुख्य वक्ता पूर्व अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा माननीय श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय का पुष्प गुच्छ से स्वागत किया गया)

(सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा श्री दिनेश शर्मा द्वारा मुख्य वक्ता पूर्व अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा माननीय श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय का पुष्प गुच्छ से स्वागत किया गया)

(सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा श्री दिनेश शर्मा, द्वारा वित्त मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन माननीय श्री ओ.पी. चौधरी का पुष्प गुच्छ से स्वागत किया गया)

उद्घोषक:- सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा से आग्रह है कि इस सत्र के निर्धारित विषय "आय व्यय, अनुदान की मांगों पर चर्चा, कटौती प्रस्ताव, लेखानुदान, अनुपूरक अनुदान एवं आय व्ययक का पारण" का प्रवर्तन कर इस प्रबोधन सत्र को विधिवत् आरंभ करे।

सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा (श्री दिनेश शर्मा) :- सत्र के प्रमुख वक्ता पूर्व विधान सभा अध्यक्ष, पूर्व मंत्री माननीय श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय जी का आज प्रबोधन कार्यक्रम के द्वितीय दिवस का द्वितीय सत्र है। इस अवसर पर मैं माननीय श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय जी एवं मंचासीन माननीय श्री ओ.पी. चौधरी जी, वित्त मंत्री एवं मंत्रिमण्डल के वरिष्ठ सदस्यगण, माननीय विधायकगण, मैं आप सभी का इस सत्र में स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस सत्र के विषय "आय व्यय, अनुदान की मांगों पर चर्चा, कटौती प्रस्ताव, लेखानुदान, अनुपूरक अनुदान एवं आय व्ययक का पारण" हैं। आप

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिये नहीं

माननीय सदस्यों के लिए सभी विषय अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आप सभी जानते हैं कि विधान सभा के मुख्यत: तीन काम होते हैं। पहला, प्रदेश के सुव्यवस्थित संचालन के लिए विधि का निर्माण अर्थात् हमारा प्रदेश किन कानूनों और नियमों के तहत् चलेगा। वह कानून बनाने का कार्य विधान सभा का है। दूसरा, राज्य के लिए बजट का प्रावधान विधान सभा से ही सुनिश्चित होता है। दूसरे शब्दों में प्रदेश के संचालन के लिए शासन के विभागों को विधान सभा से धन की स्वीकृति होती है। आज के इस सत्र के विषय बजट से ही संबंधित हैं। विधान सभा का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य कार्यपालिका पर नियंत्रण का होता है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि विधान सभा से बजट स्वीकृत होता है, पारित होता है तो यह प्रक्रिया कैसे होती है और उसमें आप माननीय सदस्यगण की क्या भूमिका होती है। इन्हीं बातों को सत्र के प्रमुख वक्ता माननीय श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय जी, पूर्व अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा आपको समझाएंगे। माननीय श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय जी अविभाजित मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए प्रथम बार वर्ष 1990 में निर्वाचित हुए। तदुपरांत सन् 1993, 2003 एवं 2013 में चौथी बार विधान सभा सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए। आप अविभाजित मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मंत्रिमण्डल के सदस्य रहे। छत्तीसगढ़ की विधान सभा के कार्यकाल में आपने विधान सभा अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। मुझे आप सभी को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पूर्व विधान सभा अध्यक्ष जी को संसदीय विषयों, नियमों, प्रक्रियाओं तथा परंपराओं का वृहत ज्ञान है। आपने सदन में प्रत्येक भूमिका को संजीदगी के साथ निभाया है और आप माननीय सदस्यों के लिए यह सौभाग्य का विषय है कि माननीय पूर्व विधान सभा अध्यक्ष जी मार्गदर्शन देने के लिए कृपापूर्वक पधारे हैं। मैं अपनी और विधान सभा की ओर से माननीय मुख्य वक्ता जी के प्रति हृद्य से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। आप सभी से मेरा यह सादर अनुरोध है कि आज के विषय से जुड़ी जो भी जिज्ञासाएं हैं, आप उन्हें उनके मार्गदर्शन पूर्ण होने के पश्चात् पूछ सकते हैं। ऐसी अपेक्षा है कि आप सब उनकी बातों को अत्यंत गंभीरता से सुने। धन्यवाद।

उद्घोषक :- विषय के प्रमुख वक्ता माननीय श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय जी, पूर्व विधान सभा अध्यक्ष से सादर आग्रह है कि माननीय सदस्यगण को निर्धारित विषय पर प्रबोधित करने की कृपा करे।

आय व्यय, अनुदान की मांगों पर चर्चा, कटौती प्रस्ताव, लेखानुदान, अनुपूरक अनुदान एवं आय व्ययक का पारण (वक्ता - माननीय श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय, पूर्व मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन एवं पूर्व अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा)

पूर्व मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन एवं पूर्व अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) :- आज के इस प्रबोधन कार्यक्रम में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रदेश सरकार के सम्माननीय वित्त मंत्री, श्री ओ.पी. चौधरी जी, छत्तीसगढ़ विधान सभा के सम्माननीय सचिव, श्री दिनेश शर्मा जी, प्रबोधन कार्यक्रम में बैठे हुए प्रमुख रूप से इस प्रदेश के उपमुख्यमंत्री सम्माननीय अरूण साव जी, सम्माननीय मंत्री दयाल दास बघेल जी, सम्माननीय मंत्री टंक राम वर्मा जी, सम्माननीय मंत्री श्री श्याम बिहारी

जायसवाल जी, सम्माननीय मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी और अभी-अभी जिनका आप सभी ने प्रबोधन सुना, काफी सीनियर विधायक, पूर्व मंत्री सम्माननीय अजय चंद्राकर जी, पूर्व मंत्री सम्माननीय राजेश मूणत जी सहित सभी उपस्थित सम्माननीय विधायकगण, देवियों-सज्जनों, अच्छा है कि यह प्रबोधन कार्यक्रम नये विधायकों के लिए था, लेकिन मैं नीचे देख रहा हूं कि बहुत सीनियर लोग भी बैठे हैं। मुझे इस विषय के बारे में बहुत ज्यादा तो मालूम नहीं है लेकिन मैं कोशिश करूंगा। क्योंकि यह जो बजट का विषय है, यह तकनीकी विषय है। इसके मामले में ऐसा कहा जा सकता है कि यह ऐसा विषय है कि जब एक बार समझ में आ गया तो ठीक है और यदि नहीं आया तो जैसे पढ़ते समय जब गणित की कक्षा की घण्टी बजती थी तो अधिकतर लोगों के सिर में दर्द हो जाता था। क्योंकि यदि एक बार गुम हुआ तो बाद में वह बार-बार ऐसा लगता है कि कहां फंस गए। दुर्भाग्य से जिस बजट पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, यह बजट नामक कोई भी शब्द संविधान में नहीं है। बजट सिर्फ चर्चा में रहता है कि बजट है और बजट के बारे में हर आम आदमी चर्चा करता है। हुआ यह कि बजट शब्द सबसे पहले सन् 1737 में वायसराय लॉर्ड कैनिंग के वित्त सचिव के रूप में सन् 1860 में जेम्स विलियमसन ने अपने देश में रखा था। लेकिन उसके पहले भी सन् 1737 में ब्रिटेन में रॉबर्ट वालपोल ने बजट रखा था। राबर्ट वालपोल ने एक चमड़े के बैग में से कुछ कागज निकाले। जैसे अभी हम ब्रिफकेस देखते हैं और ब्रिफकेस में से कागज निकालकर उसने सदन में रखा। बजट शब्द वास्तव में फ्रेंच शब्द "बुजेट" से यह बजट कहलाने लगा। उस समय ब्रिटेन के समाचार पत्रों में इसकी काफी आलोचना-समालोचना होने लगी कि एक चमड़े के थैले में से निकाला गया। उसके बाद हमारे यहां एक परंपरा सी बन गई कि जब 1860 में पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा यहां के लोगों से कैसे टैक्स वसूला जाए, कैसे सरकार और प्रशासन के लिए लोगों से कैसे पैसा लिया जाए। उस दृष्टि से वित्त मंत्री के रूप में जेम्स विलियमसन ने 18 फरवरी, 1860 को शाम 5 बजे अपना पहला बजट रखा था। वह उस बजट को भूरे रंग के ब्रिफकेस में लाये थे। तब से हम लोग देखते हैं कि लगभग हर बार बजट पिछले 2-4 सालों से जब से डिजीटलाइज्ड हो गया है, यदि उसको छोड़ दे तो एक परंपरा सी बनी रही कि बजट उस ब्रिफकेस में से निकलेगा और पेश होगा। वास्तव में यह आय और व्यय का अनुमान होता है। बजट में आय-व्यय का ब्योरा देना होता है। जब कोई भी सरकार बनती है तो वह जनता के बीच अपने कुछ वायदों को लेकर जाती है । जनता के सामने आपने जो कमिटमेंट है, वह करती है कि हम ऐसा शासन देंगे, आपको यह चीजें देंगे । इन तमाम चीजों के संचालन के लिए उसे धन की जरूरत होती है और उस धन को प्राप्त करना और धन का वितरण करना । इसलिए मैंने कहा कि पहले बजट का मायने सिर्फ धन प्राप्ति का था, जब ब्रिटिश यहां राज करते थे और उन्होंने तमाम प्रकार के जो टैक्सेशन किये थे, उस टैक्सेशन के माध्यम से वे लेते थे, जिसमें बड़ा उनका लगान था । जो अनाज पैदा होता था, उसका मूल्यांकन करके और उस मूल्य आधारित भूमि पर कि इस भूमि पर भी इतने मूल्य का अनाज पैदा होता है इसलिए इस भूमि का इतना

लगान होगा और यह कर यहां से चालू हुआ था, लेकिन अभी आजाद भारत में आय-व्ययक का जो ब्यौरा है, वह आर्थिक नीतियों का निर्धारण, आर्थिक परिस्थितियां का संचालन एवं नियंत्रण ये तीनों कार्य इस बजट के माध्यम से किया जाता है कि हमारे देश की, प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है, उसमें हम क्या-क्या कर सकते हैं ? अब बजट ऐसे बहुत लंबा अगर देखेंगे तो कई घंटों में चलेगा, लेकिन सामान्य तौर पर बजट के बारे में हम कहें कि जैसे हम अपने घर का बजट बनाते हैं, वैसे ही प्रदेश सरकार का बजट बनता है, केन्द्र सरकार का बजट बनता है । अब घर के बजट में क्या होता है? हमारे पास पैसा कहां-कहां से आएगा । पहला पैसा कहां से आएगा ? हमारी तनख्वाह से आएगा । दूसरा पैसा कहां से आएगा ? अगर हमारे पास खेत है और खेत का अनाज बेचेंगे तो वहां से आएगा । तीसरा पैसा कहां से आएगा ? अगर हमने किसी को ऋण दिया है, वह लौटा रहा है तो वह पैसा आएगा। किसी से ऋण लिये हैं तो वह पैसा आएगा । अगर जितने प्रकार के आय होंगे, पैसे आएंगे, वह पैसे हमारी आय कहलाएंगे और इन आय को हम जिस प्रकार खर्च करेंगे तो पहला खर्च कहां होता है ? तो पहला खर्च महीने भर के राशन में होगा, हमारे कपड़े में खर्च होंगे, बच्चों की फीस में खर्च होंगे, उसकी दवाई में खर्च होगा । अगर खेत है तो उसके खाद, बीज में खर्च होगा । तो जो आया है और उसमें जो खर्च करेंगे तो आया और गया के बीच का जो अंतर है, उसी अंतर को हम लोग fiscal deficit शब्द कहते हैं, राजस्व का घाटा कहते हैं । अब ये शब्द थोड़ा बड़ा-बड़ा हो जाता है, नहीं तो सीधे 100 रूपए आया और 105 रूपए खर्च हुआ तो हमारा घाटा 5 रूपए का हो गया । अब इसमें एक तकनीकी होती है कि जब सरकार का आय-व्ययक का ब्यौरा देते हैं तो सरकार का आर.बी.आई. में एक एकाउन्ट होता है । एकाउन्ट एक होता है और एकाउन्ट की तीन शाखाएं होती हैं । एक संचित निधि, जिसको Consolidated Fund बोलते हैं । अब उस Consolidated Fund में भी वह किसमें रहेगा ? कर और करेत्तर । Tax and other than Taxes में । कर कौन से हैं ? सरकार के द्वारा जितने प्रकार के कर लगाए जाते हैं, उतने प्रकार के कर उसमें प्राप्त होते हैं और जैसे हम लोग टैक्स लगाते हैं जैसे जीएसटी, इंकम टैक्स, जितने प्रकार के टैक्स से वसूली आती है, वह उसमें जाते हैं । फारेस्ट है, माइन्स हैं, जितनी भी लीज़, रायल्टी हैं, इसमें हम लोग टैक्स नहीं लगाते हैं, लेकिन हम लोग इनसे पैसा लेते हैं, वह करेत्तर है । कर और करेत्तर and other than Taxes । यह हमारा रेवेन्यू कलेक्शन हो जाता है । इसी में केन्द्र सरकार का जो अनुदान मिलता है, केन्द्र सरकार से हम लोन लेते हैं, केन्द्र सरकार से या पहले हमने जितना किसी को लोन दिया है और लोन की वापसी होती है, यह सारा फंड संचित निधि में जमा होता है । अब सरकार चलाने के लिए हमें संचित निधि से ही खर्च करना होता है । विधान सभा में जो वित्त मंत्री का भाषण होता है और वित्त मंत्री के द्वारा जो आय-व्ययक का पारण किया जाता है, वह संचित निधि में से ही पैसा लेने के लिए होता है। दूसरा जो एकाउन्ट उसी का पार्ट रहता है, उसको लोक लेखा या पब्लिक एकाउन्ट बोलते हैं। अब पब्लिक एकाउन्ट में कौन सा पैसा है । नाम ही है- पब्लिक एकाउन्ट। वह पब्लिक का

पैसा है । वह सरकार का पैसा नहीं है । वह पब्लिक का पैसा है, जी.पी.एफ. का पैसा है, ठेकेदार की जो सिक्यूरिटी मनी है, उसका पैसा है, पेंशन का पैसा है । मतलब वह पब्लिक का पैसा है, लेकिन सरकार के पास रखा हुआ है । सरकार जरूरत पड़ने पर उस पब्लिक एकाउन्ट में से भी पैसे को खर्च कर सकती है। उसके लिए उसे विधान सभा में आने की जरूरत नहीं है, लेकिन पब्लिक एकाउन्ट में से उसको बहुत ज्यादा पैसा निकालती है तो उसे विधान सभा को सूचित करती है । तीसरा, उसमें एक और खाता होता है, वह *Contingency Fund* कहलाता है । *Contingency Fund* मतलब आकस्मिकता निधि । हम लोग अपने घर में तनख्वाह ले जाते हैं तो सबको एक-एक एरिया में बांट देते हैं कि यह राशन का हो गया, यह फीस का हो गया, यह इसका हो गया, उसका हो गया, लेकिन कम से कम दो-चार हजार रूपए सब लोग अपने घरों में एमरजेंसी के लिए रखते हैं । हम कहीं घूमने के लिए भी जाते हैं तो इधर की जेब में अलग पैसा, इधर की जेब में अलग पैसा, यह शॉपिंग के लिए, यह होटलिंग के लिए रखते हैं और अंतिम में भी एमरजेंसी के लिए 100-200 रूपए रखते हैं कि अगर सब पैसा खतम हो जाये तो आखिरी जो बचेगा, उसको लौटकर कैसे आना है तो जो आकस्मिकता निधि है, उसको अगर हम इस रूप से सोचें कि एमरजेंसी फंड । अब यह *Contingency Fund* जो होता है, उसे सरकार कब उपयोग करती है ? जब हमारे संचित निधि के जो प्रस्ताव विधान सभा से पारण के बाद में खर्च हो गया है और उसके बाद अचानक कोई ऐसी जरूरत हो गई । जैसे आपके घर में अचानक मेहमान आ गये और आपने मेहमान के लिए एक दिन, दो दिन का इंतजाम पहले से ही रखा था कि मेहमान दो दिन के लिए आएगा । यदि तीन मेहमान आ गए, अब उस मेहमान का क्या करोगे ? आप अपने बजट में न तो फीस में से काट सकते हो, न राशन में से काट सकते हो, न कपड़े में से काट सकते हो । सबको धोबी का हिस्सा देना ही है । ऐसा जो बजट है, वह तो आप दे ही रहे हैं तो आप क्या करोगे ? इस *Contingency Fund* में से कुछ पैसा निकालकर उसमें खर्च कर दोगे । अब वह पैसा जो आप खर्च करोगे, वह विधान सभा के द्वारा पारित नहीं है और आपको खर्च करने का अधिकार एमरजेंसी के लिए है । इसीलिए जैसे ही विधान सभा में जाने का पहला अवसर मिलता है तो जितना रूपया उस *Contingency Fund* में से खर्च करते हो, उतना रूपए बजट के माध्यम से उस पैसे को बजट में डाल दोगे और बजट के माध्यम से वह पैसा फिर *Contingency Fund* में आ जाएगा । मतलब दो हजार रूपए में 500 रूपए खर्च किये तो जैसे ही पहला तनख्वाह आपको मिला तो सरकार पहला काम क्या करती है ? उस 500 को पहले 2 हजार बना देती है । *Contingency Fund* को वहां पर पहले रख लेती है, ताकि वह एमरजेंसी का फंड बना रहे और वह जो 500 रूपए खर्च हुए थे, उसको बजट में डालकर फिर पारण करा लेती है। मुख्य रूप से बजट समझ में आ गया यानी "आया और गया" । जैसा कि मैंने बताया कि दो तरह के आय के स्त्रोत हैं, Tax और other than tax. एक तो हमारा राजस्व से आया होता है, जिसमें टैक्स और नॉन टैक्स के द्वारा जो कैश आता है और एक Capital gain भी होता है । यदि हमने कहीं सरकारी जमीन बेचा है, उससे आय हुई हो,

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कोई हमने रोड बनाया है, इस्टिंट्यूट बनाया है, कोई भी ऐसी चीज जो बनी हुई है, उससे जो आमदनी हो रही है, यह सब हमारा कैपिटल गैन है । आवक में राजस्व और कैपिटल जैसे है, वैसे ही जब हम खर्च करते हैं तो खर्च में भी अक्सर हम लोग सुनते हैं कि Capital expenditure और Revenue expenditure। सुनते हैं कि नहीं ? पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय । अब यह पूंजीगत व्यय क्या होगा, जो हमारा पैसा आया, हमने जिस पैसे को किसी ऐसे कार्य में लगाया जिसमें पूंजी का निर्माण हो रहा है । जैसे हमने सड़क बनाया, हमने बिल्डिंग बनाया, हमने इंस्टिट्यूट बनाया, जो कुछ ऐसा चीज बनाते हैं, जो विकास भी करता है और आने वाले समय में हमको उसका लाभ भी देता है । कैपिटल के रूप में वह हमें तैयार होता है । जैसे हम लोग घर में खर्च करते हैं तो मकान बना लिये, जमीन बना लिये, सोना खरीद लिये, गहना खरीद लिये, यह सब क्या है पूंजी है । Revenue expenditure यानी ऐसा expenditure जिसमें हम खर्च तो करते हैं, लेकिन उसका लाभ नहीं आता है, वह लौटता नहीं है । वह जरूरी खर्च भी है । जैसे establishment का खर्च है, वह जरूरी ही है, आपको उसे करना ही है । लोगों का तन्ख्वाह सारे आपके जो खर्च होते हैं, उस खर्च को करना है । अभी जैसे 5 किलो चावल देने की योजना बन रही है, चावल तो दोगे, पैसा जायेगा, लौटेगा थोड़ी ? जैसे आप जाते हो, तीर्थ गये, दान किये, पूजा किये, कहीं घूमने गये हो, वहां खर्च किये] होटलिंग में खर्च किये । खर्च तो हो रहा है, लेकिन उस खर्च से पैदा थोड़ी हो रहा है ? वह बन नहीं रहा है, लेकिन वह खर्च हो रहा है । ऐसे खर्च को Revenue expenditure कहते हैं । कुलमिलाकर आय और व्यय में जो आपका capital हो गया, revenue के रूप में जो आय आई, capital + Revenue expenditure हुआ, दोनों को जोड़ घटा दिये, जो बचा वह आपका deficit हो गया । उसी को physical deficit कहते हैं, सकल घरेलू घाटा कहते हैं, बजट के कुछ ऐसे शब्द हैं कि बजट का पारण कैसे होता है ? पहले तो वित्त मंत्री के द्वारा संविधान में धारा 202 से लेकर 207 तक राज्य की विधानसभाओं में बजट पारित होता है, उसके लिये वह अधिकार है और राज्यपाल के आदेशानुसार, वित्त मंत्री पढ़ते हैं लेकिन वह राज्यपाल का रहता है । राज्यपाल कौन हैं, हमारे हेड ऑफ स्टेट हैं ? सभी मंत्री राज्यपाल के द्वारा शपथ लेते हैं और इसलिये आप देखोगे कि जो भी बिल पास होता है, विधान सभा का काम क्या है ? मुख्य रूप से अगर देखें तो विधान सभा का काम दो ही है । एक सूचना प्राप्त करना और दूसरा विधेयक पारित करना, कानून बनाना । बजट पारण, इसमें भी अंत में विधेयक पारित होता है, इसलिये मैंने दो कर दिया है । सामान्यतौर पर तीन बताते हैं, सूचना प्राप्त करना, कानून बनाना और बजट पारित करना, लेकिन बजट पारण में भी एक विधेयक आता है, विनियोग विधेयक, जिसमें खर्च करने का है तो यह भी विधेयक की श्रेणी में आ गया है, अंत में सब होने के बाद यह नहीं होगा तो इसकी कोई प्रक्रिया नहीं है । वित्त मंत्री का भाषण होता है सामान्य बजट पर पूरा ले आकर एक साल का, जैसे पिछली बार वर्ष 2021-2022 लगभग 1 लाख 4 हजार करोड़ के आसपास था, उन्होंने अपना बजट प्रस्तुत कर दिया । बजट में वह बताते हैं कि इस विभाग को इतना दिया, सारा

वित्त मंत्री का भाषण होता है, वित्त मंत्री के भाषण पर सामान्य चर्चा होती है, सारे विधायक उस पर अपनी-अपनी बात कहते हैं, अपने-अपने क्षेत्रों की बात कहते हैं, वित्त मंत्री के भाषण के पश्चात् चर्चा उपरान्त वह पारित हो जाता है । वह पारित नहीं होता है, उसका पारण नहीं होता है, वित्त मंत्री जी का भाषण हुआ, चर्चा हुआ और खत्म हो गया । उसमें कोई वोटिंग नहीं होती है, इसलिये पारण में नहीं आयेगा। सामान्य चर्चा है, उन्होंने सदन को जानकारी दी । आपने अपनी बात रखी है । अब उसके बाद डिपार्टमेंट वाईज अनुदान मांगों पर चर्चा होती है । अब डिमांड कौन कर रहा है, सरकार कर रही है । नाम है, अनुदान । दान मांग रही है । दान किससे मांग रही है ? आपसे मांग रही है । आप कौन ? विधान सभा के सदस्य । विधान सभा के सदस्य कौन, Representative of peoples यानी दान किससे मांग रही है, प्रदेश की जनता से दान मांग रहे हैं । अनुदान यानी दान के अनुसार, जो आप दोगे । आप नहीं दोगे तो कुछ नहीं कर पायेंगे, इसलिये उसमें दान शब्द लिखा है । यह डिमांड कर रहे हैं, मांग रहे हैं, इसलिये लिखा रहता है मांग संख्या- इतना । ये मांग रहे हैं और आप उसको देते हो, चर्चा करते हो । चर्चा के बाद उसमें वोटिंग होती है । अध्यक्ष महोदय, हां की जीत, ना की हार कराते हैं और उसके बाद वह पारण होता है। इस बीच में आपको एक और अधिकार रहता है, हर विभाग के अनुदान मांगे जो प्रस्तुत होती है, उसमें कटौती प्रस्ताव रखा जाता है । सामान्यतौर पर कटौती प्रस्ताव सत्तारूढ़ दल के लोग नहीं रखते हैं । ऐसा नहीं है, विधान सभा के कोई नियम में नहीं लिखा है, कोई संविधान में नहीं लिखा है, लेकिन कटौती प्रस्ताव यदि आप प्रस्तुत करोगे तो आप ही की सरकार है, यह माना जायेगा कि आप सरकार के खिलाफ है । कटौती प्रस्ताव सामान्यतौर पर तीन आधार पर रखे जाते हैं । एक नीतिगत आधार होता है, यह जो पालिसी बनाया है, उससे हम सहमत नहीं है । शिक्षा नीति में ऐसा होना चाहिये । आत्मानंद स्कूल में जो अभी पढ़ाया जा रहा है, वह नहीं बल्कि सी.बी.एस.सी.बोर्ड होना चाहिये, इसलिये यह जो पैसा दिया जा रहा है, उससे हम सहमत नहीं है । यह एक नीतिगत हो गया । दूसरा होता है मितव्ययता का प्रस्ताव । इस योजना में 250 करोड़ रूपया रखा गया है, हमारी दृष्टि से इसमें 250 करोड़ नहीं बल्कि 235 करोड़ ही लगना चाहिये, सरकार इसमें 15 करोड़ रूपया ज्यादा रख रही है और तीसरा होता है सांकेतिक कटौती प्रस्ताव । कुछ समझ में नहीं आया तो लिख दिये कि मेरे क्षेत्र में हाई स्कूल नहीं खोला गया इसलिये इस अनुदान मांग के लिये शिक्षा विभाग को 2000 करोड़ रूपये दे रहे हो, इसलिये इसमें से 1 रूपया तक की कटौती की जाये । अगर शासन से 1 रूपया की भी अगर कटौती हो जाती है तो यह माना जायेगा कि शासन ने जितनी तैयारियां की है, जो कुछ किया है, कटौती प्रस्ताव कब पारित होगा, जब पारण के समय अध्यक्ष द्वारा वोटिंग कराई जाती है कि यह अनुदान मांग फलाना-फलाना पारित किया जाता है। हां या ना, हां या ना। मान लीजिए कि यदि कटौती प्रस्ताव जीत गया तो एक तरह से सरकार का बजट फेल हो जाएगा। उस एक रूपये की कटौती से भी उस सरकार के बजट का पारण नहीं होगा क्योंकि सारे विभागों की अनुदान मांगों के पारण के पश्चात्

जब विनियोग विधेयक लाया जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि सारे विभागों की अनुदान मांगों का पारण होगा और पारण के बाद विनियोग विधेयक आता है। विनियोग विधेयक का अर्थ है कि सरकार आपसे खर्च करने का अधिकार मांगती है। पहले सरकार बजट प्रस्तुत करती है, बजट पर चर्चा होती है और फिर अलग-अलग विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा होती है और फिर उसका पारण होता है। पारण का अर्थ पारित करना होता है। उसके बाद तीसरे स्टेप में विनियोग विधेयक आता है कि हमने जो विनियोग मांगा है, उसको खर्च करने का हमें अधिकार दिया जाए। अगर आपने विनियोग विधेयक में सरकार को खर्च करने का अधिकार नहीं दिया तो तमाम पारण के बाद भी सरकार खर्च नहीं कर पाएगी। कुल बजट का क्या अर्थ हुआ? आखिरी निष्कर्ष यह है कि सरकार जनता के सामने पूरी योजना लाएगी कि कहां से पैसे आएंगे और कहां-कहां उसको खर्च करेंगे। सरकार आपके माध्यम से जनता के सामने उसको रखती है कि हमारी ये-ये योजनाएं हैं। हम इतनी योजना में खर्च करेंगे और इतनी गैर योजना में खर्च करेंगे। इसमें खर्च दो प्रकार के होते हैं - आयोजना और आयोजनेत्तर। Plan और Non Plan. आयोजना खर्च वह है जिसकी बजट में पहले से प्लानिंग की गई है और आयोजनेत्तर खर्च वह होते हैं, जैसा मैंने बताया कि Establishment का खर्च या अचानक कोई चीज पैदा हो गयी और उसमें आपको पैसे खर्च करने पड़े और जिसकी कोई प्लानिंग नहीं थी। जैसे आपने किसी बड़े फंक्शन में पैसे खर्च कर दिये और जो आपकी प्लानिंग में नहीं थी। उस पैसे को Non Plan में डालेंगे। तो Plan और Non Plan दोनों खर्च होते हैं। यह खर्च करने का सारा ब्योरा प्रस्तुत करने के बाद और तमाम पारण के बाद विनियोग विधियेक के माध्यम से सरकार आपसे अधिकार मांगती है कि आप हमको संचित निधि में से इतने करोड़ रूपये निकालकर दे दीजिए। किस निधि से? जो निधि संचित है। पब्लिक अकाउंट में से नहीं देते हैं, Contingency में से नहीं देते हैं। इसमें भी दो टेक्नीकल चीजें हैं। दो तरह के व्यय होते हैं। एक होता है मतदेय व्यय और दूसरा होता है भारित व्यय। एक व्यय वोटिंग के द्वारा होता है और दूसरा By Charged होता है। यदि आपने बजट पारित नहीं किया, आपने अनुदान मांगे पारित नहीं की, आपने विधेयक पारित नहीं किया तो उसमें भारित व्यय को सरकार खर्च करने के लिए अधिकृत है। सरकार उसको खर्च करने के लिए आपसे नहीं पूछती है। सरकार किसको खर्च करने के लिए आपसे पूछती है? जो मतदेय है। मतदेय शब्द मतलब, उन्हीं पैसों पर आपके मत की आवश्यकता है। उसमें लिखा रहता है कि यह मतदेय है। यह पैसा मत के अनुसार है। हालांकि जो बजट प्रस्तुत होता है उसमें मतदेय और भारित दोनों एकसाथ रहता हे। लेकिन मान लीजिए कि यदि बजट फेल हो जाता है तो भी भारित व्यय पक्का होगा। भारित व्यय में कैसे आता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, विधान सभा अध्यक्ष, लोक सभा अध्यक्ष, जस्टिस के वेतन हैं। भारित व्यय की ऐसी एक परिभाषा है। सरकार चाहे तो विधान सभा के अंदर लाकर अपनी भारित संख्या को बढ़ा सकती है। उसको विधान सभा में आपसे पारित कराकर कि हम इन-इन व्यय को भारित व्यय में रखते हैं। यदि उसको एक बार भारित व्यय में रख दिया तो उसमें आपका वोट मिले या न मिले, उससे कोई फर्क नहीं

पड़ता है। मुझे लगता है कि अब तक विनियोग विधेयक तक आपको समझ में आ गया होगा। पैसा आया-गया, खर्च किया गया और खर्च करने का अधिकार मिल गया। विनियोग विधेयक पारित होने के बाद यहां से साइन होकर वह राज्यपाल के यहां जाता है और वहां से साइन होकर विभाग में जाता है। मैं उन प्रक्रियाओं को नहीं बता रहा हूं कि बजट कैसे बनाया जाता है क्योंकि उसमें और लंबा समय लगेगा। यदि नये विधायकों को बजट में कुछ जोड़वाना हो तो सामान्य तौर पर जुलाई-अगस्त से बजट बनाने की प्रक्रिया चालू हो जाती है इसलिए आप लोगों को अपने क्षेत्र में यदि कोई काम जोड़वाना या लिखवाना है तो विभागीय मंत्री और सबको पहले से उसकी जानकारी देनी चाहिए। मार्च खत्म होते-होते आपको पहले से ही देनी चाहिए। वह चीजें बजट में जाएंगी क्योंकि फिर उसका जमीनी सत्यापन, उसका डी.पी.आर. बनाना, जो कुछ भी वह लोग देखेंगे। वह विभिन्न प्रकार की प्रशासकीय प्रक्रियाओं से गुजरता है। फिर वह महालेखाकार के यहां भी जाता है। उसको भी देखते हैं और उसके बाद वह आता है। फिर विभागीय मंत्री, वित्त मंत्री की अंदरूनी प्रक्रियाएं चालू रहती हैं। यह बजट बनाने की प्रक्रिया है।

हम लोग लेखानुदान (Vote On Account) को पढ़ते हैं। यह बजट तो पूरे एक साल के लिए रहता है। लेकिन कई बार जैसे मान लीजिए कि अभी केन्द्र सरकार का जो बजट पेश होगा, वह 2-3 महीने के लिए ही होगा। उसमें पूरे 1 साल का ब्योरा नहीं होगा। वह 2-3 महीने की इमरजेंसी के लिए है। तो वह Vote On Account करेंगे। उसमें पूरी विस्तृत चर्चा नहीं होगी। उसको सीधे ले आएंगे और वहां रखेंगे। वहां चर्चा हो जाएगी। Vote On Account मतलब उसमें हर विभागवार चर्चा नहीं होगी, अनुदान मांगे नहीं होंगी। वह एकसाथ आएगा और रख दिया जाएगा और उसमें आपसे वोटिंग करा ली जाएगी। सरकार को सीधे अधिकार दे दिया जाएगा कि यह है। एक शब्द है - वित्त विधेयक। सामान्य तौर पर हमारे यहां वित्त विधेयक का प्रचलन नहीं है। लेकिन केन्द्र सरकार में वित्त विधेयक आता है। वित्त विधेयक किसको कहते हैं? वित्त विधेयक उसको कहते हैं कि एक तो विनियोग विधेयक होता है जिसमें सरकार को खर्च करने का अधिकार है और वित्त विधेयक जो अलग से कानून बनता है उसमें टैक्सेशन का होता है कि इस पर इतना रूपये टैक्स बढ़ाया गया। विनियोग विधेयक की चर्चा में विनियोग में कोई परिवर्तन नहीं होता है लेकिन वित्त विधेयक में चर्चा के दौरान सरकार चाहे तो उसमें परिवर्तन कर सकती है। उसको यह अधिकार रहता है क्योंकि वह टैक्स लगाती है और सामने वाले कहते हैं कि इसपर इतना टैक्स नहीं लगाना चाहिए और इसको कम करना चाहिए तो सरकार उसमें परिवर्तन कर सकती है। लेकिन विनियोग में नहीं कर सकती है।

तीसरा, हम लोग अनुपूरक अनुदान शब्द सुनते हैं। अभी जब नई सरकार बनी तो सरकार बनते ही दो दिन का विधान सभा का सत्र हुआ था। उसमें अनुपूरक अनुदान आया था। अनु का अर्थ अनुसार और पूरक का अर्थ सप्लीमेन्ट्री होता है। जो बजट चल रहा है उसके पूरक के लिए हमको इतने पैसे चाहिए। उन्होंने उसके कारण बताये कि इसके लिए इतने करोड़ रूपये, इसके लिए इतने करोड़ रूपये। ऐसे

ही जो बजट सालभर के लिए पारित हुआ रहता है, उसके बावजूद भी हर तिमाही में जब सरकार ऐसा महसूस करती है कि यह चलते हुए बजट के साथ-साथ भी जो बजट का पारण हुआ है, उसके अलावा भी हमको विभिन्न योजनाओं में या नई योजनाओं के लिए पैसा चाहिए तो वह अनुपूरक बजट के रूप में आपको ले आती है और fiscal deficit जो होता है, वह केन्द्र सरकार ने 2003 में एफ.आर.बी.एम. (Fiscal Responsibility & Budget Management) कानून बनाया था । इसमें बहुत स्पष्ट है कि हमारा सकल घरेलू जो घाटा है, जो fiscal deficit है, वह किसी भी सूरत में जी.डी.पी. का 3 प्रतिशत से ऊपर नहीं रहना चाहिए । अब जी.डी.पी. क्या है ? जी.डी.पी. मतलब Gross Domestic Product है। अगर अब जी.डी.पी. भी हम लोग देखें तो इसमें तीन सेक्टर होते हैं, जिसमें एग्रीकल्चर, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग होता है। प्रायमरी, सेकेण्डरी और थर्ड । मैन्युफैक्चरिंग सेकेण्ड होता है, थर्ड सर्विस होता है । तीनों के द्वारा जो भी उत्पादन होता है, उसको मूल्यों के रूप में देखा जाता है तो जो Gross Domestic Product के रूप में देखा जाएगा । टोटल देश भर का, टोटल प्रदेश भर में हमारी खेती में, हमारी उद्योग में, हमारे विभिन्न प्रकार के सर्विसेस के द्वारा जो पैदा हो रहा है, उसका मूल्य क्या है और उस मूल्य के आधार पर उस राज्य या देश की जी.डी.पी. तय होती है । मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ की जी.डी.पी. 5 लाख करोड़ के आसपास की है और पिछली बार जब पिछली सरकार थी तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैं ऋण नहीं ले रहा हूं । उन्होंने उसको बड़ा हाईलाईट किया था । मैंने कमेंट्स किया था कि इसलिए ऋण नहीं ले रहे थे कि जो सकल घरेलू घाटा है, वह उनके जी.डी.पी. से 2.99 प्रतिशत था । मतलब जो 3 प्रतिशत का अपर कैप है, उसको वह छू रहा था इसलिए उन्होंने लोन नहीं लिया क्योंकि लोन लेते तो लोन के लिए अगर उसमें और बजट बढ़ाते, घाटा बढ़ता तो उसके लिए कहीं न कहीं से लोन लेना ही पड़ता तो उन्होंने घाटे को कम करके किया तो ऐसा कैल्कुलेट करते हुए 2.99 पर उन्होंने छोड़ा। वह उस एक्ट में है और उस एक्ट में, एफ.आर.बी.एम. में अधिक से अधिक आधा प्रतिशत तक का और ज्यादा छूट दिया गया है और नहीं होगा तो उसका नुकसान क्या होगा ? आपकी जो केन्द्रीय योजनाएं हैं, उसमें केन्द्र सरकार आपके पैसे को रोक सकती है । क्यों ? क्योंकि आप इतने कर्जदार हो गए हो और आप पैसा दे तो रहे हो । आपका जो Financial Management है, वह इतना जा रहा है कि आप कैसे लौटाओगे ? हम बैंक से भी पैसा लेते हैं तो उसको लौटाना पड़ता है । जैसे Overdraft आता है कि सरकार के ऊपर ओव्हरड्राफ्ट हो गया तो Overdraft किसको कहते हैं । Overdraft उसे कहते हैं, जो संचित निधि में से पैसा निकाला जा रहा है और उस संचित निधि में निकाला गया पैसा हमारे एकाउन्ट से ज्यादा हो गया। जितना पैसा था, उससे ज्यादा हो गया तो वह Overdraft हो जाता है । कुछ शब्दों को जरूर हम लोगों को समझना चाहिए । जो मोटे-मोटे है, वह मैंने बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से हमारा जो विधेयक है । कुल मिलाकर अगर हम विधेयक देखें या बजट देखें तो हमारा बजट तीन प्रकार का होता है । बजट जो हमारे घर का बजट है । केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के बजट में से उसकी बेसिक चीज में आपको

कोई भी अंतर नहीं दिखाई देगी । हमें कुछ ऐसे शब्द जरूर परेशान करते हैं-जैसे लेखा, शीर्ष । लेखा को अंग्रेजी में एकाउन्ट बोल दोगे, जो लिखा गया है, उसका नम्बर है । आजकल तो सब नम्बर पर ही है । शीर्ष मतलब हेड । अब यहां जितने लोग बैठे हैं, अगर उनका सिर ही नहीं रहेगा तो उसकी पहचान कैसे रहेगी ? रहेगी क्या ? सबका अलग-अलग चेहरा है या नहीं है ? तो उसी तरीके से सिर से पहचान होती है । आजकल तो नाम की भी जरूरत नहीं है, आजकल आधार नम्बर से पहचाना जा रहा है । वैसे ही इसमें एकाउन्ट नम्बर और लेखा शीर्ष नम्बर रहते हैं, इस नम्बर से जो वित्त विभाग और लेन-देन खर्च करते हैं, उसमें यह योजना है तो फलां नम्बर की है, ये योजना इस शीर्ष में जाएगा, इस हेड में जाएगा । हेड बोलने से समझ में आ रहा है । हेड के साथ तो चेहरा है न । तो चेहरा है तो उस योजना का है । आपका जो नाम है, वह उस नाम के साथ है । तो वैसे ही उस योजना के साथ वह हेड है तो यह जो चीजें थोड़ा सा परेशान करती है । अब वित्त का पारण हो गया, आपने यहां से पैसा दे दिया । अब पैसे को चेक करने का है कि पैसा ठीक से खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है तो इसके भी तीन सिस्टम हैं । तीन जगह पर इसकी निगरानी होती है । एक तो सरकार के जो एक्जीक्यूटिव हैं, वह देखते हैं कि जिस काम के लिए पैसा गया है, वह पैसा उस काम के लिए वहां खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है । यह अधिकारी स्तर की बात है, यह उनकी ड्यूटी है। दूसरे, प्रदेश में महालेखाकार रखे गए हैं । वह देखते हैं कि जिस पैसे को जिस काम के लिए दिया गया, वह उतना पैसा खर्च हुआ या नहीं हुआ । इसलिए महालेखाकार की रिपोर्ट भी आती है और तीसरी है-विधान सभा की समितियां । मतलब जनता सीधे । आप मतलब आप कौन हो ? आप Representative of the people । आप जहां हो, वह जनता है । मतलब पहला यह हो गया कि सरकार देखती है । सरकार मतलब जो अधिकारी है । दूसरा, सी.ए.जी. देखती है और तीसरा आप देखते हो । आप तीन कमेटियों के माध्यम से जो आर्थिक नियंत्रण है, वह विधान सभा की तीन कमेटियों के माध्यम से देखते हो, जिसमें लोक लेखा समिति, दूसरा-प्राक्कलन समिति और तीसरी-सार्वजनिक उपक्रम समिति, पब्लिक सेक्टर की जो कमेटी है । क्योंकि पैसे जो हैं, वह अधिकतर इन्हीं जगहों पर जाते हैं, खर्च होते हैं तो वित्तीय अनुशासन के लिए तीन स्थान है । सरकार का पैसा है तो सरकार तो खर्च करने की एजेंसी है । पैसा किसका है ? जनता का । We the people और हम कौन हैं ? उनके प्रतिनिधि हैं इसलिए हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम इन चीजों पर निगरानी रखें इसलिए सभा के द्वारा यह निश्चित किया गया है कि ऐसी तीन कमेटियां जिसको आर्थिक नियंत्रण और आर्थिक नीतियों का, जो विधान सभा के द्वारा पारित होता है, उसमें इस चीज को बताया गया है । मोटे तौर पर बजट जो एक मिनट में वही जो हर प्रकार का आय और हर प्रकार का व्यय, उसको घटा दो, वह चलेगा । बजट भी तीन प्रकार के कहते हैं जिसमें एक माईनस बजट, प्लस बजट या सरप्लस बजट और एक जीरो बजट । जीरों बजट ऐसा रहता है कि जीरों बजट है, इसका मतलब यह नहीं है कि एक हजार रूपए आया और एक हजार रूपए खर्च हो गए । यह जीरो बजट नहीं है क्योंकि जो

आएगा, वह खर्च होगा ही । सरप्लस बजट को भी अच्छा नहीं माना जाता है । डेव्हलपिंग के लिए यह हमेशा माना जाता है कि थोड़ा माईनस बजट रहे, लेकिन मेंटनेबल रहे । क्योंकि कोई व्यक्ति या कोई परिवार या कोई सरकार, कोई राज्य अगर डेव्हपल कर रहा है तो उसको पैसे की ज्यादा जरूरत पड़ेगी । मतलब उसके पास इतनी योजना होगी कि उसमें वह खर्च करना चाहेगा तो भी कम पड़ेगा । यदि उसके पास पैसा बच रहा है तो यह मान लो कि वह डेव्हलपिंग नहीं है तो वह सरप्लस बजट होता है । जीरों बजट यह होता है कि जैसे बहुत साल से योजनाएं बजट में चली आ रही है और इसमें यह लगा कि अभी इस योजना की जरूरत नहीं है, इसको हटा दें । जो भी योजना पिछली सरकार की होगी, अभी आप लोग हटाएंगे। जो बजट प्रचलन में आ रहा है, उसे जीरो-जीरो डालते जाओगे । वह योजना धीरे-धीरे खत्म हो जायेगी, इसे जीरो बजट कहते हैं । जीरो बजट का कांसेप्ट बहुत बाद में आया । पहले दो ही आता था, इस हिसाब से आप सबके माध्यम से पूरे प्रदेश के लोगों के जनहितकारी जो आय-व्यय है और पैसा है, वह सरकार खर्च करने का अधिकार लेकर जनता के बीच खर्च करती है, मुझे जितना समझ में आया, थोड़े से तरीकों से आपको इस बजट को समझाने का प्रयास किया । इसमें जो कुछ जानना चाहेंगे, दस-पांच मिनट में clear करूंगा । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

उद्घोषक :- माननीय सदस्यगणों के विषय से संबंधित अगर कोई जानकारी हो, कोई प्रश्न हो, जो जानना चाहते हैं तो वह पूछ सकते हैं ?

श्री रिकेश सेन (वैशालीनगर) :- आदरणीय, संचित निधि जिस विषय पर आपने बताया है, उसमें संचित निधि को खर्च करने का अधिकार सीधा वित्त मंत्री को होता है या उसे विधान सभा के पटल पर लाना होता है ?

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय :- विधान सभा में जो पारण होता है, वह संचित निधि का ही होता है । विधान सभा के द्वारा पारित करने के पश्चात् ही कोई खर्च कर सकता है । लोक लेखा, पब्लिक एकाऊन्ट मनी जो है, उसको बिना विधान सभा में लाये सरकार खर्च कर सकती है, contingency का खर्च कर सकती है, इसलिये विनियोग विधेयक जो लिखा जाता है, हर अनुदान मांगों में लिखा रहता है कि मैं संचित निधि में से इतना करोड़ रूपया इस-इस मांग के लिये प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री रिकेश सेन :- संचित निधि जो है, विपरीत परिस्थिति में खर्च किया जाता है या उसे पहले से ही बजट में ले लिया जाता है ।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय :- संचित निधि तो जो पूरा आया रहता है, टैक्स के द्वारा, नॉन टैक्स के द्वारा, लोन के द्वारा, अनुदान के द्वारा, जितने प्रकार के पैसे आते हैं, सब संचित निधि में जाते हैं, एक्सेप्ट जो पब्लिक एकाऊंट वाले हैं, contingency fund जो है, उसके लिये भी सरकार के द्वारा कानून बनाया जाता है, विधान सभा से पारित रहता है कि इतने करोड़ रूपया हमारी संचित निधि में होगी। उस समय हम लोग थे तो 60 करोड़ रूपये था, अब शायद 100 करोड़ रूपया होगा । 100 करोड़ रूपया

contingency में रखा हुआ है । मतलब कोई ऐसा काम बजट में नहीं है, वित्त मंत्री जी चाहेंगे तो 3 करोड़, 5 करोड़, 2 करोड़ रूपये, ऐसा देकर 100 करोड़ रूपये तक खर्च कर सकते हैं ।

श्री रिकेश सेन :- आदरणीय हम लोग अधिकतर अखबार में पढ़ते हैं कि वर्तमान सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने इतने हजार करोड़ रूपये का कर्ज लिया है । सरकार के कर्ज लेने की क्या लिमिट होती है, पिछली सरकार ने जैसा कि 80 हजार करोड़ रूपया का कर्ज इस सरकार को देकर गई है । इस सरकार में क्या कर्ज लिया जा सकता है और इसकी लिमिट क्या होती है ? इसके विषय में हम लोग अधिकतर अखबार में पढ़ते हैं । इसकी जानकारी नहीं है, जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ ।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय :- जी.डी.पी. के 60 परशेंट तक कोई सरकार लोन ले सकती है । राज्य सरकार 60 परशेंट तक और केन्द्र सरकार 40 परशेंट तक लोक ले सकती है । आपकी जितनी पूंजी है, जो हर प्रकार से कमाये हो, उसका 60 परशेंट । जैसे आप बनिया की दुकान में जेवर रखने जाते हो, सुनार के यहां जाते हो ना ? जब रखने जाते हो तो वह क्या देखता है, वह 100 का 100 रूपया थोड़ी देता है, वह उसमें बट्टा-कट्टा अपना सब काट कूट के कहता है कि हम आपको 60 रूपया तक देंगे । वह 60 रूपया तक देगा और बाकी ब्याज तो जो लगेगा ही । सब को दिखाकर आप 60 रूपया तक कर्ज दे सकते हो । स्टेट गवर्नमेंट 60 परशेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 40 परशेंट है ।

श्री अटल श्रीवास्तव (कोटा) :- सर, आपने राज्य का बजट बताया कि इतनी आय हुई और इतना खर्च हुआ । केन्द्र सरकार राज्यों को किस-किस तरह से मदद करती है ? जी.एस.टी. है, कोयले की रायल्टी है, खनिज संसाधन की रायल्टी है या किसी योजनाओं से भी केन्द्र सरकार राज्य को मदद करती है, जिससे राज्य सरकार का बजट ठीक हो सके । उसका क्या प्रोसेस है ?

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय :- केन्द्र सरकार जो हमारे यहां से टैक्स लेकर जाती है, उस टैक्स को एक untied fund के रूप में पहले देती है, untied fund यानी वह पैसा आप ही के यहां से टैक्स गया है । मान लीजिए आपके यहां से 100 रूपया टैक्स यहां से गया है । विभिन्न प्रकार के taxes, Income Tax, G.S.T. सारे प्रकार के हैं । वर्तमान में आपको 42 रूपया untied यानी शुद्ध लौटा देती है । इस 42 रूपया को अपने अनुसार योजना बनाकर खर्च कीजिए । मोदी जी के पहले यह 32 रूपया मिलता था और आपका 68 रूपया जो है, वह योजनाओं के माध्यम से मिलता है । आपको 68 रूपया भी मिलेगा, लेकिन उसके लिये योजना केन्द्र सरकार बनायेगी। पानी का, आयुष्मान का, जो कुछ बनायेगी । उसमें आपका एक share money होगा । कभी 75:25, कभी 60:40, कभी 50:50, कभी 70:30, जो बचा हुआ पैसा है, केन्द्र सरकार के पास पैसा कहां से आयेगा ? केन्द्र सरकार के पास जो पैसा आना है, वह राज्य सरकारों के ही माध्यम से आना है । कहीं से भी आयेगा, किसी भी रूप में आयेगा, जी.एस.टी. हो, इंकम टैक्स हो, भारत के भू-भाग का जो राज्य है, उस राज्य में रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा ही तो वह अर्जन होगा । आप ही के थ्रू वह वसूलती है, भले ही वह डायरेक्ट टैक्स ले रही है, लेकिन देने वाले आप हो

और इसलिये वह आपको 42 परशेंट लौटाती है । उनके पास corporate tax और सारे टैक्स लेकर आपको 42 परशेंट और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से भी देती है और आप कोई ऐसी योजना भी बनाना चाहते हो, जो नई योजना है और आपके पास उस योजना में खर्च करने का पैसा नहीं है, केन्द्र सरकार उस पर ऋण भी देती है और अनुदान भी देती है । जैसे की 100 रूपया की कोई योजना बनाये तो वह बोलेगा कि 50 रूपया हम अनुदान के रूप में देंगे और 50 रूपया ऋण के रूप में देंगे । जैसे कि आपके यहां कोई काम के लिये आया कि यह काम मुझे करना है और इसमें मुझे एक ठेला लगाना है, मेरे पास 500 रूपया है, आप मेरे को 1000 रूपया दे देते, तो वह बोलेगा कि भई हम आपको 1000 रूपया तो नहीं देंगे, 500 रूपया हम दे देंगे, जो तुम लौटाना नहीं, यह अनुदान है और 500 रूपया ऋण है, जब कमाना तो लौटा देना । केन्द्र सरकार आपको ऐसी भी मदद करती है ।

श्री द्वारिकाधीश यादव (खल्लारी) :- आदरणीय, आपने जो बहुत अच्छी बातें बताई है, मैं उसके लिये आपको धन्यवाद देता हूँ । मैं यह जानना चाहता हूँ कि राजस्व व्यय में हमारे देश के अंदर छत्तीसगढ़ में क्या स्थान है और हमसे ज्यादा कौन सा ऐसा प्रदेश है, जो राजस्व पे कर रही है ।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय :- सबसे अगर घाटों में अगर देखोगे तो आपके दक्षिण में जायेंगे, मेरे को लगता है कि तमिलनाडु सबसे ज्यादा है । तमिलनाडु है, बंगाल है, बिहार है, यह राज्य हैं, जिस पर राजस्व घाटा बहुत है । पंजाब है ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- नहीं, राजस्व व्यय करने में हमारे राज्य का क्या स्थान है, मैं यह जानना चाह रहा था ?

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय :- आप यह देख लेना, राजस्व व्यय का मतलब आप पहले समझ जाओ । राजस्व व्यय तो समझ गये ना । क्या ?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- जिससे निर्माण कार्य होता है...।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय :- जिसमें निर्माण कार्य नहीं होता है । हां ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- वह व्यय होता है, जिसकी वापसी नहीं है ।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय :- जो व्यय हो गया, जैसे होटल खर्चा, दान, अयोध्या घूमने चले गये, वहां गये वहां उड़ाये, जहां भी । जो पैसा दे दिया गया ...।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आप दो व्यय बताये थे । एक राजस्व ...।

श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय :- हां, वह व्यय हो गया। जैसे - होटल खर्चा, दान, अयोध्या घूमने चले गये। वहां गये और वहां उड़ाये। जो पैसा दे दिया गया है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- नहीं, आपने दो व्यय बताये थे। एक राजस्व व्यय और दूसरा कैपिटल (पूंजीगत) व्यय। कैपिटल व्यय में हमारा क्या स्थान है?

श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय :- मुझे अभी कैपिटल व्यय में छत्तीसगढ़ का निश्चित स्थान तो मालूम नहीं है, लेकिन पिछली बार 15 हजार, 400 करोड़ रूपये कैपिटल में खर्च हुए थे। मैं वर्ष 2021-2022 का बजट देख रहा था तो हमारा 1 लाख 4 हजार करोड़ रूपये का बजट था तो उसमें 15 हजार, 400 करोड़ रूपये कैपिटल इन्वेस्टमेंट था। यह 15 प्रतिशत के आसपास 14 दशमलव कुछ प्रतिशत कैपिटल में खर्च होता है। अब आप सोच लीजिए कि आप 100 रूपये ले जाते हैं और 14-15 रूपये कैपिटल में खर्च हो रहे हैं और बाकी सब में 85 रूपये खर्च हो रहे हैं। बाकी सब में मतलब, तनख्वाह आदि में। यानी उससे कुछ नया पैदा नहीं हो रहा है। ठीक है।

श्री सुशांत शुक्ला (बेलतरा) :- मेरा एक और प्रश्न है कि आपने बताया कि केन्द्र सरकार 42 प्रतिशत राशि वापस करती है तो मेरा पहला प्रश्न यह है कि क्या वह राज्य की संचित कोष में गिना जाता है? दूसरा प्रश्न यह है कि पहले जो 68 प्रतिशत था, अभी आपने बताया कि वह बाद में कम होकर 58 प्रतिशत हो गया है। यदि वह योजना आधारित है और यदि किसी योजना में राज्य सरकार की तरफ से राज्यांश नहीं मिल पाया तो क्या केन्द्र सरकार उस राशि को वापस ले लेती है या वह स्थाई रहती है?

श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय :- पहली बात, हमको जो भी 42 या 32 प्रतिशत राशि मिलती है। मैंने पहले ही बताया कि जो भी मिलता है, हमारे द्वारा जो टैक्स मिला है, केन्द्र द्वारा मिला है, ऋण के द्वारा मिला है, ऋण वापसी के द्वारा मिला है, जो कुछ भी आता है वह सब संचित निधि में जाता है। ठीक है। संचित निधि मतलब, वह हमारी निधि है। वह संचित है। उसको कोई भी हिला-डुला नहीं सकता है। वह 42 प्रतिशत संचित निधि में ही जाता है। दूसरा, यदि आपने योजनाओं के लिए राज्यांश नहीं दिया तो उस योजना के लिए आपको पैसे नहीं मिलेंगे। जब आप राज्यांश देंगे तब मिलेंगे, क्योंकि केन्द्र की बहुत सारी योजनाएं आती हैं। अब आपके राज्य के लिए कौन सी योजना उपयोगी है या नहीं है, यह राज्य तय करेगा। राज्य उन योजनाओं को अपने यहां लागू करने के लिए जब राज्यांश देगा तो उसका केन्द्रांश मिलेगा। यदि आप राज्यांश नहीं देंगे तो उद्देश्य ही पूरा नहीं होगा। मान लीजिए कि एक कुंआ खोदने में 1 रूपये लगना है तो 12 आना हम दे रहे हैं और चवन्नी आप दे रहे हैं। लेकिन आप कहेंगे कि पहले हमें 12 आना दे दीजिए, बाद में हम चवन्नी देंगे तो ऐसा नहीं होगा। वह सब...चलेगा। आपको पहले वादा करना होगा कि चवन्नी हम देंगे क्योंकि यदि आप नहीं देंगे तो हमारा 12 आना तो बेकार हो जाएगा और कुंआ भी नहीं खुदेगा। कुंआ नहीं खुदेगा तो पानी भी नहीं मिलेगा तो केन्द्र अपने पैसे को क्यों देगा। इसलिए आपको राज्यांश देना होगा।

श्रीमती भावना बोहरा (पण्डरिया) :- जब बजट बनता है तो सरकार की अपनी प्राथमिकताएं होती हैं कि इस बजट सत्र में हम ये-ये चीजें शामिल करने वाले हैं और उसको राज्य में गिनती करेंगे, लेकिन यदि हम विधान सभा क्षेत्र की बात करे कि वहां की जो प्राथमिकताएं हैं और यदि उसको हमें बजट में

अशासकीय/प्रकाशन के लिए नहीं

शामिल करवाना है तो उसकी न्यूनतम और अधिकतम क्या criteria होती है और उसको बजट में शामिल करने के लिए किस तिथि के अंतर्गत हमको वह प्रस्ताव Submit करना होता है?

श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय :- सामान्य तौर पर बजट बनने की प्रक्रिया जुलाई-अगस्त से चालू हो जाती है इसलिए मैंने यह कहा कि जो लोग अपने क्षेत्र में जो कुछ भी काम कराना चाहते हैं, वह अपने-अपने विभागीय मंत्री, विभागीय सचिव को बताएं कि हमारे यहां 5 हैण्डपंप चाहिए, हमारे यहां 10 किलोमीटर सड़क चाहिए, हमारे यहां स्कूल चाहिए, हमारे यहां कॉलेज चाहिए, हमारे यहां पॉलीटेक्निक चाहिए। आप एक रूपये से लेकर हजारों-करोड़ों रूपये की मांग कर सकते हैं। यह सरकार के ऊपर है कि उस समय सरकार की जो वित्तीय स्थिति है, उसमें प्राथमिकताएं तय करने का अधिकार सरकार को है कि कौन-कौन सी योजनाओं को हमें पहले ले आना है। जैसे आप अपने घर में बजट तय करते हैं। आप बच्चे को बोल देते हो कि दिवाली में सूट आएगा। अब दिवाली में सूट आएगा या नहीं आएगा। अभी 6 महीने बाद दिवाली है और आप उसको टाल रहे हैं। अब दिवाली में सूट के लिए आप बोलते हैं कि अभी तो पैसे नहीं है। ऐसा करो कि कोट रहने दो, पेंट-शर्ट ले लो। सरकार के पास उसके आधार पर पैसे आते हैं। यहां मंत्री जी लोग तो हैं ही, लेकिन मैं एक चीज और स्पष्ट कर देता हूं कि यह वित्त मंत्री जी बैठे हैं। बाहर में मंत्रियों के बीच में इनकी सबसे अच्छी दोस्ती रहती है। मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं। लेकिन जब यह केबिनेट में बैठेंगे तो सबसे बड़े विलन यही रहेंगे, क्योंकि सब इन्हीं से पैसे मांगेंगे। जैसे आप लोग घर में अपनी पत्नी को खुद पैसे कमाकर देते हैं लेकिन जब आप मांगने जाते हैं तो कितने प्रश्न होते हैं? होते हैं या नहीं होते हैं? पैसे तुम्हारे ही हैं, लेकिन जब मांगने जा रहे हो तो प्रश्न होते हैं तो यह वित्त मंत्री जी घर की। पैसे तुम्हारे हैं। जैसे पी.डब्ल्यू.डी. के लिए ढाई सौ करोड़ रूपये सेंक्शन हो गये और अब अरूण साव जी सोचेंगे कि पास हुए और ढाई सौ करोड़ रूपये मेरे अकाउंट में आ गये। लेकिन जब वह मांगने जाएंगे तो वह कहेंगे कि अभी नहीं मिलेंगे। जब उधर से ढाई सौ करोड़ रूपये आएंगे तो हम आपको इतना-इतना प्रतिशत देते जाएंगे। हमको लगेगा कि ढाई सौ करोड़ रूपये पास हो गये मतलब ढाई सौ करोड़ रूपये उस विभाग में चले गये। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे-जैसे पैसे आएंगे, वैसे-वैसे रेश्यो में पैसे जाएंगे। इसलिए वित्त विभाग हर 3-3 महीने की जानकारी बनाता है कि इन 3 महीनों में हम इतना खर्च करेंगे। हर क्वाटरली उसको बनाते हैं। दूसरा, आप लोगों को यह समझना चाहिए कि अगर बजट में कोई चीज आ गई तो इसका मतलब यह नहीं है कि यदि बजट में स्कूल आ गया तो स्कूल बन जाएगा। नहीं, वह बजट में आया है। कई बार 5-5 साल तक वह बजट में ही दिखते रहता है। बजट की चीज को जब तक प्रशासकीय स्वीकृति नहीं कराएंगे और प्रशासकीय स्वीकृति तब मिलेगी, जब मान लीजिए कि 5 लाख रूपये का स्कूल बनना है और उस मद में 5 लाख रूपये। यहां से पारित होने के बाद जब वहां से प्रशासकीय स्वीकृति मिलने के बाद उस अकाउंट में पैसे चले जाएंगे, तब उसपर काम चालू होगा। कई बार टोकन बजट होता है। जो चुनाव के समय देखते हो। मुझे याद है कि

वर्ष 1998 के चुनाव में जितनी मांगे थीं, उन सबमें 500-500 रूपये लिख दिया गया। अब बताइये कि 500 रूपये में क्या होता है? ढाई सौ रूपये का पण्डित और ढाई सौ रूपये का टेन्ट। नारियल फूटा और आगे बढ़ा। अब 500 रूपये से 600 रूपये आएंगे नहीं तो उसमें काम नहीं होगा, क्योंकि उस मद में जो 500 रूपये गये थे, वह तो खर्च हो गये। वह तो आपके उस कार्यक्रम में ही खर्च हो गया और अगला पैसा आया ही नहीं। जब तक यहां से पैसा रिलीज नहीं होगा, तब तक वह बजट में दिखते रहेगा, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ेगा। हमें इस प्रैक्टिल बात को समझना है।

श्री राजेश मूणत (रायपुर नगर पश्चिम) :- मतलब, सरकार की चाबी वित्त विभाग के पास है।

श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय :- जैसे आपके घर की चाबी वहां है, वैसी ही है। (हंसी)

श्री रिकेश सेन :- मेरा एक प्रश्न है कि राज्य का जो जी.एस.टी. कलेक्शन है, जैसे कि हम कई मुख्यमंत्रियों को देखते हैं कि वह बार-बार जी.एस.टी. कलेक्शन की मांग करते रहते हैं तो क्या वह पूरा पैसा राज्य को वापस मिल जाता है या केन्द्र को जाता है या हमें उसका कुछ हिस्सा मिलता है?

श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय :- जो 42 प्रतिशत है न, सब उसी में इन्क्लूड होता है। इंकम टैक्स, जी.एस.टी. जैसे जितने सारे टैक्स हैं, वह 42 प्रतिशत untitled और बाकी पूरे देश की सारी योजनाओं में खर्च होते हैं तो वह सब मिलता है। इनके जी.एस.टी. के जो अपने हिस्से हैं, वह अलग हैं। राज्य जी.एस.टी. का अलग है। सेन्ट्रल का अलग है। राज्यों को कुछ compensation दिया गया था। 5 साल के लिए छूट था, जिसे शायद अभी फिर बढ़ा दिया गया है कि जी.एस.टी. लागू हुआ है। जो प्रोडक्टिव स्टेट थे, जहां प्रोडक्शन होता है तो चूंकि जी.एस.टी. लगने से उन राज्यों को ज्यादा फायदा हुआ जहां कन्ज्यूमर हैं। लेकिन जहां प्रोडक्शन होता है, वहां थोड़ा नुकसान हुआ क्योंकि उसका माल चारों तरफ एक समान बिकने लगा। तो उस घाटे के लिए, कम्पनशेसन के लिए केन्द्र सरकार ने कुछ साल के लिए पैसा दिया था । मेरे ख्याल से अभी भी चल रहा है ।

श्री प्रबोध मिंज :- माननीय, मैं एक छोटा सा प्रश्न करना चाहता हूं । बजट में अमूमन हम लोग बड़ी-बड़ी चीजों को, बड़ी-बड़ी योजनाओं को शामिल करते हैं, लेकिन छोटी चीजें जो ग्रामीण स्तर पर हमारी जो पुलिया हैं, सी.सी. रोड हैं और बाकी जो डेव्हपलमेंट के काम हैं, उन छोटे कामों को अचानक से जब हम क्षेत्र में भ्रमण करते हैं तो वह बात आती है, तब हम रखते हैं । जैसे समग्र विकास की योजना है, अधोसंरचना का पैसा है । उन सारी चीजों के लिए बजट में कैसे उसका प्रावधान रहता है ? चूंकि हम एक-एक चीज को तो बजट में शामिल नहीं करा सकते तो उसके लिए बजट में क्या प्रावधान रहते हैं, ताकि उस पैसे का हम उपयोग कर सकें । जैसे आपने कहा कि 100 करोड़ रूपए उसमें रहता है ।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय :- बिल्कुल करा सकते हैं ।

श्री प्रबोध मिंज :- लेकिन वह कम ही रहता है कि इतने बड़े विधान सभा क्षेत्र में यदि छोटे कामों की आवश्यकता हो तो 100 करोड़ रूपए कम पड़ेंगे । यदि मंत्री जी को या किसी को प्रस्ताव देते हैं तो

उसके लिए कोई प्रावधान है या अनुपूरक बजट में शामिल करते हैं या जैसा भी हो । क्योंकि प्रेक्टिकल रूप से इन सारी चीजों की आवश्यकता सभी सदस्यों को पड़ेगी ।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय :- सरकार जो बजट बनाती है, वह एक साल का बनाती है । उसमें सभी विभागों के जैसा कि मैंने कहा डिमांड रहते हैं, वह अनुभाग तय हो गया । अगर बीच में सरकार को ऐसा लगता है कि यह जरूरी है, यह नई योजना है, यह लागू करना है तो वह अनुपूरक ले आती है । जैसे अभी अनुपूरक बजट आया । वह क्यों आया ? किसानों को 3100 रूपया देना है, महतारी वंदन योजना में देना है। यह पैसा तो बजटेड नहीं था, उसको बजट में ले लिया । अगर सरकार को ऐसा लगेगा तो अनुपूरक ले आएगी । अनुपूरक लाने और इस बजट के पारण के बीच में मतलब अमूमन विधान सभा साल में तीन बार लगती है । तीन बार इसलिए लगती है कि 6 महीने के अंदर आपको विधान सभा लगाना ही है । यह constitutional *mandatory* है । तो लोग ऐसा कहते हैं कि तीन सीटिंग हो ही जाती है । उन तीन बार के सत्र में आप देखोगे तो अगर इन दोनों के बीच में जरूरत है और न वह अनुपूरक में आया है, न सामान्य बजट में है, तब इस 100 करोड़ रूपए को सरकार *Contingency Fund* से खर्च कर देती है और पब्लिक एकाउन्ट से तो कभी भी वह खर्च करती है क्योंकि वह टेम्परेरी है और उसके लिए विधान सभा में लाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह खर्च करती है, लेकिन ऑन डिमांड में उसको देना भी पड़ता है तो वह उसका अलग है । पारण के लिए वह उसमें नहीं आती तो छोटी चीज को भी और बड़ी चीज को भी सरकार जब चाहे, उसका अपना बजट ले सकती है । अगर 100 करोड़ की लिमिट है, अगर सरकार चाहे तो *Contingency Fund* को विधान सभा में एक विधेयक लाकर इसको 500 करोड़ भी कर सकती है ।

श्री आशाराम नेताम :- माननीय महोदय, अगर अपना कार्य बजट में आ गया है और उसकी प्रशासनिक स्वीकृति करने का नियम क्या है ?

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय :- प्रशासनिक स्वीकृति करने के लिए जब वित्त विभाग उसमें पैसा डाल देगा तो मिलेगा । वित्त विभाग के पास जैसे ही पैसा आते जाएगा, वह प्रशासनिक स्वीकृति देते जाते हैं ।

श्री आशाराम नेताम :- जैसे पिछली सरकार के कार्यकाल में बहुत से कार्य बजट में जुड़े हैं तो उसको हमें क्रियान्वित करना है तो उसके नियम क्या हैं, मैं वही जानना चाहता हूं ।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय :- बजट में जो आया है, वह बजट में रहेगा । आप वित्त विभाग को लिखकर देंगे और अगर सरकार उस बजट का पारण कर चुकी है, बजट में आ चुका है । सरकार के पास जैसे-जैसे पैसा आएगा, उस पैसे के आधार पर उन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर उसको स्वीकृति देती जाएगी और वही प्रशासनिक स्वीकृति मिलती जाएगी । अगर उस सरकार के द्वारा उन योजनाओं

को बदला नहीं गया, कार्यों में कोई बदलाव नहीं किया गया तो पैसा आते जाएगा और प्रशासकीय स्वीकृति मिलती जाएगी ।

श्री आशाराम नेताम :- जैसे पिछले 15 साल में हमारी सरकार ने बजट में ला लिया था, लेकिन 5 साल कटने के बाद भी उन कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति नहीं हो पायी । वही कारण मैं जानना चाहता था ।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय :- उसको फिर से देख लेना कि वह बजट में जीरों तो नहीं हो गया तो वह फिर से बजट में आएगा ।

श्री आशाराम नेताम :- विभाग के माध्यम से करना पड़ेगा ।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय :- हां, विभाग के माध्यम से करना पड़ेगा ।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- माननीय महोदय, मैं पूछना चाहती हूं कि जीरों बजट में आपने कहा कि धीरे-धीरे उन योजनाओं को खतम करने के लिए उसको लाया जाता है । अगर कोई ऐसी योजना जिसकी मांग जीरों बजट में आने के बाद में उसकी मांग बढ़ गई कि इस योजना को लागू रहने दिया जाये तो क्या उसको अनुपूरक बजट में शामिल किया जा सकता है ?

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय :- बिल्कुल । सरकार कभी भी किसी भी योजना को अपने बजट में शामिल कर सकती है ।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- पिछले सरकार के कार्यकाल की कुछ योजनाओं को शामिल करना चाहें, जैसे मांग रहती है तो उसको शामिल कर सकते हैं?

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय :- बिल्कुल कर सकते हैं । सरकार, सरकार होती है और सरकार आपके पास ही आती है तो फिर आप इनडायरेक्ट सरकार हो गए ।

(वित्त मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन श्री ओ.पी. चौधरी एवं सचिव, विधान सभा श्री दिनेश शर्मा द्वारा अतिथि महोदय पूर्व विधान सभा अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय का शॉल, श्रीफल से सम्मान कर स्मृति चिह्न भेंट किया गया)

आभार

श्रीमती भावना बोहरा (पण्डरिया) :- सभी माननीय सदस्यों को सादर नमस्कार। आज के षष्टम विधान सभा के द्वितीय दिन के द्वितीय सत्र में मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय प्रेमप्रकाश पाण्डेय जी, जिनका सत्ता और संगठन में बहुत लंबा अनुभव रहा है, जो विधान सभा अध्यक्ष और पूर्व मंत्री के रूप में भी हम सबका मार्गदर्शन कर चुके हैं, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए आदरणीय ओ.पी. चौधरी जी जो वित्त विभाग के मंत्री भी हैं, मैं आप सबका बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करती हूं कि

इस अवसर पर नये विधायकों को हम नये सदस्य चुनकर विधान सभा में आये हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो बजट है, जो लगभग सभी के मन में जिज्ञासा थी कि किस तरीके से हमें बजट प्रस्तुत करना है, किस तरह से हमारी सरकार का जो बजट होना चाहिए, कैसा रहता है और किन-किन विषयों की हमें जानकारी होनी चाहिए, उस विषय पर आपने बहुत सारगर्भित तरीके से और बहुत सरल तरीके से वक्तव्य के द्वारा हम सबको मार्गदर्शित किया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करती हूं ।

(अपराह्न 1.54 से 3.15 बजे तक भोजनावकाश)

तृतीय सत्र

(अतिथियों का आगमन)

उद्घोषक (श्री संजय दुबे) :- हम आप सभी माननीय मंत्रीगण एवं माननीय सदस्यगण का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी और तृतीय सत्र के मुख्य वक्ता, वरिष्ठ विधायक, पूर्व विधान सभा अध्यक्ष, माननीय श्री धरमलाल कौशिक जी, हम आपका हृदय से स्वागत अभिनंदन करते हैं। सर्वप्रथम माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से आग्रह है कि वे सत्र के प्रमुख वक्ता महोदय का स्वागत करें।

(माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल एवं सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा श्री दिनेश शर्मा द्वारा अतिथि वक्ता मानीय सदस्य एवं पूर्व विधान सभा अध्यक्ष श्री धरमलाल कौशिक का स्वागत किया गया।)

(सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा श्री दिनेश शर्मा द्वारा संसदीय कार्य मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल का स्वागत किया गया।)

उद्घोषक :- सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा के आग्रह है कि इस सत्र के निर्धारित विषय विधान सभा की समितियां एवं अशासकीय कार्य पर विषय का प्रवर्तन करने की कृपा करें।

सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा (श्री दिनेश शर्मा) :- सत्र के प्रमुख वक्ता वरिष्ठ विधायक, पूर्व विधान सभा अध्यक्ष, माननीय श्री धरमलाल कौशिक, संसदीय कार्य मंत्री, श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, उपस्थित माननीय मंत्रीगण एवं माननीय सदस्यगण, द्वितीय दिवस के तृतीय सत्र में मैं आप सब का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस सत्र का विषय विधान सभा की समितियां एवं अशासकीय कार्य है। आप सभी माननीय सदस्य विधान सभा कार्यवाही के इस महत्वपूर्ण भाव से परिचित हो सके और यह समझ

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सके कि आखिर विधान सभा की समितियां क्या होती है, कैसे कार्य करती है, कैसे उनका गठन होता है और वह कितनी महत्वपूर्ण है। इन सब बातों को माननीय कौशिक जी, आपके समक्ष रखेंगे। माननीय श्री धरमलाल कौशिक जी वरिष्ठ विधायक है और पूर्व विधान सभा अध्यक्ष रहे हैं। इनका दीर्घ राजनीतिक जीवन और संसदीय अनुभव रहा है। इन्होंने सत्ता और संगठन में समान रूप से काम किया है। आज आप सब सौभाग्यशाली है कि आपको इनके मार्गदर्शन का अवसर प्राप्त हुआ है। आज के निर्धारित विषय के संदर्भ में केवल इतना बताना चाहूंगा कि संसदीय समितियां लघु सदन होती है। सदन की संसदीय समितियों का महत्व हमारी शासन व्यवस्था में बहुत है। जो माननीय सदस्य पहली बार निर्वाचित होकर आये हैं, उनके मन में भी यह प्रश्न होगा कि जब विधान सभा का सत्र नहीं होता, उस अवधि में विधान सभा का क्या काम होता है और यह प्रश्न सामान्य तौर पर हर किसी के मन में होता है कि जब सत्र नहीं होता तो विधान सभा क्या कार्य करती है। मैं आपको बताना चाहूंगा उस अवधि में यह संसदीय समितियां ही होती है, जिनके माध्यम से विधान सभा शासन पर नियंत्रण रखती है। आप सभी से मेरा यह सादर आग्रह है कि विषय पर उनके मार्गदर्शन से आप लाभान्वित हो। वे आपकी जिज्ञासाओं का समाधान भी करेंगे। धन्यवाद्।

उद्घोषक :- विषय के प्रमुख वक्ता माननीय श्री धरमलाल कौशिक जी, वरिष्ठ विधायक, पूर्व विधान सभा अध्यक्ष से सादर आग्रह है कि वे माननीय सदस्यगणों को निर्धारित विषय पर प्रबोधित करने की कृपा करें।

विधान सभा की समितियां एवं अशासकीय कार्य पर व्याख्यान

(वक्ता - श्री धरमलाल कौशिक, माननीय सदस्य एवं पूर्व अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा)

माननीय सदस्य एवं पूर्व अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा (श्री धरमलाल कौशिक) :- आज इस सत्र में हमारे संसदीय कार्य मंत्री, सम्माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी, साथ ही हमारे विधान सभा के सचिव, श्री दिनेश शर्मा जी विराजमान हैं। हमारे सभी मंत्रीगण और साथ ही हमारे विधायक साथी यहां पर उपस्थित है। मित्रों, हम लगातार कल से बैठे हुए हैं और हमारे वक्ताओं के द्वारा इस दो दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम में आने वाले समय में जो बजट सत्र से लेकर बाकी के सत्रों में हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए और उस तैयारी के दृष्टिकोण से मुख्य रूप से जो हमारी इस विधान सभा की प्रक्रिया है, कार्य संचालन नियमावली है, परंपरा है, जिसके अंतर्गत इस विधान सभा को हम लोग चलाते हैं और उसका संचालन किया जाता है, इन अलग-अलग विषयों को लेकर विषयों का प्रतिपादन किया गया है। मैं निश्चित रूप से यह कह सकता हूं कि नए विधायकों के लिये प्रबोधन कार्यक्रम रखा जाता है। लेकिन नये विधायकों के साथ ही हमारे जो वरिष्ठ सदस्य हैं, जो पुराने सदस्य हैं, वह भी इस लाभ से वंचित नहीं होते, कहीं न कहीं उनको भी उसका लाभ मिलता है क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हम

कितनी बार भी विधायक बन जाये लेकिन संपूर्णता प्राप्त करने के लिये कहीं न कहीं जो सीखने का अवसर मिलता है, हममें यह जिज्ञासा जरूर रहनी चाहिए और इस जिज्ञासा के आधार पर हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जितनी हमारी जिज्ञासा होगी, हमारी जानकारी होगी, मैं समझता हूं कि उस आधार पर हम अच्छे से इस विधान सभा की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। हम दक्षतापूर्वक अपनी बातों को दृढ़ता के साथ रख सकते हैं और उसके साथ ही जनता ने हमको जो जवाबदारी दी है, उसमें निखार आयेगा। आप महत्वपूर्ण लोग यहां पर बैठे हुए हैं। पौने तीन करोड़ की आबादी में आपकी गिनती 90 लोगों में है। कहीं न कहीं जनता ने हमको पौने तीन करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया है इसलिये जनता को हमसे अपेक्षाएं भी होती है कि यदि हमारे विधायक जीतकर गये हैं तो हमारे क्षेत्र के विकास, हमारी विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप हमारे विधायक काम करते हुए हाऊस में दिखे। इससे निश्चित रूप से इस प्रकार के प्रबोधन से हमारे जीवन में जो महत्व है। वैसे सामान्यत: हम देखें तो मैं समझता हूं कि एक विधायक के लिये बहुत सारी जवाबदारी है लेकिन बहुत सारी जवाबदारी में तीन महत्वपूर्ण जवाबदारी है। यदि हम जीतकर आये हैं तो जिस पार्टी ने हमको टिकट दिया, उसके बाद हमको अवसर दिया कि हम जनता के बीच में जाये और जनता हमको चुनकर भेजे। हमारी पार्टी ने हमको यह दायित्व दिया है। जिस जनता के पास भी आप गये तो जनता ने आपको हाथों-हाथ उठाया। आपने जो प्रयास किया उसमें आपको सफलता मिली और जनता का आशीर्वाद मिला।

तीसरी, आज जिस विधान सभा में हम यहां पर बैठे हुए हैं, इस विधान सभा में भी हमारी जवाबदारी है। यदि हम निर्वाचित होकर आये हैं तो इस विधान सभा के माध्यम से न केवल अपने क्षेत्र में बल्कि प्रदेश में भी हमारी पहचान बने। यह हमारा प्लेटफार्म है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी पंचायत हमारी विधान सभा है। इसके माध्यम से आपको आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। लेकिन मित्रों, आप लोगों ने देखा होगा कि यह जो तीनों जवाबदारी हैं, उसमें सामंजस्य कैसे बैठाना है। उसमें सामंजस्य बैठाकर हम कैसे चले ? अभी चुनकर आने के बाद आपने देखा होगा कि पार्टी के बहुत सारे कार्यक्रम आ रहे हैं। पार्टी आपको जवाबदारी भी दे रही है, हमको पार्टी की उस जवाबदारी को निभाना पड़ेगा। उस पार्टी की जवाबदारी को निभाते हुए, उस क्षेत्र की जनता के प्रति भी हमारी जवाबदारी है, जिन्होंने हमें भेजा है। उनके लिये हमको समय निकालना पड़ेगा और हम इस चीज से नहीं बच सकते हैं कि पार्टी का कार्यक्रम है तो हम आपके बीच में नहीं रह सकते हैं। आप लोगों ने देखा है कि इस विधान सभा में 50 नये सदस्य चुनकर आये हैं। इसका आशय क्या है ? इसका आशय यह है कि या तो पार्टी ने उस क्षेत्र से टिकट बदल दिया। यदि पार्टी ने उसको टिकट दिया तो उसको जनता ने बदल दिया। इसके कारण हमारे बहुत सारे सदस्य जिनको चुनकर आना था, वह आने से वंचित रह गये, रूक गये। इसलिये इस बात को हमको आज से ही हमेशा ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि जहां-जहां हमारी जवाबदारी है, उस जवाबदारी के अनुसार हम काम को करते रहेंगे। आज मैं सबसे पहले आप सभी को, हमारे नव निर्वाचित

सभी विधायकों को बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। आपको पार्टी और जनता ने जो उत्तरदायित्व सौंपा है, आने वाले समय में आप उसमें खरे उतरे और न केवल उस क्षेत्र की बल्कि आप प्रदेश की पहचान बने। मैं इसके लिये आपको शुभकामनाएं देता हूं।

हमारे यहां तीन सत्र होते हैं। अभी हमारा बजट सत्र आयेगा। बजट सत्र के बाद हमारा मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र आयेगा। बजट सत्र की जो अवधि है वह लगभग 28-30 दिन की होती है। अभी चुनाव के कारण आचार संहिता लग जायेगा। उसके बाद हमारा मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र होता है। विश्व के राष्ट्रों ने जो संसदीय प्रणाली को अडॉप्ट किया है तो निश्चित रूप से जहां पर संसदीय प्रणाली लागू है वहां पर जो पूरे कार्य हैं चाहे वह विधान मण्डल के द्वारा हो, चाहे वह संसद के द्वारा हो। यह संभव नहीं है कि सभी कार्यों को पूर्ण कर सकें। हमारे यहां उसके लिए समितियों का निर्माण किया गया है। उन समितियों के माध्यम से बचे हुए कार्यों को सम्पन्न किया जाता है। वैसे हम जब बात करेंगे तो भारत में समिति पद्धति का प्रारंभ वर्ष 1854 से होता है। 20 मई, 1854 की बैठक में Legislative council ने अपनी Standing council द्वारा ऑर्डर बनाने के लिए 4 सदस्यों की एक समिति बनायी थी, बाद में उसमें उन्होंने एक प्रवर समिति बनायी। फिर हमें आजादी मिली। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् देश की संसद और विधान मण्डलों में एक सुसंगठित समिति प्रणाली की स्थापना हुई। इस समिति प्रणाली को बल देने का काम, संविधान के अनुच्छेद 105 (2) एवं 194 (2) में समितियों को सदन के समान विशेषाधिकार दिया और उन्हें सदन के रूप में मान्यता दी गई। यह हमारे वक्ताओं के द्वारा जो चर्चा में आया कि देश की जो हमारी अलग-अलग विधान सभाएं हैं, उनके यहां कानून में संशोधन, प्रक्रिया संचालन में संविधान के अनुच्छेद 118 एवं 208 के अधीन संसद एवं विधान मण्डलों को जो अपने नियम एवं प्रक्रियाएं बनाने का अधिकार दिया गया है और उसी के अनुसार समितियों का कार्यसंचालन होता है। हमारी संसदीय समितियों के 3 प्रकार के नियम हैं एक सामान्य समिति जो सभी समितियों के लिए लागू होती है, विशिष्ट समिति जो विशिष्ट समितियों के लिए विशेष उपबंध किये गये हैं और हमारे आंतरिक नियम जो समिति की आंतरिक प्रक्रिया है। हमारी जो समितियां बनती हैं उसमें मुख्य रूप से जो अभी बजट सत्र है उसमें हमारी समितियां गठित होंगी। हमारे जो नये सदस्य हैं यह पुराने सदस्यों को मालूम है। इन समितियों में जो समिति के सदस्य बनेंगे उसमें मुख्य रूप से हमारी जो छत्तीसगढ़ की विधान सभा की प्रक्रिया में यह है कि हमारी कुछ समितियों का सीधा निर्वाचन होता है और माननीय अध्यक्ष के द्वारा कुछ समितियों में सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। हमारे यहां सदस्यों का जो मनोनयन किया जाता है और जो निर्वाचन होता है तो उसमें हमारी मुख्य रूप से स्थायी समिति, अस्थायी समिति और तदर्थ समितियां होती हैं। जो हमारी स्थायी समितियां बनायी गईं हैं, मुख्य रूप से उन समितियों में जो सदस्यों के निर्वाचन हैं जो विधान सभा में हमारे दल की संख्या है और उसके अनुपात के आधार पर उन सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। बजट सत्र में सदस्यों का निर्वाचन

होता है उनकी कार्यावधि एक वर्ष की होती है। उनकी कार्यावधि एक वर्ष के बाद पूर्ण होती है फिर बजट में उनका निर्वाचन होता है। उसमें निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र भरा जाता है मतलब उसका प्रस्तावक भी होता है। वह प्रस्ताव करते हैं और उसके बाद अलग-अलग दल की जो संख्या आती है उसके अनुसार उनका फार्म भरा जाता है । उसके बाद उन समितियों में सदस्य निर्वाचित होते हैं। किसी समिति में सदस्यों की संख्या 9 है, किसी समिति में 7 सदस्य हैं और इसके आधार पर उनका निर्वाचन किया जाता है। इसमें जो सदस्य निर्वाचित होते हैं उसमें हमारी लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति, अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं पिछड़ा वर्ग के कल्याण संबंधी समिति, स्थानीय निकाय जो बाद में जोड़ी गई है सभा द्वारा पंचायत राज लेखा समिति का निर्वाचन होता है। बाकी जो अन्य समितियां हैं, उसमें माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा मनोनीत किये जाते हैं। मैं आपको केवल समितियों का नाम पढ़कर बता देता हूँ। बाद में हम उसकी विवेचना करेंगे। हमारे यहां छत्तीसगढ़ में जो समितियां काम कर रही हैं उसमें मुख्य रूप से लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति, स्थानीय निकाय एवं पंचायत राज लेखा समिति है। इन समितियों को वित्तीय समितियां कहा जाता है। अन्य जो संसदीय समितियां हैं जैसे कार्यमंत्रणा समिति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति, याचिका समिति, विशेषाधिकार समिति, प्रत्यायुक्त विधान संबंधी समिति, शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति, नियम समिति, सामान्य प्रयोजन समिति, पुस्तकालय समिति, पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति, अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं पिछड़ा वर्ग के कल्याण संबंधी समिति, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति, सदस्य सुविधा एवं सम्मान समिति, आचरण समिति और पत्रकार दीर्घा सलाहकार समिति है। मुख्य रूप से हमारे यहां यह समितियां काम कर रही हैं। अब यह कहा जाता है कि समितियों का कार्यपालिका पर नियंत्रण हो तो कार्यपालिका सभा के प्रति जवाबदेह है, चूंकि हमारे 3 सत्र लगते हैं, फिर वर्ष भर हमारी बाकी समितियां काम करती हैं और यह जो समितियां काम करती हैं हम इन समितियों के माध्यम से कार्यपालिका पर नियंत्रण किया जाता है। हमारी कार्यपालिका पर नियंत्रण कैसे किया जाता है तो हमारी जो वित्तीय समितियां हैं जैसे उदाहरण के लिए प्राक्कलन समिति है अभी आप देखेंगे कि आपका जो बजट पारित होगा तो अभी उसके ऊपर मंत्रीगण बैठक ले रहे हैं। किसी कार्ययोजना के लिए एक अनुमानित बजट आता है। उसकी अनुमानित कार्ययोजना बनती है फिर उसके अनुसार उसका बजट निर्धारित किया जाता है। उसके बाद उसका बजट Allocation हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक वित्त पर संसदीय नियंत्रण को पूर्ण बनाती है। विधान सभा को यह शक्ति प्राप्त है आपकी किसी भी मांग को स्वीकृत, संशोधित कर सकती है, निश्चित राशि की कटौती कर सकती है और उसके द्वारा किसी प्रस्ताव को स्वीकृत किया जा सकता है। हम किसी प्रस्ताव के प्राक्कलन के आधार पर गहराईयों में जाएंगे और तकनीकी बिन्दुओं पर जाएंगे। हम किसी

प्रस्ताव के प्राक्कलन के ब्यौरे, तकनीकी स्तर पर विचार करेंगे तो सदन के पास इतना समय नहीं है कि एक-एक प्राक्कलन के ऊपर विचार किया जा सके। यदि किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सकता तो इसलिए estimates committee बनायी गई । जो प्राक्कलन समिति है, वह उस पर विचार करेगी और उसके द्वारा विचार करने का मतलब यह है कि जिस परपस से राशि दी गई है, उसका उस प्राक्कलन के अनुसार खर्च हुआ और उसमें खर्च पर मितव्ययिता होनी चाहिए। कहीं पर धन का दुरूपयोग नहीं होना चाहिए। उसके अनुसार उस पर प्राक्कलन समिति विचार करती है उन योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रॉपर मितव्ययिता कैसी लायी जाये, इस पर समिति द्वारा विचार किया जाता है और उसमें जो बजट का आंवटन हुआ, उसमें बजट आवंटन के बाद क्रियान्वयन, एक समय सीमा दी गई है उसके अंतर्गत सामंजस्य कैसे बैठाया जा सके। अब इससे होता क्या है? यदि आप उसकी जांच नहीं करेंगे तो कार्यपालिका जैसा चाहे उस पर अंकुश लगाने के बजाय अनियंत्रित होगी। यदि अनियंत्रित होगी तो आपके बहुत सारे धन का, समय का अपव्यय होगा। जो राशि जनहित में खर्च होनी चाहिए, उसके बजाय उस राशि का जो प्रापर रूप से उपयोग होना चाहिए उसके लिए कहीं न कहीं उसमें एक चेतना का भाव आना चाहिए। विभाग को भी यह मालूम होना चाहिए कि इसमें बारीकी के साथ में अध्ययन किया जा रहा है। यदि अध्ययन किया जा रहा है तो आने वाले समय में उसको किस प्रकार से नियंत्रित किया जा सके, इस प्रकार का एक भाव भी जागृत होगा। इसके लिए प्राक्कलन समिति के द्वारा समय-समय पर बैठकें की जाती हैं और उसकी समीक्षा की जाती है और समिति समीक्षा करके इस बिन्दु पर एक महत्वपूर्ण सुझाव भी देती है कि इसमें कैसे धन की बचत की जा सकती है, कम अवसर में कैसे कार्य किया जा सकता है। इन सारी बातों के ऊपर समिति गौर करती है।

प्राक्कलन समिति के बाद में लोक लेखा समिति है। हमारी जो लोक लेखा समिति है, विधान सभा के अंदर में जो समस्त लेखा है, उसकी जांच करना और उतना समय देना सभा के लिए संभव नहीं है। लोक लेखा समिति द्वारा महालेखाकार के जो ऑडिट प्रतिवेदन समय-समय पर दिये जाते हैं और उसमें जो कंडिकायें दी जाती हैं, समिति उन सारी कंडिकाओं के ऊपर विचार नहीं करती है। क्योंकि समिति के पास इतना समय नहीं है कि उन सारी कंडिकाओं के ऊपर विचार करे। लेकिन ऐसी कंडिका के ऊपर विचार करना जिसमें गंभीर प्रशासनिक कमजोरी दिखती है, उसके साथ में शासन को हुई हानियां, जो गबन और अनियमितता की जाती है, उन कंडिकाओं के ऊपर में लोक लेखा समिति की बैठक में विचार किया जाता है। समिति द्वारा विचार करने के बाद में यह हिदायत भी दी जाती है कि यदि कहीं गड़बड़ी हुई है तो उन गड़बडियों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। जो व्यय की राशि होती है, उस व्यय की राशि में नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। इस प्रकार से लोक लेखा समिति के द्वारा लगातार उस दिशा में पहल की जाती है। हमारे यहां लोक लेखा समिति में बहुत लंबे समय से पुराने प्रकरण रहे हैं। जब वर्ष 2018 के चुनाव के बाद विधान सभा में अजय चन्द्राकर जी लोक लेखा समिति के सभापति

बने, लोक लेखा समिति के सभापति का पद विरोधी दल के सदस्य को ही मिलता है, बाकी समितियों के सभापति का पद सत्ताधारी दल के सदस्यों को मिलता है। विपक्ष को केवल लोक लेखा समिति के सभापति का पद मिलता है। अजय चन्द्राकर जी लोक लेखा समिति के सभापति रहे। मैं समझता हूं कि लोक लेखा समिति की जितनी बैठकें होनी चाहिए, उससे ज्यादा बैठक किये। समिति की इतनी बैठकें करने के बाद हम सबके सामने उसका परिणाम भी आया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- पूरे देश भर में सबसे ज्यादा रिपोर्ट देने वाली कमेटी हमारी छत्तीसगढ़ विधान सभा की लोक लेखा समिति रही।

श्री धरमलाल कौशिक :- हॉ, पूरे देश भर में। इसलिए हमने उस समय तय किया कि उस समिति के सभापति अजय चन्द्राकर जी ही होंगे और पिछले कार्यकाल में लोक लेखा समिति के सभापति का तीन बार चुनाव हुआ तो समिति के तीनों कार्यकाल में सभापति अजय चन्द्राकर जी ही रहे। देश में लोक लेखा समिति के सभापतियों की जो बैठक हुई थी उस बैठक में वह गये थे और देश में सबसे ज्यादा प्रतिवेदन देने वाली कमेटी हमारी छत्तीसगढ़ विधान सभा की लोक लेखा समिति है।

हमारी एक सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति है, इस समिति में भी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच होती है। उसमें सरकारी उपक्रमों की कुशलता, संचालन के कार्य को देखा जाता है और इन उपक्रमों के संचालन में क्या कमियॉ पाई जा रही हैं, जिस प्रकार से एक व्यापारिक प्रतिष्ठान है और उसके साथ में जो उन उपक्रमों के सिद्धांत हैं, वहां पर वह उपक्रम खरे उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे हैं, यह देखने का काम सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का है। सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की इन बातों को ले करके बैठकें होती हैं और समिति बैठक करके यह देखती है कि वह उपक्रम उसके लाईन से बाहर तो नहीं हैं, उसको दिशा- निर्देश देने की जरूरत तो नहीं है, समिति की उन बैठकों में इस बात को नियंत्रित किया जाता है।

स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदन एवं स्थानीय निधि संपरीक्षा के वार्षिक प्रतिवेदन जो राज्य सरकार द्वारा विधान सभा के समक्ष रखे जाते हैं, उसका परीक्षण करने के लिए 1 मई 2018 को स्थानीय निकाय एंव पंचायती राज लेखा समिति बनाई गई। इस समिति का जो मुख्य कार्य है, जिस प्रकार से सरकार के द्वारा जिला पंचायतों को, नगरीय निकायों को जो राशि दी जाती है, जो राशि उनको जिस कार्य के लिए दी गई है, उस राशि का उपयोग उस कार्य के लिए हुआ है या नहीं हुआ है, उसके अनुसार से उस राशि को खर्च करने की जो अवधि है, उस अवधि में वह राशि खर्च हुई है या नहीं हुई है, जो राशि को खर्च करने का हेड दिया गया है उस हेड को बदल तो नहीं दिया गया है। पहले यह कमेटी नहीं बनी थी। बाद में यह कमेटी बनाई गई। क्योंकि भारत सरकार से बहुत सारी राशि जिला पंचायत से ले करके, पंचायत तक, नगरीय निकाय की संस्थाओं को दी जाती है, इसका परीक्षण करने के लिए यह समिति बनाई गई है।

उस राशि का ठीक से उपयोग हो, जिस कार्य के लिए राशि दी गई है, उस कार्य में उस राशि का उपयोग हो। उस राशि को खर्च करने का जो समय दिया गया है, उस समय के अंदर में उस राशि का उपयोग हो। उसके लिए यह कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी के महत्वपूर्ण सुझाव इस विषय में आते रहते हैं। यदि उसमें कुछ गलतियां पाई जाती हैं, उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है, उस दिशा में प्रयास करके सुधार के लिए समिति बनाई गई है।

विधान सभा में कानून बनाने के लिए प्रत्यायुक्त विधान समिति है। कई बार जैसे ही विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो एक तरफ से आवाज आती है कि महोदय इसको प्रवर समिति को भेज दिया जाये। यदि प्रवर समिति को भेज दिया जाये, इसका मतलब यह है कि प्रवर समिति उसको परीक्षण करे कि आप जो कानून ला रहे हैं, वह कानून संविधान सम्मत है या नहीं है, सभा के सम्मत है या नहीं है और यदि सम्मत नहीं है तो प्रवर समिति उस कानून का अध्ययन करे और अध्ययन करने के बाद में उसको फिर कानून के रूप में लाया जाये। पहले जब समितियों का गठन हुआ तो उसमें सबसे पहले 1912 में प्राक्कलन समिति आई थी, उसके बाद में प्रवर समिति आई थी। उसका बाद में पुर्नगठन किया गया और पुनर्गठन करने के बाद में आवश्यकता के अनुरूप बाकी समितियों का अलग-अलग निर्माण किया गया और आवश्यकता के अनुरूप अभी भी समितियां बनाई जा रही हैं। प्रत्यायुक्त विधान समिति है, विधान सभा का मुख्य रूप से काम कानून बनाना है। लेकिन आपको भी अवसर मिलेगा। कानून बनाने की जब बात आती है तो सबसे कम चर्चा उसी में होती है। या तो दो सदस्य चर्चा करते हैं और उसके बाद उसको पारित कर देते हैं क्योंकि बाकी विषयों में रूचि रहती है, लेकिन जब कानून बनाने की बात आती है तब जितना उसके ऊपर गंभीरता से विचार होना चाहिए वह नहीं होता है। मैं समझता हूं कि हमारे विधान सभा में हमारे बहुत सारे साथी इस बात पर रूचि लेंगे और रूचि लेकर इस काम को करेंगे कि कानून बने और वह जनहित के लिये ठीक हो। उसके ऊपर कितना संशोधन आ सकता है और उस संशोधन का प्रभाव भी पड़ेगा। इन सारी बातों के ऊपर discussion होना चाहिए और इस आधार पर कानून बनना चाहिए।

मैंने जो चार वित्त समितियों के बारे में बताया, यह वित्त समितियां वही हैं। जैसे आपको मैं एक उदाहरण दूं कि इन समितियों को अधिकार है। यदि आपने एक सड़क का प्रस्ताव दिया, सड़क की राशि स्वीकृत हुई, यह कमेटी चाहे तो यहां विधान सभा में आपकी बैठक बुला सकती है और विधान सभा में जो बैठक बुलाई जायेगी, आप उस पर विचार करेंगे। यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारी यह सड़क खराब है और यह जो बातें आ रही हैं, उसकी वह विश्वसनीयता नहीं है, तो आप विभाग के अधिकारी को उसमें बुलायेंगे, उसमें जो काम करने वाले इंजीनियर है, उसको भी बुलायेंगे। उनको बुलाने के बाद यदि आपको लगता है कि उस सड़क को देखने के लिये आपको बलौदा-बाजार जाना है तो आप स्पॉट इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं। आप स्पॉट इंस्पेक्शन करके वहां पर निर्णय ले सकते हैं। निर्णय लेने के

पहले हम दूसरी जगह से उसका तुलनात्मक अध्ययन भी कर सकते हैं । उसके बाद इतनी राशि में वह सड़क क्यों नहीं बनी ? आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि एक बार estimate बना, प्राक्कलन बना, उसके बाद उसमें फिर राशि बढ़ाते हैं। जब आखिर एक बार उस पुल के लिये 02 करोड़ रूपये या 20 करोड़ रूपये पारित हुआ तो रूपये पारित होने के बाद उस राशि को बढ़ाने की आवश्यकता क्यों पड़ी ? राशि बढ़ाने का जो कारण है वह यह है कि कहीं न कहीं negligence बढ़ती गई। पुल बनाने की जो समयावधि है, आपने उस समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं किया जिससे महंगाई बढ़ गई तो सीमेंट का और स्टील का रेट भी बढ़ गया और रेट बढ़ने के बाद वे बोलते हैं कि साहब इसका एक संशोधित बिल बना दिया जाए तो यह जो परिस्थितयां बनती है, इसको कमेटियां नियंत्रित कैसे करती है ? आपको जब एक बार बजट में प्रावधान किया गया और पारित किया गया तो पारित करने के बाद आखिर इसका जवाबदार कौन है ? और जो इसका जवाबदार है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वह कार्रवाई इसलिये होनी चाहिए कि उस गलती की पुनरावृत्ति न हो कि आपने estimate बनाया तो सोच समझकर बनाया था। आपने उस काम की अवधि 18 महीने की दी थी तो 18 महीने के अंदर कार्य पूर्ण क्यों नहीं हुआ ? वह कार्य पूर्ण नहीं हुआ जिसके कारण उसकी लागत बढ़ी है। लागत बढ़ने का जवाबदार कौन है ? इस प्रकार से इसमें जो कहा गया है कि समिति के द्वारा कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण किया जाता है। इन्हीं समितियों के द्वारा कार्यपालिका समिति के लिये जवाबदार होती है और जवाबदेही करके उसके ऊपर नियंत्रित करने का काम इन समितियों का है। इन दो दिनों में बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं इसलिये बहुत विस्तार में जाना नहीं चाहूंगा। लेकिन मैं आपको अभी कहना चाहता हूं कि आपकी एक आश्वासनों संबंधी समिति है । अभी तीन दिन का सत्र लगा था। इस सत्र में हमने प्रश्न तो नहीं लगाया इसलिये आश्वासन संबंधी प्रश्न उत्पन्न नहीं हुआ। अभी हम बजट सत्र में प्रश्न लगा रहे हैं। जब हम मंत्री से उस प्रश्न का जवाब पूछते हैं तो मंत्री का जो उत्तर आता है वह आपके प्रश्न के अनुरूप नहीं आयेगा। यदि उनकी तैयारी है, विभाग की तैयारी है तो वह जवाब आयेगा। यदि आपके प्रश्न की तैयारी नहीं है तो फिर गोल-मोल जवाब शुरू होगा। फिर वह अंत में बोलते हैं कि मैं दिखवा लूंगा, फिर बोलते हैं कि नहीं मैं ऐसा कर लूंगा, आप चिंता मत करिये। यहां पर दिखवा लूंगा का मतलब आश्वासन है। यह आपने उस सदस्य को आश्वासन दिया। यह बहुत सारी बातें आती हैं। इस प्रकार से जो आश्वासन दिये जाते हैं, उसके बाद उसका कितना परिपालन हुआ ? उस परिपालन को देखने के लिये आश्वासन संबंधी समिति बनाई गई है। उस समिति के द्वारा उसका परीक्षण किया जाता है कि सरकार के द्वारा कितना आश्वासन दिया गया और उसके बाद उसका कितना पालन किया गया है। यदि नहीं किया गया है तो इसके लिये वह कितने दिन के अंदर हो जायेगा, उसमें कितना समय लगेगा ? उसको निर्धारित किया जाता है। इस प्रकार से अभी आपके सामने बहुत सारे उदाहरण आयेंगे। उस उदाहरण के आधार पर आश्वासन देते जायेंगे। लेकिन आश्वासन संबंधी जो उस समिति के सदस्य होंगे, यदि वह समिति की

बैठक में भाग नहीं लेंगे तो वह आश्वासन ही रहेगा, वह विनिश्चय नहीं होगा। इसलिये जो कमेटियां बनाई गई हैं, उन सारी कमेटियों का यहां पर लाभ है।

विशेषाधिकार समिति के बारे में बताना चाहूंगा। विशेषाधिकार समिति तो है लेकिन पिछले 05 सालों में हम लोगों ने देखा है कि एक को भी संदर्भित नहीं किया गया है कि विशेषाधिकार के जो मामले आये, उसकी विशेषाधिकार कमेटी जांच करें। विशेषाधिकार क्या है ? हमारे सभी सदस्यों को विशेषाधिकार भंग की सूचना देने का अधिकार है। मैं विशेषाधिकार भंग के लिये दो तीन उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे आपने प्रश्न लगाया और प्रश्न लगाने के बाद जब आप विधान सभा आ रहे हैं। जो लोग आपको बीच में रोकने वाले हैं, उनको मालूम है कि प्रश्न लगाया गया है और आज विधान सभा में मेरे खिलाफ कोई निर्णय होगा। चाहे वह अधिकारी हो, चाहे कोई व्यक्ति हो या चाहे कोई भी हो। यदि विधान सभा पहुंचने में आपको रास्ते में रोकने का प्रयास किया गया, तो आपको जो विशेषाधिकार मिला है, उस विशेषाधिकार का भंग हुआ। आप यहां पर उसकी सूचना लगा सकते हैं कि साहब मैं आ रहा था, मैंने इनके खिलाफ यह प्रश्न लगाया था और इन्होंने मुझे रास्ते में रोकने का प्रयास किया जिसके कारण मैं समय पर नहीं पहुंच पाया। यदि मैं समय पर पहुंचता तो सदन में यह कार्यवाही होती। इसलिये आप यहां पर विशेषाधिकार भंग की सूचना दे सकते हैं।

दूसरी बात, हमारा सत्र चल रहा है उस दौरान मंत्री के द्वारा जो घोषणा सत्र में होनी चाहिए। उसको आपने अपनी किसी पार्टी के कार्यक्रम में या बाकी किसी कार्यक्रम में घोषित कर दिये तो उस विषय को लेकर आप विशेषाधिकार भंग का नोटिस दे सकते हैं। उसके बाद हम अध्यक्ष महोदय से आग्रह कर सकते हैं कि साहब इन्होंने विशेषाधिकार भंग किया है, हमने इसकी सूचना दी है। हमने जो सूचना दी है, इसको विशेषाधिकार समिति को संदर्भित किया जाये, इस पर विचार करना चाहिए। यह अध्यक्ष के विवेक पर निर्भर है कि वह उसका समाधान कैसे करेंगे। वे उसे कमेटी को भेजेंगे या भेजने से पहले चर्चा करायेंगे या उसको निरस्त कर देंगे। लेकिन इस प्रकार के विशेषाधिकार के जो मामले हैं, उसका उपयोग सदस्यों के लिये है और सदस्य उसका उपयोग कर सकते हैं। यहां पर विशेषाधिकार का एक बड़ा एजेंडा बताया गया। हाऊस के अंदर जब हम अपनी बात रखते हैं उसको लेकर कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता, यह हमको विशेषाधिकार है। यदि हम वहां पर किसी के संदर्भ में बात करें तो उसे लेकर सदन के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता। सदन के सदस्यों को यह विशेषाधिकार प्राप्त है इसलिए हाऊस के अंदर सदस्य निर्भिक होकर किसी मामले को उठा सकते हैं। सदन के अंदर किसी मामले को ऐसे ही उठाया जाता है। यह उनको मालूम है कि जब मैं यहां बोलूंगा तो मुझे इसके खिलाफ कोई चैलेंज नहीं किया जा सकता। सम्माननीय सदस्यों को यह विशेषाधिकार दिया गया है। सदन में इस विशेषाधिकार के अंतर्गत विधायक पूरी संजीदगी, प्रखरता के साथ अपनी बातों को रखते हैं । यदि सदन

के बाहर उसी बात को रखेंगे तो कहीं न कहीं विवाद की स्थिति बनेगी, लेकिन हमें सदन के अंदर विशेषाधिकार प्राप्त हैं।

मैं, आपको सदस्य सुविधा एवं सम्मान समिति के बारे में बताना चाहूंगा। अब हमारे सत्र प्रारंभ हुए हैं तो हमारे माननीय सदस्यों को क्या-क्या सुविधाएं मिल सकती हैं उसके लिए एक समिति बनायी गई है। इस समिति का काम यह देखना है कि किसी सदस्य को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वह सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। यहां लगभग सभी सुविधाएं मिल रही हैं। सम्मान समिति में सबसे बड़ी बात यह होती है कि कई बार ऐसे अप्रिय मामले आते हैं जहां पर विधायकों को सम्मान प्राप्त होना चाहिए, वह जिस सम्मान के हकदार हैं, लेकिन किसी न किसी अधिकारी की लापरवाही या और किसी कारण से हमारे सदस्य वंचित हो जाते हैं तो फिर उसकी रक्षा करने का काम सदस्य सुविधा एवं सम्मान समिति का है। हमारे माननीय सदस्यों को असम्मान का सामना न करना पड़े, क्योंकि उनको सार्वजनिक जीवन जीना है, उन्हें बहुत सारे लोगों के बीच जाकर कार्यक्रम करना है। उनको विभागीय अधिकारी से बात करनी है, सभी बैठकों में जाना है, लेकिन जब कई बार ऐसी स्थितियां निर्मित होती हैं तो कहीं न कहीं सदस्य को चोट पहुंचती है और उसे यह लगता है कि मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ या मैं जिस सम्मान के अधिकार का पात्र हूँ, उससे मुझे वंचित रखने का काम किया गया है या मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया है। आपने देखा होगा चाहे वह अधिकारी, कलेक्टर, विधायक या कहीं का मामला हो। कई बार ऐसी स्थितियां निर्मित होती हैं। जब ऐसे समय में यह मामले आते हैं तब यहां पर माननीय अध्यक्ष को लिखकर देते हैं फिर अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रकरण देखा जाता है और उन्हें यह लगता है कि इस मामले को भेजना चाहिए तब यह सदस्य सुविधा एवं सम्मान समिति में भेजकर, विचार किया जाता है और फिर उसे विनिश्चत किया जाता है।

मैं, हमारी प्रश्न एवं संदर्भ समिति की बात कर रहा था। माननीय अजय चन्द्राकर जी ने उस विषय को विस्तार से लिया है इसलिए उसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने प्रश्न, आधे घण्टे की चर्चा के बारे में सारी चीजें बताईं हैं, लेकिन अंत में उसे Remedy कैसे मिलेगी ? आपने देखा है कि किसी सदस्य ने 21 दिन पहले प्रश्न लगाया, उसके बाद विभाग को पर्याप्त अवसर मिला और फिर उसमें जो जवाब आना चाहिए चाहे वह स्थगन, ध्यानाकर्षण, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, नियम 267 (क) के अंतर्गत विषय का मामला हो, इसी प्रकार से उसमें पर्याप्त अवसर देने के बाद भी किसी प्रश्न का जवाब नहीं आता। किसी प्रश्न के जवाब का मतलब यह है कि वह समाधानकारक नहीं है । सभा के जो विधान सभा अध्यक्ष हैं यदि उनको भी यह लगता है कि इसमें जो जवाब आना चाहिए, वह नहीं आया। आखिर में क्या होता है कई बार किसी विषय में आधे घण्टे की चर्चा मांगते हैं, लेकिन यदि आधे घण्टे की चर्चा मांगने के बाद भी जवाब नहीं आता। किसी विषय पर जवाब नहीं आने के बाद, प्रश्न एवं संदर्भ समिति को प्रकरण सौंपा जाता है। यदि प्रश्न एवं संदर्भ समिति को किसी प्रकरण को सौंपना

है तो आप किसी भी प्रश्न को नहीं सौंप सकते। फिर उसके लिए माननीय सदस्य की तैयारी होनी चाहिए। यदि मंत्री जी किसी प्रश्न पर जवाब दे रहे हैं तो कोई न कोई निलंबित हो रहे हैं, कोई फंस रहे हैं इसलिए मंत्री जी उन्हें बचा रहे हैं, मंत्री जी जवाब दे नहीं रहे हैं उन्होंने आधे घण्टे की चर्चा की सूचना दी, उसके बाद भी उन्हें जो जवाब देना चाहिए, वह नहीं आया। जब यह सारी परिस्थितियां हो जाती हैं तब अंत में उसका समाधान का रास्ता है कि हम प्रश्न एवं संदर्भ समिति को किसी प्रकरण को सौंप दें। प्रश्न एवं संदर्भ समिति के द्वारा उसको विनिश्चय करने का काम किया जाता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपको इसके लिए लगातार मेहनत करके, प्रयास करने की आवश्यकता है। हमें लगातार मेहनत और प्रयास करना होगा तब यह स्थिति निर्मित होगी । निश्चित रूप से हमारे सदस्य प्रश्न पूछने में दक्ष होंगे। हम लगातार सदन की बैठकों में भाग लेंगे और अध्ययन करते रहेंगे तो आपको यह सारी चीजें आएंगी, केवल आपको विषय में रूचि लेना है। यदि आप रूचि लेंगे तो स्वाभाविक रूप से आपको सारी चीजें मिलेंगी।

मैं महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति पर कहना चाहूंगा। महिलाओं एवं बच्चों के दुष्प्रेरण, शोषण के खिलाफ एक समिति बनायी गई है। इस समिति के द्वारा उसका परीक्षण किया जाता है। जैसे आपके नियम में यह है कि जो 14 वर्ष से कम उम्र के बालक हैं वह किसी फैक्ट्री या अन्य संस्थाओं में काम करते हुए न दिखें, लेकिन आप व्यावहारिक रूप से देखेंगे तो आपको कई जगह दिख जाएंगे और मिल जाएंगे। अभी बच्चें अवैध नशे की लत के शिकार हो रहे हैं उससे उन्हें कैसे बचाया जा सके। आपने कई बार देखा होगा कि जो लगातार समाचार पत्रों में छपता है जैसे अनाथ आश्रम, संप्रेक्षण गृह, महिला कल्याण गृह, महिला सुधारालय, पाठशालाएं हैं। हमारे प्रदेश में दहेज के कारण जो महिलाओं के शोषण और हत्या के मामले होते हैं इस प्रकार के उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के जो मामले आते हैं उसे लेकर इस समिति के द्वारा विचार किया जाता है कि उनको शोषण, दुर्व्यवहार से कैसे बचाया, मुक्त किया जा सके। यह समितियां इस तरह काम करती हैं और समिति समय-समय पर स्थल निरीक्षण करने जाती है वहां जाकर उनसे पूछताछ करती है और उनकी गवाही भी लेती है। कुल मिलाकर इस समिति द्वारा उसे नियंत्रित करने का काम होता है। आप इन सारी समितियों में रहने वाले हैं। मतलब हमारे दो सदस्य किसी न किसी समिति में आवश्यक रूप से रहेंगे। आप यह मानकर चलें। जब उस समय आप प्रयोगिक तौर पर देखेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जानकारी में सारी बातें आएंगी। लेकिन आज समाज में जो घटनाएं घट रही हैं इन समिति के माध्यम से उसे रोकने, परीक्षण, नियंत्रित करने का काम किया जा सकता है। जहां पर जो स्थितियां हैं, वहां पर कार्यपालिका के द्वारा नियंत्रित करने का काम किया जा रहा है।

हमारी एक आचरण समिति है। आचरण समिति के अध्यक्ष हमारे विधान सभा अध्यक्ष होते हैं। इस समिति में सदन के नेता और नेता प्रतिपक्ष सदस्य होते हैं। इस समिति में 9 सदस्य होते हैं। यदि

आपको किसी बात को लेकर किसी के खिलाफ आरोप लगाना है तो आप हाऊस के अंदर जिनके खिलाफ में आरोप लगा रहे हैं, आपको आरोप लिखकर देना पड़ेगा। यहां ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं कि किसी ने किसी की जमीन, जायदाद को दबाकर हड़प लिया, खरीद लिया, उसको प्रताड़ित किया फिर उसकी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया। दूसरे, अन्य जो मामले आ सकते हैं आप उस आचरण समिति में जो लिखकर देंगे तो आपको लिखित में देना पड़ेगा। आप मौखिक रूप से आरोप नहीं लगा सकते हैं। जब आप लिखित में देंगे तो आपने जो आरोप लगाये हैं उसमें आपको उसके संदर्भ में पूरे डाक्यूमेंट देने पड़ेंगे। जैसे हम ऐफिडेविट देते हैं, लेकिन इसमें आपको पूरी बातें लिखकर के देनी होंगी और आपके लिख कर देने के बाद में यदि अध्यक्ष जी को लगेगा कि मामला संज्ञान में लेने लायक है, इसको माननीय अध्यक्ष महोदय संज्ञान में लेकर आचरण समिति को भेजेंगे। आचरण समिति के द्वारा जिसके खिलाफ में लिखित रूप से आरोप लगाया गया है, आपके द्वारा जो डाक्यूमेंट प्रस्तुत किया गया है, शिकायतकर्ता द्वारा जिसके खिलाफ में आरोप लगाया है, वह शिकायत कर्ता को जिसके खिलाफ में आरोप लगाया गया है, उनको लिखित में देना पड़ेगा। वह चाहें तो उस सदंर्भ में 7 दिन के अंदर में अपनी कोई टिप्पणी लिख करके दे सकता है, जिनके खिलाफ में आपने आरोप लगाया। यदि वह कोई टिप्पणी लिख करके नहीं दिया तो ऐसा मान लिया जाता है कि उसने आरोप को स्वीकार कर लिया। वह कोई न कोई टिप्पणी देगा। उसकी टिप्पणी देने के बाद में उसकी सत्यता क्या है, उस सत्यता को लेकर के समिति द्वारा उसका परीक्षण किया जाता है। परीक्षण करने के बाद में जब समिति उस पर विचार करती है, उस सत्यता के आधार पर विधान सभा के अध्यक्ष को इतना अधिकार है कि यदि वह चाहें तो विधान सभा सदस्य की सदस्यता को भी खत्म करने का अधिकार दिया गया है। आप लोगों ने देखा होगा कि मध्यप्रदेश में एक घटना घटी, उस सदस्य की सदस्यता समाप्त हुई। उस सदस्य की सदस्यता समाप्त होने के बाद में कोर्ट के बजाय उसको बाद में कोई न कोई रास्ता निकालकर के उसको रिलीफ दिया गया। यह अधिकार विधान सभा के अध्यक्ष को सदन के अंदर में है। विधान सभा के अध्यक्ष को सदस्यता तक खत्म करने का अधिकार है। इसलिए हम सब सदस्यों को जब हम यहां पर निर्वाचित होकर आये हैं तो चिंता करने की आवश्यकता है और चिंता करने के साथ में हम सब यह देखें कि हमें किसी के ऊपर भी कोई आरोप लगाने से बचना चाहिए और यदि ऐसा लगता है तो विथ डाक्यूमेंट हमको प्रस्तुत करना चाहिए। जिसमें सामने वाले को भी अच्छा लगे और वह भी जवाब दे सके। ऐसे कई मामले आते हैं और कई मामलों का निराकरण किया जाता है, विनिश्चय किया जाता है।

समितियों के संदर्भ में मुख्य रूप से समितियों की जो भूमिका है, हमारे सत्र सदन में लगातार नहीं चलते हैं इसलिए समितियों के माध्यम से विधायिका के ऊपर नियंत्रित करने का काम किया जाता है। इसलिए समितियों को लघु सदन कहा जाता है। जो सभा का अधिकार है, वह समिति को भी अधिकार है और हमारी सभी समितियां पॉवरफुल हैं। आप उसमें कितनी रूचि ले करके काम कर सकते

हैं, यह आप सबको अवसर मिलेगा। आपको समितियों में काम करने का जो अवसर मिलेगा, उसमें आपको अपने अधिकारों का उपयोग करना है। किसके अंतर्गत ? आपको जो अधिकार दिये गये हैं, आप जो समिति के सदस्य बने हैं, उस समिति के जो अधिकार हैं, उसके अंतर्गत में आपको यह सब काम करने का अवसर मिलेगा।

इसमें एक विषय अशासकीय कार्य जुड़ा हुआ है। बहुत सारे कार्य तो सरकार के बिजिनेश के हैं। शासकीय विधेयक लाना, बजट लाना, अनुपूरक बजट लाना, इसके संबंध में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। अशासकीय कार्य दो प्रकार से होते हैं। एक विधेयक और दूसरा अशासकीय संकल्प होता है। अशासकीय संकल्प के लिए शुक्रवार का दिन सुनिश्चित है, आखिरी ढाई घंटे अशासकीय कार्य के लिए होते हैं। हम लोग जो अशासकीय संकल्प देते हैं, एक सत्र में हम 03 से ज्यादा अशासकीय संकल्प नहीं दे सकते हैं। इस अशासकीय संकल्प के लिए आपको जो आखिरी ढाई घंटे का समय दिया गया है, उसमें दो से चार अशासकीय संकल्प आते हैं। आपने जो अशासकीय संकल्प का विषय लिख करके दिया है और लिख कर देने के बाद में आपको अवसर दिया जायेगा और आप उस अशासकीय संकल्प को पढ़ेंगे और उस विषय के ऊपर में भाषण देंगे। उस अशासकीय संकल्प के ऊपर अन्य सदस्य भी बोलेंगे। उसके बाद माननीय मंत्री उसका जवाब देंगे। माननीय मंत्री जी यदि जवाब में यह कहेंगे कि आप इस अशासकीय संकल्प को वापस ले लीजिए और हम इस पर विचार करेंगे। या तो आप उस अशासकीय संकल्प को वापस ले सकते हैं, आपको अधिकार है और यदि नहीं तो आपको लगता है कि यह पेपर में छपना चाहिए, जनहित का मुद्दा बनना चाहिए तो उस पर जरूरत पड़ी तो सदन में बहुमत से भी और वोटिंग के द्वारा भी उसका विनिश्चय किया जाता है। इस अशासकीय संकल्प को कौन लाता है, जो मंत्री न हो, उप मंत्री न हो, राज्यमंत्री न हो, संसदीय सचिव न हो, वह अशासकीय संकल्प ला सकता है। विधान सभा के सदस्य को यह अधिकार दिया गया है। यह अशासकीय संकल्प का शासन के द्वारा नहीं, बल्कि आपके द्वारा जो अशासकीय संकल्प लाया गया है, उस पर उसका विनिश्चय होना है। इसी प्रकार से शासकीय विधेयक तो ठीक है। प्राइवेट विधेयक आप किसी बात को ले करके आये और आपको विधेयक बना करके प्रस्तुत करना है। आप उसकी drafting करेंगे और drafting करने के बाद में उसको देंगे। जब आप प्राइवेट विधेयक को देंगे तो उसमें यह देखा जायेगा कि उस विधेयक के पारित करने से छत्तीसगढ़ सरकार की संचित निधि में से उसमें पैसा तो खर्च नहीं हो रहा है। यदि उसमें पैसा खर्च हो रहा है तो उसका वित्तीय ज्ञापन लिया जायेगा। मतलब आपको उसके उद्देश्य और कारणों में दर्शाना पड़ेगा कि आप विधेयक ला रहे हैं तो उस विधेयक का उद्देश्य क्या है? आपको संक्षेप में बना करके उसको लिख करके देना पड़ेगा और आप उसको दे करके प्रस्तुत करेंगे। यदि आपके विधेयक लाने से सरकार के खजाने से खर्च होगा तो आपको अनुमान लगा करके वित्तीय ज्ञापन देना पड़ेगा कि आपके विधेयक लाने

से उसके क्रियान्वयन में शासन पर कितना वित्तीय भार पड़ेगा। वह जो वित्तीय भार पडेगा, उसके लिए आपको वित्तीय ज्ञापन देना पडेगा।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय यह अच्छा अवसर है, अशासकीय विधेयक लाने के नियमों को बदलवाना चाहिए। अशासकीय विधेयक को 30 दिन पहले जमा करना है तो नोटीफिकेशन के 30 दिन पहले कैसे जमा करेंगे?

श्री धरमलाल कौशिक :- अभी 30 दिन पहले अशासकीय विधेयक जमा करने का नियम है। यदि अध्यक्ष महोदय चाहें..।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप सभा में बोलिये कि उसके नियम को चेंज करने की जरूरत है। अभी अच्छा अवसर है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय अजय चन्द्राकर जी कुछ बोल रहे हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) :- अशासकीय विधेयक का 30 दिन पहले जमा करने का समय है, उसको 15 दिन करना है ?

श्री धरमलाल कौशिक :- अभी 30 दिन पहले अशासकीय विधेयक जमा करने का नियम है न, उसको 15 दिन करना चाहिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- वह notification में ही आना चाहिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- आपकी विधान सभा का notification नहीं हुआ है, कब notification होगा, आपको जानकारी नहीं है और जब तक जानकारी होती है, पिछला 30 दिन निकल जाता है। इसलिए उसमें माननीय सदस्यों का जो सुझाव है कि अशासकीय विधेयक को 30 दिन पहले जमा करने का जो नियम है, उसको 15 दिन किया जाये, उस पर आगे विचार करेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- notification में जो-जो काम प्रिन्ट होते हैं, अशासकीय विधेयक भी इस अवधि में जमा किये जा सकते हैं, हमारी विधान सभा में नियमों में सुधार हो जाये। अभी हम उस अवधि में ला नहीं पाते हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- अभी notification जारी होने के 21 दिन पहले प्रश्न लगाने तक का नियम है, इसके लिए 30 दिन का समय है और 30 दिन होने के कारण उलझ जाते हैं। हम विधान सभा अध्यक्ष जी से इस विषय पर आग्रह करेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- यह एक अच्छा अवसर है, इसलिए मैंने इस विषय को उठाया।

श्री धरमलाल कौशिक :- आप बहुत अच्छा किये। उस विषय को उठाने का यही अवसर है। 30 दिन का जो समय है, उस अवधि में आपको प्राइवेट विधेयक को देना है। मैंने कहा कि आपको वित्तीय ज्ञापन देना पड़ेगा और वित्तीय ज्ञापन के आधार पर उस विधेयक पर विचारण होगा। इसलिए इस पर

सामान्यत: जो व्यावहारिक बात आनी चाहिए, वह सैद्धांतिक रूप से ठीक है, व्यावहारिक रूप से कहीं न कहीं दिक्कतें आती हैं। बहुत लोग ऐसे विधेयक को ले करके नहीं आते हैं। लेकिन हमारे जो पुराने सदस्य हैं। पिछले बार बृजमोहन अग्रवाल जी कुछ मामले को ले करके एक अशासकीय विधेयक लेकर के आये थे, लेकिन वह स्वीकृत नहीं हो पाया। इसके कारण में नये सदस्यों को यह जानकारी ही नहीं होती कि प्राइवेट बिल कैसे आयेंगे, क्या उसकी प्रक्रिया होगी ? यह यहां पर बताने से समझ नहीं आयेगा, जब सदन में हमारे कोई सदस्य अशासकीय संकल्प लेकर आयेंगे और जब उस पर चर्चा होगी, उस प्रक्रिया के बारे में जानकारी होगी तो मैं समझता हूं कि हमारी विधान सभा के जो सम्मानित सदस्य हैं, उन सबको उसका लाभ मिलेगा। इसलिये इस विषय पर जो हमारे सुझाव आयेंगे, उन सुझाव के आधार पर उसके मुख्य निर्णय होंगे। मुख्य रूप से जो अशासकीय कार्य है, उसमें प्राईवेट बिल और दूसरा, अशासकीय संकल्प, इन बातों की हमने चर्चा की है। यदि उसके procedure में जाएंगे तो थोड़ा लंबा लगेगा। उस अवधि को सत्र में देखकर आगे आने वाले समय में उसका लाभ मिलेगा। जो मोटी-मोटी बातें हैं, मुझे लगा कि जो आवश्यक है, मैंने उसे रखने का प्रयास किया है। इस दो दिन के प्रबोधन में मैं सभी सदस्यों से एक ही अनुरोध करूंगा कि मैंने जिन बातों का उल्लेख किया कि आपको क्षेत्र के प्रति, क्षेत्र की जनता के प्रति, आपकी पार्टी के प्रति और आपकी विधान सभा के प्रति, इन तीनों बातों को यदि समावेश करके सामंजस्य बना करके चलेंगे तो एक अच्छे विधायक के रूप में आने वाले समय में हमारी भूमिका महत्वपूर्ण होगी और हम इसको continue कर सकेंगे। इसलिये प्रबोधन में हमारे बहुत सारे विद्वान लोग आये और आकर अपनी बातों को रखें। हम जब माननीय अमित शाह जी को सुनेंगे और जब उसका समापन होगा।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय धरमलाल जी, समाप्त करने से पहले एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को बता दीजिये कि आप लोग टूर में भी जायेंगे और उसका भत्ता कैसे बनता है। वह लाभ का विषय है।

श्री धरमलाल कौशिक :- यह जो कमेटी बनेगी, उसमें कमेटी का टूर प्रोग्राम होता है। उसमें जो आपकी कमेटी है, आप लोग तय करते हैं कि आपको अध्ययन के लिये कहां जाना है। आप अध्ययन दौरे में अण्डमान निकोबार से लेकर हिन्दुस्तान के सभी राज्यों में जा सकते हैं और सरकार की, विपक्ष की, नेता प्रतिपक्ष की सहमति से आप विदेश की यात्रा भी कर सकते हैं। जब मैं विधान सभा का अध्यक्ष था, उस समय मैंने प्रयास किया और हमारे सभी पक्ष और विपक्ष के साथियों के साथ हम चार्टर प्लेन लेकर माउण्ट आबू गये थे। मुख्यमंत्री जी से लेकर पूरा केबिनेट और नेता प्रतिपक्ष से लेकर सभी विधायक गये थे। फिर एक बार हम लोग हरिद्वार कुंभ में गये थे और एक बार इलाहाबाद कुंभ में जाते-जाते वहां के रनवे के कारण नहीं जा पाये। हम लोगों ने प्रयास किया था।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय बृजमोहन जी, भत्ता भी बहुत पुराना है।

श्री धरमलाल कौशिक :- भत्ता अभी थोड़ी ना निर्धारित होगा। आप उसको विधान सभा में निर्धारित करना, वह आपको ही निर्धारित करना है।

श्री धर्मजीत सिंह (तखतपुर) :- वे संसदीय कार्य मंत्री जी के संज्ञान में ला रहे हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- यह कमेटियों का महत्व है। आप लोगों को निश्चित रूप से जाने का अवसर मिलेगा, अध्ययन करने का अवसर मिलेगा। उसके बाद अन्य विधान सभाओं में क्या चल रहा है। हमारी विधान सभा से अच्छा वहां पर क्या है, उसको हम कैसे क्रियान्वयन कर सकते हैं। जब कमेटियों के माध्यम से यह दौरा करेंगे तो एक सुधार और बहुत कुछ अच्छा करने का प्रयास हम सभी कर सकते हैं। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी को धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिन्द, जय छत्तीसगढ़।

उद्घोषक :- माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल जी एवं सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा से सादर निवेदन है कि सत्र के प्रमुख वक्ता माननीय धरमलाल कौशिक जी, वरिष्ठ विधायक, भूतपूर्व विधान सभा अध्यक्ष जी का शाल एवं श्रीफल से स्वागत कर स्मृति चिन्ह भेंट करें।

(संसदीय कार्य मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा मुख्य वक्ता श्री धरमलाल कौशिक जी का शॉल, श्रीफल से सम्मान कर स्मृति चिन्ह भेंट किया गया।)

उद्घोषक :- इसके ठीक पश्चात समापन सत्र होगा। जिसमें माननीय केंद्रीय गृह मंत्री हमारे बीच होंगे। शाल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह भेंट। माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल जी एवं श्री दिनेश शर्मा जी, सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा। माननीय श्रीमती शेषराज हरवंश, विधायक, पामगढ़ से सादर आग्रह है कि वे इस कार्यक्रम के इस सत्र का आभार प्रदर्शित करने की कृपा करें।

आभार

श्रीमती शेषराज हरवंश (पामगढ़) :- षष्टम विधान सभा के इस दो दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम में आज द्वितीय दिवस के अवसर पर माननीय प्रमुख वक्ता, श्री धरमलाल कौशिक जी, पूर्व विधान सभा अध्यक्ष, माननीय सदस्य, छत्तीसगढ़ विधान सभा, श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, संसदीय कार्य मंत्री और विधान सभा के सचिव, श्री दिनेश शर्मा जी, छत्तीसगढ़ विधान सभा के सभी सम्मानित सदस्यगण। इस प्रबोधन के लिये आप सभी का हृदय से आभार। हम बहुत कुछ यहां से सीखकर जा रहे हैं। अपने व्यवहारिक जीवन में, अपने राजनैतिक, अपनी जनता, अपने क्षेत्र के लिये और समय-समय पर भविष्य में इस तरह के सहयोग और मार्गदर्शन की अपेक्षा और आशाओं के साथ आप सभी को सादर प्रणाम। जय संविधान, जय सतनाम। धन्यवाद्।

उद्घोषक :- धन्यवाद्। यह सत्र संपन्न हुआ। आप माननीय सदस्यों के लिये चाय की व्यवस्था है। अगला सत्र ठीक 4.45 बजे आरंभ होगा। आप सभी से हमारा आग्रह है कि 4.45 बजे तक आप अपना आसन ग्रहण कर लें।

(4.22 से 4.45 बजे तक टी ब्रेक)

चतुर्थ एवं समापन सत्र

(अतिथियों का आगमन)

उद्घोषक (श्री संजय दुबे) :- छत्तीसगढ़ की षष्ठम् विधान सभा के नव-निर्वाचित सदस्यों के प्रबोधन कार्यक्रम के द्वितीय दिवस समापन सत्र के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत् है । प्रबोधन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री अमित शाह, केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत शासन, माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव शाह जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, माननीय नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत जी, माननीय संसदीय कार्यमंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, आप सभी का हम हृदय से स्वागत् करते हैं । अतिथि सत्कार की पवित्र भावना से अनुप्राणित हमारी भारतीय संस्कृति, जिसमें अतिथि सत्कार हमारी एक परम्परा रही है और आज भी हम इस परम्परा का निवर्हन कर रहे हैं ।

(मंचासीन अतिथियों द्वारा केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का स्वागत् किया गया)

सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा (श्री दिनेश शर्मा) का स्वागत उद्बोधन.

सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा (श्री दिनेश शर्मा) **:-** प्रबोधन कार्यक्रम के इस समापन सत्र के मुख्य अतिथि माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत जी, संसदीय कार्यमंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल जी । इस समापन सत्र में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत् एवं अभिनंदन करता हूं । छत्तीसगढ़ विधान सभा के लिए आज का दिन अत्यंत हर्ष एवं गौरव दिवस के साथ एक ऐतिहासिक दिवस है जब माननीय केन्द्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह जी का विधान सभा आगमन हुआ है । इस अवसर पर मैं छत्तीसगढ़ विधान सभा की ओर से आपका हार्दिक स्वागत् एवं अभिनंदन करता हूं ।

माननीय मुख्य अतिथि जी, आज आपके आगमन से छत्तीसगढ़ विधान सभा की गरिमा संवर्धित हुई है । इस समापन सत्र में "प्रभावी विधायक कैसे बनें" विषय पर आपका मार्गदर्शन नव-निर्वाचित माननीय सदस्यों को बेहतर विधायक बनने के लिए प्रेरक सिद्ध होगा । अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व मैं पुन: आपके प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकार कर हमारा मान बढ़ाया । आपका कोटि-कोटि आभार, धन्यवाद् ।

उद्घोषक :- माननीय संसदीय कार्यमंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल जी से सादर आग्रह है कि वे माननीय विधान सभा अध्यक्ष जी के संदेश का वाचन करने की कृपा करें ।

अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा (डॉ. रमन सिंह) का संदेश वाचन

संसदीय कार्यमंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) :- हम सब आह्लादित हैं, हम सबको आज देश के यशस्वी गृहमंत्री अमित शाह जी का मार्गदर्शन मिलने वाला है । हमारी विधान सभा के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी ने अपना संदेश दिया है कि उनकी कमर में असहनीय दर्द होने के कारण वे यहां उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं । इसलिए उन्होंने आपसे क्षमा चाही है । माननीय गृहमंत्री जी, आप यहां पर प्रथम बार छत्तीसगढ़ की विधान सभा में आए हैं और इससे हमारे सभी सदस्यगण अभिभूत हैं । आपका अनुभव सत्ता और संगठन दोनों का अनुभव है और आपके अनुभव ने पूरे देश को एक ऐसा व्यक्तित्व दिया है जिस व्यक्तित्व ने धारा 370 की समाप्ति कर, 35(ए) की समाप्ति कर, देश के उत्तर-पूर्व राज्यों में अशांति और आतंकवाद को समाप्त कर आंतरिक सुरक्षा को मजबूत किया । चाहे वह ब्रू समझौता हो, चाहे आसाम-मेघालय का सीमा विवाद हो, चाहे बोडो समस्या का समाधान हो, चाहे आपके माध्यम से आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में किये गये काम हों, आपके प्रयासों से नशे के कारोबार पर नियंत्रण हुआ और सहकारिता के माध्यम से किसानों को जोड़कर पूरे देश का विकास पूरा देश और दुनिया इसकी तारीफ कर रही है । जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी का शासन था जब छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने मिलकर बहुत सारे कानून बनाए । जिसके अंतर्गत हमने खाद्यान्न सुरक्षा का सबके लिए प्रावधान किया कि यदि किसी भी व्यक्ति को राशन में अनाज नहीं मिलता है तो वह थाने में रिपोर्ट लिखा सकता है । हमने स्वच्छता कानून बनाया कि जितने भी पंचायत के जन प्रतिनिधि होंगे, उन्हें स्वच्छता का पालन करना होगा । साक्षरता का कानून बनाया कि जितने जन प्रतिनिधि होंगे उनको पांचवी और आठवीं पास होना होगा । साथ में छत्तीसगढ़ की विधान सभा ने भी यह नियम बनाया कि यदि कोई सदस्य वेल (गर्भगृह) में आता है तो वह अपने आप स्वमेव निलंबित माना जाएगा। यह शायद देश की पहली विधान सभा है जिसने इस प्रकार का नियम बनाया है । छत्तीसगढ़ की विधान सभा देश के इतिहास में गोपनीय बैठक के लिए भी जानी जाती है, जिसके माध्यम से प्रदेश में नक्सलवाद पर चर्चा

हुई । आजादी के बाद यह पहली विधान सभा है जहां पहली बार गोपनीय बैठक हुई । माननीय गृहमंत्री जी, हमारे 90 विधायकों में से 50 विधायक नये चुनकर आए हैं, 40 विधायक पुराने हैं । इन विधायकों में बीजेपी की संख्या 54 है, कांग्रेस की संख्या 35 है और 01 विधायक निर्दलीय जीतकर आए हैं । हमारे सभी विधायक शैक्षणिक दृष्टि से उत्कृष्ट विधायक हैं । मैं इन सबका स्वागत् करते हुए कि आपका मार्गदर्शन निश्चित रूप से हमारे विधायकों को कि हम कैसे अच्छे विधायक बन सकते हैं, निश्चित रूप से आपके अनुभवों का लाभ हमें मिलेगा । आप 5 बार विधायक रहे, आप केन्द्रीय गृहमंत्री हैं, आप संसद में हैं । आपने जिस प्रकार से धारा 370 को समाप्त करने का कानून लाया, 35(ए) का कानून लाकर जिस प्रकार उसको समाप्त किया यह निश्चित रूप से अनूठा कदम है कि यदि शासन कानून बनाना चाहे तो बना सकता है, उसको यह अधिकार है । यह आपने पूरे देश और दुनिया को बताया है । ऐसे हमारे देश के दृढ़ प्रतिज्ञ, दृढ़ निश्चयी और दृढ़ संकल्पित व्यक्तित्व का मैं छत्तीसगढ़ की विधान सभा में विधान सभा अध्यक्ष जी की तरफ से, सभी विधायकों की तरफ से बहुत स्वागत् करता हूं, बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूं । जय हिंद, जय छत्तीसगढ़ ।

नेता प्रतिपक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा (डॉ. चरणदास महंत) का उद्बोधन

नेता प्रतिपक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा (डॉ. चरणदास महंत) :- भारत के गृहमंत्री आदरणीय अमित शाह जी, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव शाह जी, उप मुख्यमंत्री भाई विजय शर्मा जी, आदरणीय अरूण साव जी, बृजमोहन जी, दिनेश शर्मा जी । हम लोग इस बार बहुत आह्लादित हैं, खुश हैं कि नये-नये विधायकों की किस्मत इतनी अच्छी हो गई कि देश के बड़े-बड़े नेतृत्व का आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर उन्हें मिला है । इसके लिए मैं डॉ. रमन सिंह जी को धन्यवाद् दूंगा कि उन्होंने आप सबको निमंत्रित किया। कल लोक सभा के माननीय अध्यक्ष जी आए थे, कल ही राज्य सभा के सभापति जी आए थे । उन्होंने जिन बातों की ओर हमारे नये विधायकों का ध्यान आकर्षित किया। निश्चित रूप से जीवन भर उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहेंगे । समय कम है, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद् देता हूं, मगर इतना जानता हूं कि आप किस तरह से देश सेवा के लिए संकल्पित हैं और आपके बारे में एक कथन है कि आप थकते नहीं है । हम हम लोग आपके कार्यक्रमों को देखकर ही समझ रहे हैं । ईश्वर का आशीर्वाद है आप पर। आज प्रभावी विधायक कैसे बनें, यह देश के सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व द्वारा यहां उद्बोधन होगा । निश्चित रूप से मैं मानता हूं हमारे नये विधायक एवं नये मंत्रिगण हैं सब उसका लाभ लेंगे । आप यहां आए, आपने हमारे विधायकों को समय दिया इसके लिए मैं प्रतिपक्ष का नेता होने के नाते, प्रतिपक्ष के विधायकों की ओर से और पूर्व अध्यक्ष होने के नाते सभी विधायकों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद् देता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद् ।

मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन (श्री विष्णुदेव साय) का उद्‌बोधन.

मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन (श्री विष्णुदेव साय) :- छत्तीसगढ़ विधान सभा के नव-निर्वाचित विधायकों के दो दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम के समापन समारोह में हम लोगों के बीच विराजमान, हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए पधारे हमारे देश के यशस्वी गृहमंत्री माननीय श्री अमित शाह जी, नेता प्रतिपक्ष श्री चरणदास महंत जी, हमारे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी, संसदीय कार्यमंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी, विधान सभा के सचिव, मंत्रिगण एवं सभी विधायक भाई एवं बहनों । आज हम सबका परम् सौभाग्य है कि प्रबोधन कार्यक्रम के समापन सत्र में हम लोगों के बीच हमारे देश के यशस्वी गृहमंत्री पधारे हैं । उनका मार्गदर्शन हम लोगों को मिलेगा लेकिन इस अवसर पर मैं छत्तीसगढ़ विधान सभा के सम्माननीय अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह जी को धन्यवाद् देना चाहूंगा जिन्होंने दो दिन का प्रबोधनीय कार्यक्रम रखा । निश्चित रूप से इसमें हमारे 50 नये विधायक जो पहली बार चुनकर आए हैं, उनको तो लाभ होगा ही लेकिन हमारे 40 पुराने विधायक हैं, जो मंत्री भी रहे हैं, उनका भी रिन्यूवल हो रहा है । यह दो दिनों का प्रबोधनीय कार्यक्रम हमारी छत्तीसगढ़ की विधान सभा के सदस्यों के लिए, मंत्रियों के लिए, सबके लिए फ़ायदेमंद रहेगा । वैसे भी पांच विधान सभाओं में हमारे सदस्यों ने बहुत मर्यादाएं कायम की हैं । हमारे संसदीय कार्यमंत्री जी उसके बारे में बता रहे थे । मुझे पूरा विश्वास है कि इस दो दिवसीय प्रबोधनीय कार्यक्रम में बहुत कुछ सीखा गया है । इस अवसर पर देश के बड़े बड़े अनुभवी लोगों द्वारा यहां मार्गदर्शन दिया गया है । माननीय उपराष्ट्रपति जी, हमारे लोक सभा के स्पीकर, स्वास्थ्य मंत्री मांडविया जी, उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष सहित हमारे यहां प्रदेश के अनुभवी नेताओं का मार्गदर्शन मिला है और अभी समापन सत्र में देश के गृहमंत्री जी का मार्गदर्शन मिलेगा, जो विभिन्न पदों पर रहे हैं । संगठन के शिल्पी भी हैं और संसदीय कार्य प्रणाली के विद्‌वान् भी हैं, उनका मार्गदर्शन मिलेगा । मैं फिर से एक बार छत्तीसगढ़ की तरफ से उनका अभिनंदन और स्वागत् करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद् ।

उद्‌घोषक :- समस्याओं के सीने पर बैठकर उनका समाधान तलाशना जिनकी राजनैतिक साधना रही है, संकल्प शक्ति के धनी आयोजन के मुख्य अतिथि माननीय श्री अमित शाह जी केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री से सादर आग्रह है कि प्रभावी विधायक कैसे बने, इस विषय पर माननीय सदस्यों को प्रबोधित करने की कृपा करें ।

प्रभावी विधायक कैसे बनें ?
(वक्ता - श्री अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री, भारत सरकार)

केन्द्रीय गृह मंत्री, भारत सरकार (श्री अमित शाह) :- मित्रों, किसी भी प्रबोधन वर्ग में समारोह में बोलना बड़ा कठिन होता है । क्योंकि प्रबोधन वर्ग में हिस्सा लेने वाले सभी लोग थके हुए होते हैं । सेच्युरेटेड होते हैं और ग्रास्पिंग नीचे के स्तर पर होती है । मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि मेरी बात को कुछ समय Concentrate करके सुनियेगा । मंच पर श्रीमान् मुख्यमंत्री जी बैठे हैं। उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी बैठे हैं । विपक्ष के नेता डॉ. चरणदास महंत जी बैठे हैं, बृजमोहन जी बैठे हैं, सचिव दिनेश शर्मा जी बैठे हैं। स्पीकर साहब नहीं आ पाए क्योंकि उनकी कमर में दर्द है, चलने फिरने में थोड़ी दिक्कत है । मगर जब स्पीकर साहब का और मुख्यमंत्री जी का फोन आया, तब मैंने कहा कि मेरे लिए सरल विषय देना और उन्होंने मुझे सबसे कठिन विषय पकड़ा दिया है । राजनीति में, विशेषकर जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उनको प्रभावी तरीके से कैसे काम करना है, यह बताना सबसे कठिन है, क्योंकि यहां इतना आत्मविश्वास होता है तभी तो चुनकर आते हैं । जो मानते हैं कि मैं तो स्वयं ही प्रभावी तरीके से काम करता हूं, आप भला क्या सिखा देंगे ? राजनीति क्षेत्र में विधायकों को प्रभावी तरीके से कैसे काम करना चाहिए, यह बताना बड़ा कठिन है । किंतु मुख्यमंत्री जी ने और स्पीकर साहब ने मुझे कहा है तो मैं प्रयास जरूर करूंगा । चुने हुए प्रतिनिधि के तौर पर मेरा एक लम्बा अनुभव रहा है । मैं पांच बार विधायक रहा, एक बार राज्य सभा का सदस्य रहा, एक बार लोक सभा का कार्यकाल भी समाप्त होने के कगार पर है । देश के सभी सदस्यों में, चाहे विधान सभा हो, चाहे लोक सभा हो, चाहे राज्य सभा हो, मुझे काम करने का अनुभव भी मिला है । मेरी पार्टी के संगठन में भी बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष, सभी पदों पर मैंने कमोबेश काम किया है । चाहे संगठन का काम करिये, चाहे चुने हुए प्रतिनिधि का, जनता से सम्पर्क जरूर होता है। जब चुने हुए प्रतिनिधि और संगठन दोनों का काम करते हैं तो जनता की अपेक्षाएं और हमारी कठिनाईयां दोनों का अनुभव होता है । मित्रों आज सबसे पहले तो मैं विधान सभा अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने विधान सभा के सदस्यों का प्रबोधन कार्यक्रम रखकर बहुत अच्छा किया है । कोई भी व्यक्ति कितना भी अनुभवी हो परंतु सीखने का न तो समय कभी समाप्त होता है, न ही सीखने की उम्र समाप्त होती है। जीवन की अंतिम सांस तक सीखते रहना ही सफलता का मूल मंत्र है । अगर सफल होना है तो हर घटना से, हर दिन से, हर मुलाकात से कुछ न कुछ सीखना चाहिए । आज मेरे सामने नव-निर्वाचित विधान सभा के सदस्य बैठे हैं, जैसा कि बताया गया कुछ लोग नये हैं, कुछ अनुभवी हैं, मंत्री भी रहे हैं । कांग्रेस पार्टी से भी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से भी रहे हैं । मगर हम सब लोग जब विधायक के नाते चुनकर आते हैं तो हमारे ज्ञान में होना चाहिए कि हम एक बहुत बड़ी परम्परा के वाहक हैं । जब हमारे देश को

आज़ादी मिली उस वक़्त दुनिया कई पंडित, जो लोकतंत्र के पंडित माने जाते हैं, मीडिया जगत के कई विद्वान् लोग आशंका करते थे कि भारत कैसे चलेगा, भारत में लोकतंत्र कैसे चल रहा है, भारत खंड-खंड बिखर जाएगा । मगर अब 75 साल हो गए, पीछे मुड़कर देखते हैं तो हम सबने, पूरे देश ने मिलकर, सभी दलों ने मिलकर हमारे लोक तंत्र की जड़ें पाताल से भी गहरी करके पूरी दुनिया को यह संदेश दिया है कि हम सफल लोकतंत्र हैं (मेजो की थपथपाहट) । त्रि-स्तरीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को हमने बड़ी सफलता के साथ न केवल आत्मसात कि है बल्कि इसके सु-फल भी जनता तक पहुंचाए हैं । जब जनप्रतिनिधि की बात करते हैं तब हमारे यहां तीन प्रकार के जनप्रतिनिधि होते हैं । एक तो स्थानीय स्तर के, एक हमारी विधान सभाएं हैं और एक लोक सभा-राज्य सभा में भी जनप्रतिनिधियों का प्रकार बना है । कई सारे लोग ऐसे हैं जो तीनों प्रकार से काम करते करते जनता का, पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं । मित्रों, आज जब मैं यहां आया हूं तो मैंने आपकी पूरी समय सारणी देखी है । समय सारिणी में कई प्रकार की चीजें बारीकियां कानूनी पेंच, इन सबका आपके सामने बहुत अनुभवी लोगों ने उद्बोधन किया है और आपको इससे लाभान्वित भी किया है । परंतु हमारे यहां राजनीतिक क्षेत्र में चुने हुए प्रतिनिधि, पहले राजशाही व्यवस्था थी, अब लोकतंत्रीय व्यवस्था है । परंतु राजधर्म की कल्पना हमारे यहां बहुत समय से, ऋग्वेद, महाभारतकाल और उसके बाद भी चाणक्य आदि विद्वानों कई प्रकार के ग्रंथों में दिखाई पड़ती है । उसको अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो विधायक का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है । प्रभावी विधायक बनना है तो विधायक के तीन प्रकार के दायित्व हम सब पर होते हैं, जब हम जनप्रतिनिधि बनते हैं । एक तो हमारे क्षेत्र का दायित्व होता है, दूसरा हमारे यहां मल्टी पार्टी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, हमारी जो पार्टियों की आइडियोलॉजी का दायित्व हम पर होता है और तीसरा विधान सभा के सदस्य हैं तो पूरे राज्य के सुखकारी और पूरे राज्य की प्रगति का भी दायित्व होते हैं, राज्य के कानून बनाने का भी दायित्व होता है और बजट के माध्यम से राज्य का सम-विकास कैसे हो । इसलिए तीनों क्षेत्रों में अगर सफलता प्राप्त करनी है तो तीनों क्षेत्रों के अंदर आयोजन पूर्वक समय का भी आवंटन करना पड़ता है, हमारी शक्तियों का भी आवंटन करना पड़ता है । मैं बहुत से अनुभवी विधायकों से मिला हूं । जो क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय होते हैं क्योंकि जन समस्याओं का बहुत से अच्छे से निवारण भी करते हैं, लोक सम्पर्क भी बड़ा अच्छा होता है, लोक संग्रह भी बड़ा होता है । वे बड़े लोकप्रिय होते हैं । किंतु जब विधान सभा में उनका परफार्मेंस देखते हैं तो शायद ही किसी बिल पर उन्होंने दो शब्द भाषण किया होता है, शायद ही बजट की चर्चा में उनका योगदान होता है, शायद ही किसी भी प्रकार की बिल की चर्चा में उनका योगदान होता है । तो मेरी दृष्टि से वह संपूर्ण विधायक नहीं माना जायेगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जनता से संपर्क अच्छा करते हैं, अपने क्षेत्र की चिंता करते हैं, साथ में विधायी दायित्वों का भी निर्वहन करते हैं। मगर वह अपनी पार्टी की ideology, पार्टी के ethos और पार्टी की कार्य पद्धति का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं तो मैं जरूर मानता हूं कि वह भी एक संपूर्ण विधायक नहीं माना

जायेगा, क्योंकि हमने बहुपक्षीय लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था को अपनाया है। हमारा लोकतंत्र Presidential form का नहीं है। प्रमुख की व्यवस्था नहीं है। हम सब एक पार्टी के साथ बंधकर जनता के सामने जाते हैं और जब पार्टी के साथ बंधकर जाते हैं तो पार्टी की ideology को देखकर भी वोट देने वाले बहुत बड़े जन-समूह का हमें समर्थन मिलता है। विधायक का यह भी दायित्व है कि पार्टी की नीतियां, पार्टी की कार्य पद्धति और पार्टी के उद्देश्यों की परिपूर्ति के लिए भी काम करना। अपने मत क्षेत्र के लिए भी काम करना और कुल-मिलाकर राज्य के सुखकार्य के लिए भी काम करना। Local bodies के जनप्रतिनिधि होते हैं, उनके लिए बड़ा सरल होता है। उनको रोजमर्रा के कामों के लिए चाहे Municipality हो, तहसील पंचायत हो, जिला पंचायत हो, उसे एड्रेस करना होता है। विधायकों को तीन प्रकार से काम करना पड़ता है और सांसदों को पूरे देश के नीति निर्धारण, पूरे देश का बजट, ये सभी क्षेत्रों के लिए समान हो, सुरक्षा, विदेश और कानून बनाने के प्रक्रिया और अपना मत क्षेत्र और पार्टी के लिए काम करना पड़ता है। इस प्रकार की जिम्मेदारी बड़ी-बड़ी हमारी बहुपक्षीय संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली में निश्चित हुई है और जब हम शब्द प्रयोग करते हैं कि प्रभावी विधायक कैसे बनना है तो तीनों के लिए हमें अपने आपको तैयार करना होता है और इसके लिए मेरे हिसाब से हम सब जो जनप्रतिनिधि होते हैं, उसके अंदर सबसे पहले संवेदना होनी चाहिए। संवेदना अपने क्षेत्र के लिए, अपनी जनता के लिए होनी चाहिए। हमारा संवैधानिक दायित्व निर्वहन करने के लिए तत्परता भी होनी चाहिए और कुशलता भी होनी चाहिए और उत्सुकता भी रखनी पड़ती है, क्योंकि उत्सुकता और जिज्ञासा से ही राज्य और अपने क्षेत्र का हम भला कर सकते हैं और यह प्रसन्नता के साथ करना होता है। मैं भी इसमें आ जाता हूं। हमें किसी ने invitation नहीं भेजा कि आइए, और छत्तीसगढ़ के इस क्षेत्र का उद्धार करिए, छत्तीसगढ़ क्षेत्र का उद्धार करिए। हम सब अपने आप छत्तीसगढ़ और देश की सेवा करने के लिए आगे आए हैं। जब आगे आए हैं तो कठिनाइयां भी आएंगी, समस्याएं भी आएंगी। तो सदैव प्रसन्न रहते हुए लोक संपर्क, लोक संग्रह, अर्थात् लोगों का संपर्क भी होना चाहिए। अपने क्षेत्र में लोक संग्रह का मतलब है, सद्प्रबुद्ध लोगों को संगठित करना चाहिए। विधायी दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए और इसके साथ-साथ पार्टी के उद्देश्य और नीतियों को भी जमीन पर उतारना चाहिए। इन सब में प्रसन्नता बहुत बड़ी चीज है वरना धीरे-धीरे जनता हमसे संपर्क करना ही छोड़ देती है। मैं आपको मेरे अनुभव के आधार पर कह सकता हूं। मैं पहली बार विधायक चुनकर गया तब बड़ी युवावस्था में गया था। तेज तर्रार विचार थे। बर्ताव भी तेज तर्रार था, पर धीरे-धीरे समझ में आ गया कि प्रसन्नता सबसे बड़ी चीज है। हंसते-हंसते ही दायित्वों का निर्वहन करना, इसके लिए कुशलता चाहिए और स्वभाव में परिवर्तन करना पड़ेगा और इसीलिए मैंने अपने स्वभाव के अंदर बहुत सारा परिवर्तन इतनी उम्र के साथ किया। एक तो उम्र ही कर देती है और कुछ अनुभव भी करता है। मित्रों, अधिकारियों के साथ क्षेत्र के विकास के साथ हमेशा जनप्रतिनिधि का संघर्ष रहता है। मैं vested interest की बात नहीं करता। परंतु जनता की समस्याओं के

लिए भी संघर्ष रहता है। हमें समझना पड़ेगा कि अधिकारी एक निश्चित प्रकार की कार्य योजना जो स्टेट लेवल पर तय हुई, इसके अधीन काम करते हैं। इसका budgetary provision होता है, इसकी योजनाएं होती हैं। योजनाओं की कुछ शर्तें होती हैं और हमारा प्रॉब्लम है कि सुबह हमारे घर 100 लोग आ गये तो हम लोग क्या करें? भड़ाक से फोन उठाकर कह देते हैं और इससे अधिकारियों के साथ हमारी जो कटुता होती है, वह कुल-मिलाकर क्षेत्र की सेवा नहीं करती है। हमें administration को समझकर लिखकर देने की आदत develop करनी चाहिए। जितना लिखकर दोगे, उतना ही आगे काम जल्दी पड़ेगा। मेरा आपसे आग्रह है और मेरे अनुभव के आधार पर मैं कहता हूं कि लिखकर देने के 15 दिन बाद ही फोन करिए। एक तो लिखकर देंगे तो आप ऐसी कोई बात नहीं लिख सकेंगे जो नहीं करनी चाहिए। अपने आप मर्यादा आ जायेगी और लिखकर देंगे तो वो उस पर काम करके आपको फोन पर उत्तर देने के लिए सक्षम भी होंगे। तो हमें अधिकारियों के साथ काम करने के अपने तरीकों में भी अनुभव के आधार पर, अधिकारियों के साथ गपशप करके अपने काम की पद्धति evolve करनी चाहिए, बनानी चाहिए। मैं बहुत स्पष्टता के साथ मानता हूं कि जनप्रतिनिधि जब समर्थ होता है, सक्षम होता है और जवाबदेह होता है तब ही अच्छा प्रशासन अपने जिले में, अपने क्षेत्र में इसका समर्थन करता है। जो समस्या लेकर जनता हमारे पास आयी है, इसका अध्ययन करके administrative तरीके को समझकर अगर पत्र लिखेंगे तो उसको रिस्पांड करना ही करना है। आप मेरी बात को मानकर चलिए और अगर कोई नहीं करता है तो विधान सभा से लेकर विधान सभा के कई नियमों से लेकर कई समितियों तक जनप्रतिनिधि के साथ इतना विशाल दायरा पड़ा है कि कभी आपको गुस्सा होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो अपने आप आपका काम करेंगे। मैं मानता हूं कि समस्याओं के निराकरण के कई रास्ते होते हैं। आंदोलन होता है। अनशन होता है। कोर्ट में कुछ लोग पी.आई.एल. दायर कर देते हैं। कुछ आर.टी.आई. लगा देते हैं। कई एन.जी.ओ. के पंडित भी अब घूमते रहते हैं और मीडिया भी इसी प्रकार के कमोवेश कभी-कभी काम करता है। मुझे लगता है कि इन सभी में सबसे उचित रास्ता है और सभी रास्ते आपके लिए खुले हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं। मगर अगर समस्या का समाधान करना है तो सबसे उचित रास्ता नियमों के अनुसार एक कांक्रीट पत्र लिखकर प्रशासन को देना और जिम्मेदारी तय करना, ये सबसे उचित रास्ता होता है और मैं तो ज्यादातर समय विपक्ष में ही रहा। तो ये सारी चीजें जो मैंने कही, आंदोलन, अनशन, कोर्ट में अर्जी ये सब भी कर चुका हूं और जब कुछ लोगों ने आज जैसे सामने बैठे हैं, ऐसे मैं सामने बैठा था, कांग्रेस के हमारे बहुत बड़े नेता थे, उन्होंने हमारे प्रबोधन में कहा था। उनका अनुभव सुनकर मैंने भी समस्याओं को समझकर लिखना शुरू किया। मैं आपको कह सकता हूं कि किसी भी आंदोलन से सार्थक रूप से समस्या को समझकर, administration को समझकर लिखा हुआ पत्र ज्यादा कारगर होता है। इससे हमारे आंदोलन का अधिकार समाप्त नहीं होता है। तो जनता की समस्याओं के निराकरण और उसमें हमारे दायित्वों के निर्वहन के लिए सबसे पहले समस्या को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैं

एक बात जरूर आपको कहना चाहता हूं कि हमारा मूल काम समस्या पर समग्रता से विचार करके समाधान देना है, प्रसिद्धि लेनी नहीं है। अगर जिस चीज के लिए आपने एक कठोर आंदोलन कर दिया, अनशन कर दिया वो काम अगर समाप्त नहीं हुआ है तो जनता आपसे संतुष्ट नहीं होगी। अगर समस्या का समाधान सोचकर सरकार की व्यवस्था को समझकर आपने पत्र लिखा और फॉलो-अप किया, ये काम समाप्त होगा तो आपकी जनता आपसे जरूर निश्चित रूप से खुश भी होगी और समस्या का समाधान भी होगा। तो तत्काल प्रसिद्धि के लिए administration के लिए भी बोझ बनना और अपने भविष्य के लिए भी बोझ बनना, क्योंकि वह समस्या का निवारण नहीं होता तो 5 साल के बाद जनता तो हिसाब करेगी ही करेगी। इस प्रकार का काम हमें नहीं करना चाहिए और मैं मानता हूं कि हमें ढेर सारी योजनाओं के वाच-डॉग भी बनने का काम करना चाहिए। देश के हर राज्य में कोई राज्य सरकार किसी भी दल की हो, मैंने ऐसी राज्य सरकार नहीं सुनी, जिन्होंने जनकल्याण के कार्यक्रम न बनाये हो और केन्द्र सरकार के भी जनकल्याण के सैकड़ों कार्यक्रम गिना सकता हूं, पी.डी.एस. का चावल पहुंचाने से लेकर, बच्चों को पढ़ाने से लेकर उनके nutrition से लेकर, महिलाओं तक के, अनेक किसानों तक अनेक कार्यक्रम। हमारे जिले की बैठक में तरीके से हमारे यहां कितना saturation हुआ या योजना का कितना saturation हमारे यहां हुआ, इसका स्टाक टेकिंग मांगने निकलोगे तो अपने आप गति बढ़ती जायेगी, इसलिए मेरा आग्रह है कि समस्या के समाधान के बारे में हमें सोचना चाहिए। कठोर से कठोर बात भी बहुत शालीनता के साथ लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। जो चीज कठोर तरीके से बोलते हैं, उसी को अगर शालीनता के साथ कहेंगे तो सामने वाले व्यक्ति को जिसको रिस्पांड करना है, उसे लगेगा कि आप आपकी जनता की समस्या मेरे सामने रख रहे हैं और अगर कटुता से करोगे तो उसको लगेगा कि ये मेरे साथ झगड़ा कर रहे हैं तो हमारा काम समस्या का निवारण है। आजकल कई जगह फैशन हुआ है, वो वीडियो चालू करते हैं और अधिकारियों से बतियाते हैं और फिर सोशल मीडिया में रख देते हैं। मैं पार्टी के अध्यक्ष के नाते पूरे लोकसभा चुनाव और हर राज्य के विधान सभा चुनाव लड़ाया हूं। ऐसे जो वीडियो वीर हैं, उनको बड़े-बड़े मार्जिन से मैंने हारते हुए देखा है, क्योंकि समस्या जस की तस वहीं पड़ी हुई थी। उनको थोड़े समय के लिए प्रसिद्धि मिल गयी। तो हमें तय करना पड़ेगा कि हमें किस दिशा में जाना है? मित्रों, हमारा दायित्व विधायी दायित्व भी है। जैसा मैंने कहा कि मैं तीनों सदनों में रहा हूं। सैकड़ों बिल पारित होते थे तो मैं उसमें बैठा हूं। कई बिलों को मैंने पायलेट भी किया है। बहुत कम लोग बिल, बिल के परिणाम और बिल के उद्देश्यों की स्टडी करते हैं। विधायकों का दायित्व है, इस पर हमारी पार्टी ने बोलने के लिए हमें कहा है या नहीं कहा है, हम किसी भी कानून को, किसी भी बिल को और बजट को एक जागरूक विधायक के नाते समझें, उसके उद्देश्यों को समझें, हमारे क्षेत्र और पार्टी के ideology के साथ इसका कितना मेल खाता है, इसकी स्टडी करें और सटीक तरीके से इन चीजों को हमें विधान सभा के अंदर बोलने का आग्रह करना चाहिए। मैं भी राजनीतिक क्षेत्र में ही काम करता हूं।

मैंने कई बिल पायलेट किया है। मगर मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं। मेरे शुरूआती दिन जाने दीजिए। मैं आपको जो समझाने आया हूं, वह समझ गया और उसके बाद की बात करता हूं। मेरा पार्लियामेंट में हर विषय का भाषण, हर बिल का भाषण मेरिट्स पर था, विषय पर था और राजनीतिक भी था। हर उठाये गये सवाल का जवाब भी दिया और चलते-चलते उसी प्रक्रिया को विकृत किये बगैर पॉलिटिकल स्कोर भी किया। तो हमारी यह कुशलता होनी चाहिए कि विधायी काम के अंदर हम कैसे स्टडी करें ? मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूं। रामनायक जी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता रहें और केन्द्रीय मंत्री भी रहें और राज्यपाल भी रहें और लंबे समय तक एक ही क्षेत्र से चुनकर आते थे। लोकसभा के नियमों का उपयोग करके उन्होंने एक मसला उठाया कि हम जन-गण-मन गाते हैं तो वंदे-मातरम भी गाना चाहिए। वो तो एक-डेढ़ मिनट मिलती है, वहां बात समाप्त हो गई। परंतु आडवानी जी ने इसका उठकर समर्थन किया और 1-2 सांसदों ने समर्थन किया। एक घंटे की चर्चा हुई और अंत में आज लोकसभा में जन-गण-मन और वंदे-मातरम दोनों गाया जाता है। एक सदस्य का contribution सिस्टम को सुधारने के लिए भी होना चाहिए और मैं मानता हूं कि हमारा दायित्व है। किसी भी सरकार और विपक्ष में बैठे हुए किसी दल और जनता इसके बीच में कड़ी विधायक होता है। विपक्ष में है तो सरकार की नकारात्मक बातों को और अच्छी योजनाओं के implementation के काम को जनता के बीच में पहुंचाना होता है और अगर सत्ता पक्ष के विधायक हैं तो सरकार की योजनाओं की implementation की कड़ी बननी चाहिए और उनके सुझावों को लेकर और योजना बनाने में सरकार की मदद करनी चाहिए। ये जो टू-वे सिस्टम है, वो ही परफेक्ट administration का निर्माण करती है। मानो आज श्री स्कीम बनी है, मगर अभी भी कुछ छुटा होगा। हम इसे ढूंढकर लायें, फोरम में उठायें, प्रसिद्धि का मोह रखे बगैर तो निश्चित रूप से हमारे मन को संतोष होगा कि मेरे पत्र से एक अच्छी स्कीम बनी और इसने पूरे छत्तीसगढ़ के गरीबों का, पूरे छत्तीसगढ़ के महिलाओं का, आदिवासियों का, पिछड़ों का कल्याण किया। अगर विपक्ष के विधायक हैं तो सरकार की आलस को, सरकारी अधिकारियों के आलस को, गैर-जिम्मेदारियों को उजागर करते हुए स्कीम का implementation कराना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना कि स्कीम किसी भी सरकार की नहीं होती है, जो उसके पास लेकर जाता है, उसकी ही स्कीम होती है। यहां केन्द्र सरकार में कांग्रेस की सरकार थी। मेरे क्षेत्र के अंदर कुछ गरीबों को आवास मिला था। उस वक्त प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं थी। इंदिरा आवास योजना थी। नाम इंदिरा जी का था। कांग्रेस पार्टी की सरकार की थी, मगर मैं विधायक के नाते एक्टिव रहता था तो सब लोग कहते थे कि हमारे विधायक ने हमें आवास दिला दिया। विपक्ष के विधायकों को भी सरकार की योजनाओं को जनता के पास पहुंचाने के लिए परिश्रम भी करना चाहिए और अपनी पार्टी का तंत्र भी बनाना चाहिए और सत्ता पक्ष वालों को तो करना ही करना चाहिए। तो जनता और सरकार के बीच की कड़ी की जो भूमिका है और वहां से समस्याओं की जानकारी को नीतियों में तब्दील करके सरकार में बैठे हुए

व्यक्तियों को सुझाव देने का हमारा जो दायित्व है, इसका भी हमें अच्छे से निर्वहन करना चाहिए। मैंने पूरा समय विधान सभा में बैठने की आदत वाले बहुत कम जनप्रतिनिधि देखा है। कोई मंत्री है और चेम्बर में बैठा होगा, कोई काम करता होगा तो वह विधान सभा बिल्डिंग में है, यही माना जाएगा, परंतु जो विधायक है, जो सांसद है, वह लंच समय में घर में जायेंगे और कार्यवाही समाप्त होने के वक्त आकर चले जायेंगे या बिल में हाथ खड़ा करने के लिए आयेंगे। आप ढेर सारी जानकारियों को गंवा देते हैं क्योंकि सदन में जो चर्चा होती है, चाहे वह राजनीतिक रूप की चर्चा हो, वह पूरे प्रदेश की चर्चा होती है। उसी तरह से प्रश्नोत्तरी का जो समय है, इसका भी हमको बड़े अच्छे तरीके से उपयोग करना चाहिए। संकल्प होते हैं, इसका भी हम अपने क्षेत्र की समस्याओं के निर्वहन के लिए उपयोग कर सकते हैं। सत्ताधारी पार्टी को एक प्रकार से जनता के सामने सच्चा चेहरा लाने के लिए उपयोग कर सकते हैं और जो सत्ताधारी पक्ष के विधायक है, उसका उपयोग सरकार की सिद्धियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए भी कर सकते हैं। एक घंटे की चर्चा, संकल्प, विशेष बहस, शून्यकाल, यह सारे नियम सार्थक जनप्रतिनिधि के नाते आपको सिद्ध कर देंगे। मेरा तो सभी नए विधायकों को आग्रह है कि आपकी कार्यकाल के ढाई साल होने के पहले विधान सभा के नियमों में एक भी ऐसा नियम नहीं होना चाहिए, जिसका उपयोग आपने नहीं किया हो। अपने विहिप के साथ चर्चा करिये। आप स्पीकर का भी समय मांग सकते हैं। आप विधान सभा सचिव और लेजिस्लेटिव सेक्रेटरी का भी समय मांग सकते हैं। प्राइवेट मेंबर बिल भी ढेर सारी समस्यों का समाधान का रास्ता होता है। मोदी जी की सरकार बनने के बाद अभी-अभी अनुच्छेद 370 हट गया, C.A.A. आ गया, तीन तलाक समाप्त हो गया। यह तीनों विषय ऐसे हैं, जिस पर 50 से कम प्राइवेट मेंबर बिल पिछले 75 सालों में नहीं आए हैं। यह जो 50 प्राइवेट मेंबर बिल आए, वह तो विपक्ष के लोग लाये होंगे। उनको मालूम भी था कि यह बिल गिर ही जाना है मगर फिर भी उन्होंने सदन के लिए अपनी पार्टी के लक्ष्यों को सिद्ध करने के लिए बहस भी की और अपनी पार्टी का विचार लोगों तक पहुंचाया। मुझे मालूम नहीं है कि यहां पर क्या व्यवस्था है, लेकिन हमारे गुजरात विधान सभा में शुक्रवार की व्यवस्था होती थी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यहां पर भी है।

श्री अमित शाह :- विधायक को शुक्रवार की व्यवस्था का भरपूर उपयोग करना चाहिए। इसकी जगह हमें शुक्रवार को क्षेत्र में जाने की जल्दी होती है। अगर बहुत महत्वपूर्ण काम है या कार्यक्रम करना है तो सोमवर को Select करिये, शुक्रवार को मत छोड़ियेगा, यह आपका अधिकार है। यह विधायकों का दिन होता है, सदस्यों का दिन होता है। इसके हर Rule का उपयोग करना चाहिए। जो Legislative process है, जो कानूनों की भाषा और कानूनों की प्रक्रिया है, इसका आप जब तक स्टडी नहीं करेंगे तब तक आप अच्छे विधायके नहीं बन सकते। एक बिल आया है कि इसमें अमेंडमेंट कैसे रखना। बिल पर चर्चा के दायरे होते हैं, उस दायरे में ही बोना चाहिए, जिससे हमें स्पीकर साहब हमें बिठा न दें। एक प्रकार से यह

कला होती है। यह सार्वजनिक मंच नहीं होता है। मुझे तो कई बार दु:ख होता है कि सार्वजनिक मंच पर देने के भाषण जब सदन में दिये जाते हैं तब हम सदन की गरिमा को भी कम करते हैं और टेम्पोरेरी प्रसिद्धि के लिए अपनी साख को भी बिगाड़ते हैं। Legislative process को विधायक को बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहिए और इसके अनुसार अपनी भाषा, इसके नियमों के अनुसार अपना बर्ताव और इसके नियमों के अनुसार विधान सभा सचिवालय के साथ अपनी लिखा-पढ़ी करनी चाहिए। कुछ अच्छे बिल प्राइवेट मेंबर के नाते लाने चाहिए जो शायद एक या दो दशक के बाद कानून बन पायेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि तीनों कानूनों में कई सारे लोगों ने प्राइवेट मेंबर बिल बनाकर लाया। अभी-अभी हमने तीन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तीनों कानूनों में आमूलचूल परिवर्तन किया है। इसमें एक चीज फॉरेंसिक है। हमारे यहां गुजरात में सबसे पहले फॉरेंसिक साईंस यूनिवर्सिटी बनी थी परंतु फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के जरूरीयत पर जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तब 4 मेंबरों ने प्राइवेट मेंबर बिल रखा था, उस पर बहस भी हुई थी। हालांकि, वह बिल निरस्त हो गया, गिर गया, परंतु बहस हुई थी। जब आप अपने विचार रखेंगे तो कभी न कभी वह अच्छे कानून का रूप लेंगे, इसका हमें संज्ञान होना चाहिए। मित्रों, अगर क्षेत्र के अंदर नेता बनना है, क्षेत्र के माध्यम से प्रदेश का नेता बनना है और प्रदेश के माध्यम से प्रदेश की राजनीति में आना है तो संपर्क, संवाद और परिश्रम, यह तीन चीज ही काम में आ सकते हैं। चौथी कोई भी चीज काम में नहीं आएगी। संपर्क, संवाद और परिश्रम ही आपको जनसेवक से जननायक बना सकते हैं क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में पार्टी आपको टिकट दे सकती है, मगर जनता का mandate तो तभी मिलेगा जब आपका जनता से संपर्क होगा, जनता से संवाद होगा और क्षेत्र के लिए आपने परिश्रम किया होगा। इसके लिए कार्यालय की रचना में आर्थिक कठिनाईयां होती हैं तो घर के कमरे को भी कार्यालय बना सकते हैं। हमको पार्टी के और विधायक के दायित्व के नाते क्षेत्र के बाहर भी रहना पड़ता है मगर समस्याओं के साथ संवाद की व्यवस्था आपके कार्यालय के माध्यम से होती है। छोटी-छोटी योजनाओं की implementation का काम भी हमारा कार्यालय ही करता है। विधायक का सबसे पहला दायित्व है कि हम कार्यालय की रचना इतनी वैज्ञानिक और आधुनिक करें कि हमारे क्षेत्र के हर गांव के छोटी-सी-छोटी घटना की रिपोर्टिंग हम तक हो और इतने Proactive रहे कि वह घटना के लिए हम प्रशासन से बात करने से लेकर सरकार से बात करने तक की प्रक्रिया करें। जो पुराने समय के विधायक हैं। जब मैं भी विधायक बना तब सोशल मीडिया वगैर उतना ज्यादा नहीं था। उस वक्त तो बहुत कठिनाईयां होती थीं। उस समय एस.टी.डी. फोन भी नहीं हुआ करता था। अब तो बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं। अब थोड़ा कुछ करेंगे तो व्यवस्था बन जायेगी। मैंने एक सफल प्रयोग किया था। मैं आप लोगों के सामने मेरा अनुभव रखना चाहता हूं। जब मैं विधायक था तब मैंने अपने मत क्षेत्र के अन्दर एक सप्ताह बुजुर्गों के लिए रखा था। एक सप्ताह में उनके लिए एक ही दिन होता था, मगर उस वक्त मैं अपने क्षेत्र के सभी बुजुर्गों का संपर्क का कोई न कोई कार्यक्रम बनाकर प्रयास करता था। हर

बार अलग-अलग जगह पर संवाद करता था। एक सप्ताह मेरे क्षेत्र में जो पत्रकार और साहित्यकार हैं, मैं उनके साथ में बात करता था, मैं एक सप्ताह सारे चिकित्सकों और शिक्षकों से बात करता था, एक सप्ताह युवाओं के साथ बात करता था, एक सप्ताह माता-बहनों के साथ में बात करता था, एक सप्ताह सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं के निवारण के लिए मैं प्रयास करता था और मेरा एक सप्ताह वंचितों के साथ बात करने का होता था। यह सारे आपके विधान सभा क्षेत्र के स्तंभ है। मैंने मेरे कार्यालय पर मुलाकात पर आने वाले लोगों के लिए रजिस्टर बनाया था। उसका जब किसी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ने एनालिसिस करके बताया कि एक ही बार ऐसे 8 प्रतिशत लोग आए हैं, बाकी आपके कार्यकर्ता लोग ही रोज-रोज आते हैं। हम उसको जनता समझते हैं। यह जनता नहीं होती हैं। opinion maker शिक्षक भी होता है, महिलाएं भी होती है, युवा भी होते हैं, साहित्यकार भी होते हैं, पत्रकार भी होते हैं और जो वंचित बेनिफिशयरी होते हैं, वह भी opinion maker होते हैं। कई बार हमें लगता है कि हम बहुत काम कर रहे हैं परंतु संपर्क होता ही नहीं है। मैं मेरा अनुभव बताता हूं। मैं विधायक के नाते कई गांवों में गया हूं तो क्या होता है कि हम सरपंच के घर पर जाते हैं, उनको माला डाल देते हैं, वह अच्छा नास्ता कराते हैं, अच्छी-अच्छी बातें करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं और वैसे लोगों से मिलकर हम निकल जाते हैं। शायद गांव में मालूम भी नहीं पड़ता है कि हम उनके गांव गये थे। अगर हम सप्ताह में एक दिन निकाले। मेरा पांच महीने का कार्यक्रम होता था। इस पांच महीने में मैं सारे सप्ताह बांटता था। बाकी पार्टी के दायित्व में लगता था। मगर एक दिन शिक्षकों के साथ अलग-अलग क्षेत्र में जरूर संवाद करता था। एक दिन पत्रकारों और साहित्कारों से संवाद करता था। इस प्रकार से समाज के अलग-अलग वर्गों के साथ जब जन संवाद होता है, जन संपर्क होता है तभी आपको आपके क्षेत्र का पूरा ब्यौरा भी मिलता है और समस्याओं की जानकारी भी मिलती है। जनता हमारे लिए क्या सोचती है, यह हमारे कार्यकर्ता नहीं बता सकते। जनता हमारे लिए क्या सोचती है, वह जनता ही बता सकती है। इसलिए हमको जनसंपर्क की कला भी सीखनी चाहिए। जैसा कि मैंने पहले कहा कि जनसंपर्क, लोकसंपर्क और लोकसंग्रह। हमारे क्षेत्र में अच्छे शिक्षक, अच्छे डॉक्टर, अच्छे पत्रकार, अच्छे दलित समाज के युवा नेता, सामाजिक नेता, अच्छे ओ.बी.सी. का जानकार व्यक्ति, महिलाओं के लिए actively काम करने वाली बहनें, यह सद्प्रवृत्ति जितनी भी चलती है, इसका संगठन करने का दायित्व आपका है। अगर यह एक बार आपके साथ जुड़ गए तो आप कभी चुनाव नहीं हार सकते। मैं पहली बार 25,000 वोट से चुनाव जीता था और अंत में 2,60,000 वोट से चुनाव जीता था। मैं पहली बार लोक सभा का सदस्य बना, जब मैं आडवानी जी के सीट पर चुनाव लड़ा था। 4 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास थी, 3 सीट कांग्रेस पार्टी के पास भी और सालों से ऐसा ही था। मेरे सदस्य बनने के बाद जब इस बार विधान सभा का चुनाव हुआ तो यह सातों सीट भारतीय जनता पार्टी बड़े मार्जिन के साथ जीती। इसका मूल कारण है कि जनता को लिए हमारे मन में भ्रांति न हो। हम कार्यकर्ता को जनता न मानें। हमें कार्यकर्ता को भी मिलना ही चाहिए, परंतु जनता का

समय भी रखना पड़ेगा। Ultimately कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ाता है, परंतु जनता का ओपिनियन भी हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, इस पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। Legislative process के साथ शामिल होना चाहिए। हममें पार्टी की नीतियों को विधान सभा के नियमों के माध्यम से फ्लोर पर लाने की कुशलना होनी चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि अनुच्देद 370 में तो हमारा बहुमत नहीं था। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, मगर कई सांसदों ने अनुच्छेद 370 के लिए बिल लाया जो प्राइवेट मेंबर बिल था। वह निरस्त हो गया। कोई बात नहीं, लेकिन इस पर चर्चा हुई। अब उत्तराखण्ड U.C.C. (यूनिफार्म सिविल कोड) बिल ला रहा है। इस पर भी प्राइवेट मेंबर बिल से 30 बार लोक सभा और राज्य सभा में चर्चा हो चुकी है। पार्टी की नीतियों को विधान सभा के नियमों का उपयोग करके विधान सभा में और जनता के बीच में रखना चाहिए। मीडिया बैठा है फिर भी मैं कह सकता हूं, मुझे इसमें कोई शंकोच नहीं है कि यदि मैं छत्तीसगढ़ विधान सभा का विधायक होता तो मैं विधान सभा में राम मंदिर पर अभिनंदन का प्रस्ताव जरूर लेकर आता। इस प्रकार से प्रस्ताव की जो धारा है, उस नियम का उपयोग करके आप अपनी Ideology और पार्टी की Achievements को भी लोगों के बीच में रख सकते हैं। इसका भी Detail study होना चाहिए। यहां पर भी व्यवस्था होगा। हमारी विधान सभा में legislative और विधान सभा सचिवालय में विधायकों को मदद करने के लिए टेबल होते हैं, जो आपको प्रश्न भी ड्राफ्ट कर देते हैं, प्रस्ताव भी ड्राफ्ट कर देते हैं, बिल भी ड्राफ्ट करके देते हैं। आपको सिर्फ विषय लेकर जाना होता है। वहां पूरी व्यवस्था होती है। मित्रों, मैं आज यह सबसे बड़ी कहना चाहता हूं कि कभी भी बूथ का परिणाम देखकर विस्तार के अंदर, क्षेत्र के अंदर विकास मत करना। इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। इससे बड़ा राजनीतिक नुकसान भी आपका कभी नहीं होगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका बहुत बड़ा नुकसान करेंगे। जिस बूथ के अंदर मुझे मत नहीं मिले हैं, इसके लिए यदि मैं स्टेप मदर एटिट्यूड रखता हूं तो वह बूथ से मैं कभी जीत नहीं सकता। जब हम चुनाव लड़ते हैं तब हम एक पार्टी के प्रत्याशी होते हैं और हम चुनाव जीतते हैं तो पूरे क्षेत्र का विधायक बनते हैं। पूरे क्षेत्र की समस्या आपकी है, हर जनता की समस्या आपकी है। अगर इस ऊंचाई के साथ हम विधायक की जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि हम सफल विधायक नहीं बन सकते। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे तीन प्रकार के दायित्व होते हैं। एक मत क्षेत्र के प्रति हमारा दायित्व होता है, एक हमारा पार्टी की Ideology और पार्टी के कार्यक्रमों के प्रति दायित्व होता है और तीसरा राज्य की इन जन सुखाकारी के लिए दायित्व होता है। क्योंकि हम राज्य के विधान सभा के सदस्य हैं। राज्य के बनने वाले कानूनों के लिए भी हमारा दायित्व होता है और चौथा सबसे महतवपूर्ण दायित्व है कि हमें फिर से चुनाव जीतकर आना भी हमारा दायित्व होता है। क्योंकि हमें पार्टी ने टिकट दिया होता है। यह चारों चीजों को ध्यान में रखकर मेरे अनुभव के आधार पर कुछ चीजें मुझे कहने जैसी लगी। मैंने आपके सामने यह प्रस्ताव रखा है। मैं मानता हूं कि यह बेस लाईन है। इसके आधार पर हर क्षेत्र की अलग-अलग प्रकार की काम की

पद्धति develop करनी पड़ती है परंतु यदि इस बेस लाईन पर develop करेंगे तो इसकी दिशा सही होगी, ऐसा मेरे अनुभव के आधार पर मुझे लगता है। मित्रों, आज मैं प्रभु श्रीराम जी के ननिहाल में हूं और जब श्रीराम जी को वनवास मिला तब यहां अद्भूत भक्ति की घटना घटी थी। माता शबरी ने उनको जूठे बेर खिलाये थे। मैं छत्तीसगढ़ में हूं। कल ही रामलला जी साढ़े पांच सौ साल के बाद अपने घर में विराजमान होने वाले हैं। मैं सभी छत्तीसगढ़वासियों को हृदय से शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। आप सभी ने मुझे बुलाया, मेरा सम्मान किया, इसके लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।

उद्घोषक :- महोदय, आपके प्रेरक उद्बोधन के लिए आपको धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी एवं सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा से आग्रह है कि मुख्य अतिथि का साल एवं श्रीफल से सम्मान कर उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करें।

(माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, एवं सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा मुख्य अतिथि महोदय का शॉल, श्रीफल से सम्मान कर स्मृति चिन्ह भेंट किया गया)

उद्घोषक :- आप माननीय सदस्यगणों के लिए एक विशेष सूचना है कि इस मंचीय कार्यक्रम के तुरंत पश्चात् माननीय मुख्य अतिथि महोदय के साथ आपका समूह छायाचित्र होना है। कृपया निर्धारित स्थल पर पहुंचने का कष्ट करेंगे। उसके पूर्व माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, संसदीय कार्य मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन से यह निवेदन है कि वे इस कार्यक्रम का आभार प्रदर्शित करने की कृपा करें।

आभार

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) :- छत्तीसगढ़ विधान सभा के इस दो दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम में सर्वप्रथम सत्र के उद्घाटन में लोक सभा के अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम बिरला जी ने हम सबको संबोधित किया। द्वितीय सत्र में उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी ने संबोधित किया, तृतीय सत्र में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख एल. मंडाविया जी ने संबोधित किया, चतुर्थ सत्र में देश के उप राष्ट्रपति आदरणीय श्री जगदीप धनखड़ जी ने संबोधित किया। आज सुबह के तीन सत्र में आदरणीय अजय चन्द्राकर जी, प्रेम प्रकाश पाण्डेय जी और धरमलाल कौशिक जी ने संबोधित किया है। इस प्रबोधन कार्यक्रम के समापन के अवसर पर इस देश को ऊंचाइयों तक ले जाने वाले, देश में कानून का राज स्थापित करने वाले और देश में ऐसे बड़े-बड़े निर्णय लेने वाले, जिन्होंने धारा 370 से

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

लेकर मातृ वंदन योजना जैसे विधेयक लाकर उत्तर-पूर्व राज्यों में शांति लाने का काम करने वाले और इस भारत माता के शिखर को और ऊंचा उठाने वाले और आयोध्या में प्रभु रामलला के मंदिर को मूर्त रूप देने वालों में प्रमुख नाम अमित शाह जी का है। मैं प्रभु राम के ननिहाल में, मां कौशल्या के जन्मभूमि में उनका स्वागत, अभिनंदन करते हुए और आज हम सब विधायकों को उन्होंने मार्गदर्शन दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, माननीय विधान सभा अध्यक्ष जी, माननीय सभी मंत्रिमण्डल के सदस्यगण, माननीय सभी विधायकगण, सबने इस दो दिवसीय कार्यक्रम में भाग लेकर सफल बनाया और अन्यान्य लोगों ने सहयोग दिया है, मैं उन सबके प्रति बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। जय हिन्द, जय छत्तीसगढ़।

उद्घोषक :- धन्यवाद। मंचीय कार्यक्रम संपन्न हुआ। आप सभी माननीय सदस्यों से हमारा विनम्र आग्रह है कि आप समूह छायाचित्र के लिए यथाशीघ्र निर्धारित स्थल पर पहुंचने की कृपा करें। धन्यवाद।

(तत्पश्चात् प्रबोधन कार्यक्रम 6 बजकर 29 मिनट पर समाप्त हुआ)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं